बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू–अर्जन निदेशालय)

संकल्प

केन्द्रीय "भूमि–अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा–104 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्य सरकार एतद् द्वारा आवश्यकतानुसार लोक उद्देश्य के कार्यों तथा आधारभूत संरचना एवं लोक प्रयोजन के परियोजनाओं हेतु, रैयतों से भूमि लीज पर प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित राज्य नीति तुरत के प्रभाव से विनिश्चित करती है:–

बिहार रैयती भूमि लीज नीति, 2014

1. आधारभूत संरचना, जैसे– शैक्षणिक संस्थानों/सड़क/बिजली परियोजनाओं/सम्पर्क पथ/स्टेडियम/बांध/नहर/लैंड बैंक, आदि का निर्माण, प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास एवं अधिनियम की धारा–2(1) के अधीन परिभाषित अन्य लोक उद्देश्य से कार्यों के लिए भूमि लीज पर ली जा सकेगी।

2. इस प्रकार ली जाने वाली भूमि सतत लीज (Perpetual Lease) की शर्त्तों पर ली जाएगी एवं वह निबंधित होगी।

3. सतत लीज पर भूमि, ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम बाजार दर (MVR) के 4 (चार) गुणी एवं शहरी क्षेत्रों में 2 (दो) गुणी दर पर प्राप्त की जाएगी :

परन्तु यदि उक्त भूमि पर अवस्थित वृक्ष अथवा अन्य संरचनाएँ (Structures) हों तो जिला समाहर्त्ता क्रमशः जिला वन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग से उनका मूल्यांकन करवाकर मूल्यांकित राशि का भी भुगतान करेंगे।

4. उपर्युक्त तथ्यों के ध्यान में रखते हुए सरकार के विभाग एवं सरकारी उपक्रम/कंपनियाँ पारदर्शी प्रक्रिया अपनाकर भूमि सतत लीज (Perpetual Lease) पर ले सकेंगी।

5. संबंधित विभाग/सरकारी कंपनियों/उपक्रम द्वारा भूमि सतत लीज पर प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित पारदर्शी प्रक्रिया होगी :–

(क) सर्वप्रथम सक्षम प्राधिकार भूमि लीज पर प्राप्त करने के प्रस्ताव को अनुमोदित करेंगे। प्रस्ताव में आवश्यक भूमि का रकबा, लोक उद्देश्य एवं अनुमानित मूल्य का उल्लेख करना आवश्यक होगा।

(ख) तदुपरांत सक्षम प्राधिकार द्वारा भूमि/स्थल चयन समिति गठित की जाएगी। उक्त भूमि/स्थल चयन समिति द्वारा, स्थल निरीक्षण करने के पश्चात्, भूमि/स्थल की चयन की अनुशंसा की जाएगी। भूमि/स्थल चयन के समय संबंधित भू–स्वामियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों से भी संपर्क कर, उन्हें परियोजनाओं के, जिसके लिए भूमि प्राप्त करनी है, उद्देश्यों एवं लीज नीति के प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा एवं उनका सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाएगा। भूमि/स्थल चयन समिति 2–3 वैकल्पिक भूमि/स्थल का चयन कर लेगी ताकि भूमि सुलभ होने में सुविधा हो सके।

(ग) भूमि/स्थल चयन समिति के अनुशंसा की समीक्षा कर, सक्षम प्राधिकार द्वारा, अनुशंसित भूमि/स्थलों को, उपयुक्तता के आधार पर, क्रमानुसार सूचीबद्ध किया जाएगा।

(घ) सूचीबद्ध भूमि/स्थल के स्वत्व एवं प्रकृति की सूचना जिला समाहर्त्ता से प्राप्त की जाएगी। जिला समाहर्त्ता भूमि/स्थल की विधिवत जांच कराकर संतुष्ट हो लेंगे कि भूमि विवाद–ग्रस्त न हो एवं वह स्वत्वधारियों के पूर्ण स्वामित्व एवं कब्जे में हो।

(ङ) सूचीबद्ध भूमि के स्वामियों से, समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से भूमि लीज पर देने की सहमति प्राप्त की जाएगी। प्राप्त सहमति के आलोक में अंतिम रूप से भूमि/स्थल का चयन सक्षम प्राधिकार द्वारा किया जाएगा। चयन के उपरांत जिला समाहर्त्ता द्वारा उपरोक्त भूमि का मूल्य निर्धारण कंडिका–3 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

(च) यदि भूमि पर संरचना/वृक्ष इत्यादि हो तो उसका भी मूल्यांकन, जिला समाहर्त्ता के स्तर पर, उपरोक्त कंडिका–3 के अनुसार, किया जाएगा।

(छ) तदुपरान्त विभाग द्वारा लीज के निष्पादन एवं मूल्य भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।

(ज) सरकारी विभाग/सरकारी कंपनियाँ/उपक्रम भूमि लीज निष्पादन करने की शक्तियाँ अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों को भी प्रत्यायोजित कर सकेंगे।

6. सतत लीज का मॉडल फार्मेट विधि विभाग के परामर्श से तैयार कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा अन्य विभागों को परिचारित किया जाएगा।

7. लीज के अधीन देय राशि, हितबद्ध रैयतों को, एकाउंट पेयी चेक (Account Payee Cheque) के माध्यम से, लीज के निबंधन की तिथि को देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

13/11

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14/डी0एल0ए0–(लीज)–नीति–69/2014–1440/रा0, पटना–15, दिनांक– 13-11-14

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, सरकारी मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उनसे अनुरोध है कि इस संकल्प का प्रकाशन बिहार गजट के आगामी अंक में करते हुए इसकी 500 प्रतियाँ विभागीय प्रयोजनार्थ शीघ्र भेज दी जाय।

13/11

(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / डी0एल0ए0–(लीज)–नीति–69 / 2014–.....1440..... / रा0, पटना–15, दिनांक– 13 - 11 - 14

प्रतिलिपि :–

1. सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी समाहर्त्ता / सभी अपर समाहर्त्ता / निदेशक, भू–अर्जन एवं पुनर्वास, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

   सभी समाहर्त्ताओं से अनुरोध है कि इस संकल्प की प्रति अपने स्तर से उनके परिक्षेत्रान्तर्गत चल रहे परियोजनाओं से संबंधित अधियाची विभाग के पदाधिकारियों को उपलब्ध करा दी जाय।

2. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
3. सभी विभागीय प्रधान सचिव / सभी सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
4. मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
5. माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
6. माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

13/11
(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–14 / डी0एल0ए0–(लीज)–नीति–69 / 2014–.....1440..... / रा0, पटना–15, दिनांक– 13 - 11 - 14

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को संकल्प की प्रति विभागीय बेवसाइट पर up-load करने हेतु प्रेषित।

13/11
(व्यास जी)
प्रधान सचिव।

Bihar Government
Revenue and Land Reform Department
(Land Acquisition Directorate)

Resolution

In exercise of the powers conferred under section 104 of The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, the State Government is hereby pleased to determine the following state policy for taking land on lease from the raiyats for the works of public purposes as per need for public projects of infrastructure and public purposes with immediate effect:-

BIHAR RAIYATI LAND LEASE POLICY, 2014

1. The land may be taken on lease for construction of infrastructure, such as, academic institutions/ road/ electricity projects/ approach road/ stadium/ embankment/ canal/ land bank etc., rehabilitation of persons affected by natural disaster and for other works of public purposes defined under section -2(1) of the Act.
2. The land so to be taken on the condition of perpetual lease and shall be registered.
3. The land on perpetual lease may be taken at the rate of four times in the rural areas and two times in the urban areas of the MVR (Minimum Valuation Register)

   Provided that, if trees or any other structure are situated on the said land, the District Collector shall, getting them evaluated by District Forest Officer and Executive Engineer, Building Construction Department respectively, make payment of the evaluated amount.
4. The departments of the government and the public sector undertakings, companies may take land on perpetual lease by adopting a transparent procedure, in view of the above facts.
5. There will be the following transparent procedure for taking land on permanent lease by concerned departments/ government companies/ undertakings:-

   (a) First of all, the competent authority shall approve the proposal for taking the land on lease. It will be compulsory to mentioned in the proposal the area, public purpose and the estimated value of the required land.

(b) Thereafter, the Land/ Site Selection Committee shall be constituted by the competent authority. After inspection of the land, recommendation of the Land/ Site Selection Committee will be made by the said Land/ Site Selection Committee. At the time of Land/Site selection, the concerned land owners and the representatives of the Panchayats will be informed of the provisions of the purposes of the lease policy making contact with them for which the land has to be taken. The Land/ Site Selection Committee shall select 2-3 alternative land so that it may be convenient in taking the land.

(c) After reviewing the recommendations of the Land/Site Selection Committee, recommended Lands/Site will be enlisted serially on the basis of suitability by the competent authority.

(d) The information of title and nature of the enlisted lands shall be obtained from the District Collector. The District Collector shall after getting the Lands/Sites legally enquired, be satisfied that the land is not disputed and is in the complete possession of the title holder.

(e) The concurrence on the lease by the land owners shall be obtained through advertisements in the newspapers. The competent authority shall select the land in light of concurrence of the land owners. The value of the land will be evaluated by the District Collector according to provisions of paragraph-3.

(f) If structures or trees are situated on the land, their valuation shall also be made in accordance with paragraph-3 by the District Collector.

(g) Thereafter disposal of the lease and payment of the value of the land will be made by the department.

(h) The government department/ government companies/ undertaking may delegate the-powers to execute land lease to their subordinate officers.

6. The model format for perpetual lease shall be prepared by the Revenue and Land Reforms Department after vetting by the Law Department and shall be circulated to the other departments.

7. The amount payable to the interested raiyats under lease shall be paid through Account Payee Cheque on the date of registration.

By order of the Governor of Bihar

On 13/11

(Vyas Ji)
Principal Secretary

Memo No.-14/D.L.A (Lease) – Policy – 69/2014-.....1440...../R. Dated– 13-11-14

Copy to:- Superintendent, Government Press, Guljarbag, Patna for information. He is request to publish this Resolution in the Bihar Gazette and make available 500 copies to the Revenue and Land Reforms Department at once.

On 13/11

(Vyas Ji)
Principal Secretary

Memo No.-14/D.L.A (Lease) – Policy – 69/2014-.....1440...../R. Dated– 13-11-14

Copy to:-1. All Divisional Commissioners/ All Collectors/ All Additional Collectors/ Director, Land Acquisition and Rehabilitation, Water Resources Department, Bihar, Patna for information & necessary action.

All District Collectors are requested to make available the copy of this Resolution to concerned all officers of the running projects of the requisitioning department in the district from their on level

2. Director, Information and Public Relation Department, Bihar, Patna for information.

3. All Departmental Principal Secretary/ All Secretary/ All Departmental Head, Bihar, Patna for information & necessary action.

4. Chief Secretary, Bihar, Patna for information.

5. Private Secretary to Hon'able Minister, Revenue and Land Reforms Department, Bihar, Patna for information.

6. Principal Secretary to Hon'able Chief Minister, Bihar, Patna for information.

On 13/11

(Vyas Ji)
Principal Secretary

निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

3 ज्येष्ठ 1934 (शo)

(सं0 पटना 217) पटना, वृहस्पतिवार, 24 मई 2012

विधि विभाग

———

अधिसूचनाएं

24 मई 2012

सं० एल0जी0-1-2/2012/लेजः 322—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 23 मई 2012 को अनुमति दे चुकें है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[बिहार अधिनियम 7, 2012]

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2012

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम–24, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ ।**– (1) यह अधिनियम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

   (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **धारा–2 में संशोधन ।**– धारा–2 में उप–धारा–(xxv) के बाद एक निम्नलिखित नयी उप–धारा–(xxvi) जोड़ी जाएगी :–

   ''(xxvi) ''बन्दोबस्त पदाधिकारी'' से अभिप्रेत है जिला का बन्दोबस्त पदाधिकारी अथवा जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई पदाधिकारी।''

3. **धारा–11 में संशोधन ।**– धारा 11 की उप–धारा (1) की तीसरी लाइन में शब्द ''जिला के'' बाद तथा शब्द ''के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन'' के पूर्व शब्द ''समाहर्त्ता'' शब्द ''बन्दोबस्त पदाधिकारी'' द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

4. **धारा–15 में संशोधन ।**– धारा–15 की उप–धारा (3) की द्वितीय लाइन में शब्द ''समाहर्त्ताओं'' के बाद तथा शब्द ''के पास'' के पूर्व शब्द ''तथा बंदोबस्त पदाधिकारियों'' अंतःस्थापित किये जाएंगे।

5. **धारा–16 में संशोधन ।**– धारा–16 की उप–धारा (ix) की प्रथम लाइन में शब्द ''किसी जिला के समाहर्त्ता'' के बाद तथा शब्द ''के द्वारा'' के पूर्व, शब्द ''/किसी जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी'' अंतःस्थापित किये जाएंगे।

6. **धारा–17 में संशोधन ।**– धारा–17 की प्रथम लाइन में शब्द ''समाहर्त्ता'' के बाद शब्द ''या जिले का अन्य'' के पूर्व शब्द ''अथवा बंदोबस्त पदाधिकारी'' अंतःस्थापित किये जाएंगे।

7. **धारा–19 में संशोधन ।**– धारा–19 के द्वितीय लाइन में शब्द ''जिला के समाहर्त्ता'' के बाद तथा शब्द ''द्वारा'' के पूर्व शब्द ''अथवा बंदोबस्त पदाधिकारी'' अंतःस्थापित किये जाएंगे।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

24 मई 2012

सं० एल0जी0-1-2/2012/लेजः 323—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और राज्यपाल द्वारा दिनांक 23 मई 2012 को अनुमत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2012 (बिहार अधिनियम 7, 2012) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

[Bihar Act 7, 2012]

The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Act, 2012

AN

ACT

TO AMEND THE BIHAR SPECIAL SURVEY AND SETTLEMENT ACT, 2011 (BIHAR ACT 24, 2011).

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the sixty-third year of the Republic of India as follows:-

1. *Short title, extent and commencement* **.** –(1) This Act may be called The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Act, 2012.
   (2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
   (3) It shall come into force at once.
2. *Amendment in Section-2* . – In Section-2 after Sub-Section (xxv), a following new Sub-Section (xxvi) shall be added:-
   "(xxvi) "Settlement Officer" means the Settlement Officer of the district or any other Officer authorized by the Government to discharge the functions of the Settlement Officer of a district."
3. *Amendment in Section-11* . – In the Second line of Sub-Section (1) of Section-11, after the words " under the hand and Seal of the" and before the words "of the district" the word "Collector" shall be substituted by the words "Settlement Officer".
4. *Amendment in Section-15* . – In the second line of Sub-Section-(3) of Section -15, after the word "Collectors" and before the words "for use" the words "and Settlement Officers" shall be inserted.
5. *Amendment in Section-16* . – In the second line of Sub-Section (ix) of Section- 16, after the words "Collector of any District" and sign of full stop " . " the words "/ Settlement Officer of any District" shall be inserted.
6. *Amendment in Section-17* . – In the first line of section-17, after the word "Collector" and before the words "or any other" the words "or the Settlement Officer" shall be inserted.
7. *Amendment in Section-19* . – In the third line of section-19, after the word "Collector of the District" and before the words "to this effect" the words "or the Settlement Officer" shall be inserted.

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 217-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 पौष 1933 (श0)

(सं0 पटना 800) पटना, वृहस्पतिवार, 22 दिसम्बर 2011

विधि विभाग

———

अधिसूचनाएं

22 दिसम्बर 2011

सं० एल0जी0-1-26/2011/लेज-242—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को अनुमति दे चुकें हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 24, 2011]
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011

प्रस्तावना:–(i) चूँकि अद्यतन अधिकार–अभिलेखों का निर्माण एवं संधारण वह मूलाधार है जिसपर राजस्व एवं भूमि संसाधन प्रबन्धन तथा प्रशासन आधारित है;

(ii) चूँकि, अनुभव बताता है कि राज्य के कुछ भागों में, पारम्परिक पद्धतियों से कराए जा रहे सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन, दीर्घसूत्री, संश्लिष्ट तथा अत्यधिक खर्चीले हुए हैं;

(iii) चूँकि, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज तथा अररिया में 1952 से 1986 तक; मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर एवं वैशाली में 1959 से 1988 तक; सहरसा, मधेपुरा एवं सुपौल में 1962 से 2002 तक पुनरीक्षण सर्वे प्रचालन संचालित किए गए तथा ये प्रचालन दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर में 1965 से; भोजपुर, बक्सर, रोहतास तथा कैमूर में 1959 से; गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद तथा नवादा में 1965 से; भागलपुर तथा बाँका में 1965 से एवं पटना में 1986 से अब तक जारी हैं;

(iv) चूँकि, पुनरीक्षण सर्वे एवं बन्दोबस्त का प्रयोजन ही विफल हो जाता है यदि जिस कालखंड पर इसे लिया जाता है, वह पूर्व में यथा दर्शित सुदीर्घ हो;

(v) चूँकि, राज्य के 12 जिलों, यथा, मुंगेर प्रमंडल में बेगूसराय, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई तथा मुंगेर; सारण प्रमंडल में सारण, सीवान तथा गोपालगंज; तिरहुत प्रमंडल में पूर्वी चम्पारण तथा पश्चिमी चम्पारण एवं पटना प्रमंडल में नालन्दा में कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के बाद से कोई पुनरीक्षण सर्वे एवं बन्दोबस्त नहीं कराया जा सका;

(vi) चूँकि, चालू खतियान (पंजी–1–B), खेसरा पंजी एवं पंजी–II (Tenants' Ledger) जिन्हें अंचल कार्यालयों में अद्यतन रूप से संधारित किया जाना था, तद्नुसार संधारित नहीं किए जा सके एवं परिणाम स्वरूप, समय–समय पर, हो रहे अन्तरण, उत्तराधिकार, दाखिल–खारिज आदि, उनमें प्रतिबिम्बित नहीं होते;

(vii) चूँकि, भारत सरकार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व यथा प्रायोजित भू–अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण में समरूप दृष्टिकोण का अनुपालन नहीं किया गया;

(viii) चूँकि, कम्प्यूटर में प्रविष्ट तथ्यों का सरजमीन की अद्यतन वास्तविकताओं से तालमेल के अभाव में स्वामित्व के अनुवर्त्ती दावों तथा भू–अभिलेखों में उनके प्रतिबिम्बन के बीच खाई है;

(ix) चूँकि, सर्वेक्षण भाग पर लागत समय को न्यूनतम करने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जबकि बन्दोबस्ती के पहलू का, गुणवत्ता, पारदर्शिता तथा शिकायत–निवारण का परित्यजन किए बिना, न्यायसंगत संक्षेपीकरण किया जा सकता है;

(x) चूँकि, भूमि विकासात्मक गतिविधियों का मूलाधार है; हाल स्वामित्व, दखल एवं भूमि के वर्गीकरण को अन्तिम रूप से सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है ताकि भू–अर्जन का प्रचालन निराधार दावों, कपट तथा जालसाजी से दूषित न हो और साथ ही कृषि–ऋण, अनुदान, साहाय्य तथा बीमा से सम्बन्धित गतिविधियाँ सुगमतापूर्वक चलाई जा सकें;

(xi) चूँकि, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किए गए डिजिटल मानचित्रों को पारम्परिक विधियों से तैयार मानचित्रों से सत्यापित एवं तुलित करने की आवश्यकता है, साथ ही उनका सरजमीनी सत्यापन भी आवश्यक है, तकनीकी योग्यता रखने वाले अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर को यह दायित्व दिया जा सकता है;

(xii) चूँकि, मानचित्र निर्माण के बाद के चरण में अद्यतन स्वत्व, स्वामित्व एवं दखल तथा भूमि की अन्य आवश्यक विवरणी को ध्यान में रखते हुए आधारभूत अधिकार अभिलेख तैयार करना आवश्यक है तथा पूर्वोक्त तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को यह दायित्व एक नियमित आधार पर दिया जा सकता है;

(xiii) चूँकि, मानचित्र सहित, अधिकार अभिलेखों के संधारण की अन्तर्भूत कम्प्यूटरीकृत तथा डिजिटल व्यवस्था समस्त विकास प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक है तथा पूर्वोक्त तकनीकी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को यह दायित्व एक नियमित आधार पर दिया जा सकता है।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नरूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।–(1) यह अधिनियम **बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011** कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगा जो सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

अध्याय–1
परिभाषाएँ

2. परिभाषाएँ।–(1) इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885, बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त हस्तक, 1959 तथा बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 में उपबन्धित परिभाषाएं प्रचलित रहेंगी।

(2) **विशेष परिभाषाएँ।**–इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(i) "अधिनियम" से अभिप्रेत है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011;

(ii) "समाहर्त्ता" से अभिप्रेत है जिला का समाहर्त्ता;

(iii) "प्रारूप प्रकाशन" से अभिप्रेत है अधिकार–अभिलेख के प्रारूप का प्रकाशन, ताकि सर्वेक्षण प्राधिकारों के द्वारा की गयी प्रविष्टियों के बारे में जानने हेतु जनता को समर्थ किया जा सके। कोई भी व्यक्ति, जिसे प्रविष्टियों के विरुद्ध शिकायत हो, आपत्ति दायर कर सकेगा जिनकी सुनवाई एवं निपटारा किया जायेगा;

(iv) "सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार ;

(v) "अन्तिम प्रकाशन" से अभिप्रेत है खतियानों की स्वच्छ प्रतियाँ तैयार करना तथा सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यान्वयनों में उनका अन्तिम प्रकाशन;

(vi) "जाँच" से अभिप्रेत है आपत्तियों के निपटारे के बाद की गयी अभिलेखों की अन्तिम जाँच;

(vii) "खानापुरी" से अभिप्रेत है खतियान के स्तम्भों यथा– रैयत का नाम, खेसरा, दखल इत्यादि का सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यान्वयनों के प्रारम्भिक अभिलेख–लेखन चरण में, भरा जाना।

(viii) "खेसरा" से अभिप्रेत है मानचित्र के अनुसार क्रमानुसार संख्यांकित भूखण्डों की, दखलकारों, रकबा तथा भू–खंडवार वर्गीकरण दर्शानेवाली सूची;

(ix) "खतियान" से अभिप्रेत हैं भूमि की भू–खंड संख्या, रकबा, गुणवत्ता तथा दखल सहित रैयतों के अधिकारों का एक अभिलेख;

(x) "भूधारी" से अभिप्रेत है बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 में परिभाषित भूधारी;

(xi) "अनुज्ञप्तिधारी सर्वेयर" से अभिप्रेत भूखण्डों की नापी, माप के अनुसार स्केच मैप/मैप बनाने में तकनीकी रूप से अर्हताप्राप्त, सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्ती से सम्बन्धित कार्य तथा समय–समय पर यथा समनुदेशित ऐसे कार्य को क्रियान्वयन, के लिए निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार से अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति;

(xii) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम एवं इसके अधीन बनी नियमावली द्वारा विहित;

(xiii) "विहित फीस" से अभिप्रेत है अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर की सेवाएँ लेने के लिए रैयतों के द्वारा भुगतेय राशि;

(xiv) "पारिश्रमिक" से अभिप्रेत है अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर की सेवा लेने के लिए सरकार या किसी अन्य सार्वजनिक निकाय के द्वारा भुगतेय राशि;

(xv) ''किस्तवार'' से अभिप्रेत है कृषि के अनुसार भूमि का परिमापन तथा भूखंडकरण;

(xvi) ''मुकाबला'' से अभिप्रेत है तुलना;

(xvii) ''रदीफ'' से अभिप्रेत है व्यवस्थित करना;

(xviii) ''अधिकार–अभिलेख'' से अभिप्रेत है श्रेणी, स्वामित्व, स्वरूप, रकबा इत्यादि के साथ सर्वेक्षित भूमि की प्रविष्टि। अन्तिम प्रकाशन के बाद, इसकी शुद्धता की कानूनी उपधारणा होती है;

(xix) ''विश्रान्ति'' से सामान्यतया अभिप्रेत है वह चरण जिसके दौरान खानापुरी चरण के बाद वाले चरण के लिए अभिलेख तैयार किए जाते हैं;

(xx) ''पुनरीक्षण सर्वेक्षण'' से अभिप्रेत है भू–अभिलेखों को अद्यतन करने हेतु कैडस्ट्रल सर्वेक्षण के नील मानचित्र के आधार पर प्रारम्भ किए गए तथा संचालित सर्वेक्षण कार्यान्वयन;

(xxi) ''सफाई'' से अभिप्रेत है स्वच्छ प्रति तैयार करना;

(xxii) ''बन्दोबस्त'' से अभिप्रेत है किसी जिले या किसी क्षेत्र में भू–राजस्व निर्धारण निश्चित करने हेतु प्रचालित सर्वे का कार्यान्वयन;

(xxiii) ''राज्य'' से अभिप्रेत है बिहार राज्य;

(xxiv) ''तरमीम'' से अभिप्रेत है शुद्धीकरण आदेश का अनुपालन;

(xxv) ''तरतीब'' से अभिप्रेत है अभिलेखों का व्यवस्थापन; रैयतों के नामों के अनुसार खतियान को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करना।

अध्याय–2
विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त

3. राजपत्र में आशय की अधिसूचना।–राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, सरकार सम्पूर्ण राज्य या इसके किसी भाग में, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त चलाने का आशय अभिव्यक्त कर सकेगी।

4. चालू सर्वेक्षण कार्यान्वयनों का पुनर्गठन।–सरकार, आदेश के द्वारा, सम्बन्धित जिलों में चालू पुनरीक्षण सर्वे कार्यान्वयनों को, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप, जहाँ तक यह आवश्यक समझा जाए, विहित रीति से, लाने के लिए पुनर्गठन कर सकेगी तथा इस परिवर्त्तन के कारण पूर्ववर्त्ती कार्यवाहियों को किसी हद तक अवैध नहीं समझा जाएगा।

5. भूधारियों द्वारा स्वघोषणा।–धारा–3 के अधीन अधिसूचना के उपरान्त, कोई भूधारी अपने स्वामित्व के/धारित भू–खण्डों की, स्वघोषणा, विहित रीति से, सम्बन्धित अंचल कार्यालय/शिविर कार्यालय में समर्पित कर सकेगा। अंचल कार्यालय स्वघोषणा का सत्यापन उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर करेगा एवं सत्यापन प्रमाण–पत्र निर्गत करेगा।

6. आधुनिक तकनीक द्वारा किस्तवार।–(1) किसी राजस्व ग्राम के किस्तवार का क्रियान्वयन, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा, धरातल मानचित्रण, सीमांकन तथा जमीनी सत्यापन सहित, इस निमित्त अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जा सकेगा।

(2) किस्तवार कार्यान्वयन, स्थानीय स्तर पर, पंचायती राज संस्थाओं तथा सम्बन्धित ग्रामों की जनता की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने एवं सुविधा देने के लिए सम्यक् रूप से प्रचारित किया जायेगा।

7. खानापुरी दलों का गठन तथा अधिकार–अभिलेख प्रारुप की तैयारी।–(1) किस्तवार कार्यान्वयनों के लिए उत्तरदायी अभिकरण एवं अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयरों के सहयोग से आधारभूत अधिकार अभिलेख को अद्यतन तथा तैयार करने के लिए सम्बन्धित राजस्व ग्रामों में खानापुरी दलों का गठन किया जायेगा।

(2) खानापुरी दल में समाविष्ट होंगे :

(i) सम्बन्धित अंचल कार्यालय का एक पदाधिकारी/राजस्व कर्मचारी;

(ii) निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप के प्रतिनिधि;

(iii) कोई अन्य पदाभिहित पदाधिकारी/कर्मी।

(3) सरकार, रैयतों के लिए सूचनाओं की तैयारी एवं सम्बन्धित रैयतों को उनका तामिला करने तथा उनपर आपत्तियाँ आमंत्रित करने सहित, पूर्णतः या अंशतः प्रारम्भिक अधिकार अभिलेख की तैयारी में किसी निजी एजेन्सी को लगा सकेगी। सूचनाओं पर आपत्तियाँ विहित रीति से संग्रहित एवं संकलित की जाएंगी।

(4) आधारभूत अधिकार अभिलेख तैयार करते समय खानापुरी दल रैयती जोतों के अधिकार, स्वत्व तथा स्वामित्व के निर्धारण के विषय में अद्यतन जमीनी वास्तविकताओं, परिवर्त्तनों, अन्तरणों, उपविभाजनों, बंटवारों, आनुवंशिक न्यागमन, बदलैन तथा ऐसी अन्य बातों का ध्यान रखेगा।

(5) खानापुरी दल लोक भूमि, सरकारी भूमि, सार्वजनिक परिसम्पत्ति, संसाधन के रूप में ली जानेवाली भूमि तथा अन्य ऐसी भूमि की पहचान तथा सीमांकन करेगा एवं उसे अधिकार– अभिलेख में अभिलिखित करेगा।

(6) दावों एवं आपत्तियों, अगर कोई हों, का निपटारा कानूनगो/अंचल निरीक्षक/सहायक चकबंदी पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के कर्मचारी/पदाधिकारी द्वारा, विहित रीति से, किया जायेगाः

परन्तु लोक भूमि से सम्बन्धित दावों एवं आपत्तियों का निपटारा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी की पंक्ति से अन्यून पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

उपर्युक्त रीति से तैयार किए गए अधिकार–अभिलेख को अधिकार–अभिलेख प्रारुप कहा जाएगा।

8. खानापुरी अधिकार–अभिलेख प्रारुप का प्रकाशन।–किस्तवार एवं खानापुरी के दौरान तैयार किए गए मानचित्रों सहित अधिकार–अभिलेख प्रारुप को, सम्बन्धित राजस्व ग्राम में, इस सम्बन्ध में विहित प्रक्रिया के अनुसार, प्रकाशित किया जाएगा।

9. खानापुरी अधिकार–अभिलेख पर आपत्तियों को आमन्त्रित किया जाना।–सम्बन्धित राजस्व ग्राम में खानापुरी कार्यान्वयन के अन्त में दावों एवं आपत्तियों का आमंत्रण एवं संकलन किया जायेगा तथा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी की पंक्ति से अन्यून पदाधिकारी द्वारा, विहित रीति से, निपटारा किया जायगाः

परन्तु वैसे मामलों की, जिसमें दावों एवं आपत्तियों पर निर्णय इस अधिनियम की धारा–7 के अधीन सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी के द्वारा किया गया हो, सुनवाई एवं निपटारा उसी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

10. विश्रान्ति के दौरान कार्य।–अधिनियम की क्रमशः धारा–7 एवं 9 के अनुसार आपत्तियों तथा अपीलों के निपटारा के बाद, विश्रान्ति में जाँच, सफाई, मुकाबला, रदीफ, तरतीब, तरमीम इत्यादि विहित रीति से किये जाएंगे।

11. अधिकार–अभिलेख का अन्तिम प्रकाशन।–(1) अधिनियम की धारा–10 के अधीन विश्रान्ति के दौरान कार्य समापन के उपरान्त, किसी राजस्व ग्राम के अधिकार–अभिलेख का अन्तिम प्रकाशन, विहित रीति से, जिला के समाहर्त्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन किया जाएगा।

(2) अधिकार–अभिलेख के सम्बन्ध में दावे एवं आपत्तियाँ, उसके अंतिम प्रकाशन के 3 माह के भीतर दायर किये जा सकेंगे तथा वैसे दावों एवं आपत्तियों का निपटारा, विहित रीति से, भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

(3) अन्तिम रूप से प्रकाशित अधिकार–अभिलेख की एक प्रति सम्बन्धित अंचल कार्यालय को दिन–प्रतिदिन के राजस्व प्रशासन में अनुवर्त्ती कार्रवाई के लिए प्रेषित की जाएगी।

12. अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की उप–धारणा एवं शुद्धता।–(1) इस अधिनियम के अधीन अंतिम रूप से तैयार एवं प्रकाशित अधिकार–अभिलेख अंतिम रूप से प्रकाशित उपधारित किया जाएगा।

(2) राज्य सरकार, किसी क्षेत्र विशेष के सम्बन्ध में, अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि उस क्षेत्र के भीतर सभी ग्रामों के अधिकार–अभिलेखों को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है तथा उक्त अधिसूचना उस प्रकाशन का निर्णायक साक्ष्य मानी जाएगी।

(3) उस प्रकार प्रकाशित अधिकार–अभिलेख की प्रत्येक प्रविष्टि उक्त प्रविष्टि से सम्बन्धित विषय का साक्ष्य होगी, तथा उसे तबतक शुद्ध उपधारित किया जायेगा, जब तक साक्ष्य द्वारा उसे अशुद्ध साबित नहीं कर दिया जाता।

13. विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के बाद चकबन्दी।–(1) इस अधिनियम के अधीन विशेष सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त से आच्छादित राजस्व ग्रामों में बिहार जोत समेकन एवं खंडकरण निवारण अधिनियम, 1956 में यथा उपबन्धित चकबन्दी का प्रचालन किया जाएगा। विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त में लगे कार्यबल को, आवश्यकतानुसार चकबन्दी प्रचालनों में लगाया जा सकेगा।

(2) स्वैच्छिक चकबन्दी/भूमि के विनिमय को प्रोत्साहित किया जाएगा तथा उसके लिए सम्यक् लोक सूचना आधार सृजित किया जाएगा।

14. डिजिटल प्ररूप में अभिलेखों का संधारण।–सृजित अभिलेखों की प्रति को, विहित रीति से, डिजिटल प्ररूप में संधारित किया जा सकेगा।

अध्याय–3
अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर

15. अनुज्ञप्ति दिया जाना तथा सूचीकरण।–(1) निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार, इस निमित्त अधिकथित नियमों के अनुसार अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयरों के रूप में नामांकित होने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेंगे।

(2) अनुज्ञप्ति की मंजूरी हेतु इच्छुक आवेदक के पास इस निमित्त अधिकथित नियमों में तकनीकी अर्हता एवं अनुभव होना चाहिए।

(3) निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का नामांकन करेंगे तथा सूची को जिला समाहर्त्ताओं के पास जैसे, जब और जहाँ अपेक्षित हो, इस संबंध में निर्गत होनेवाले कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार, उपयोग हेतु भेज देंगे।

16. अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयरों के कर्त्तव्य।–

(i) यथा रैयतों के द्वारा आवेदित स्केच/स्केल मैप तैयार करना;

(ii) किसी सरकारी प्राधिकार या सार्वजनिक निकाय के द्वारा यथापेक्षित स्केल मैप तैयार करना;

(iii) भू–अर्जन कार्यवाहियों में अधियाची निकाय के द्वारा यथापेक्षित स्केल मैप तैयार करना;

(iv) कैडस्ट्रल तथा पुनरीक्षण सर्वेक्षणों के दौरान तैयार किए गए मानचित्रों को अद्यतन करना;

(v) आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किए गए डिजिटल मानचित्रों को सत्यापित करना एवं सरजमीन सत्यापन कार्य करना;

(vi) क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त प्रचालनों के दौरान, मानचित्र–निर्माण के बाद के चरण में अधिकार–अभिलेख तैयार करना, साथ ही, राजस्व कार्यालयों में संधारित राजस्व अभिलेखों के अद्यतनीकरण में सहायता पहुँचाना;

(vii) राजस्व कार्यालयों के बीच अन्तर–सम्बद्धीकरण में सहायता पहुँचाना;

(viii) चकबन्दी की कार्यवाहियों के दौरान मानचित्र एवं अधिकार–अभिलेख तैयार करना;

(ix) निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार/किसी जिला के समाहर्त्ता के द्वारा प्रदत्त कोई अन्य अनुषंगी दायित्व।

17. अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयरों के बीच कार्य–वितरण।– समाहर्त्ता या जिले का अन्य कोई राजस्व पदाधिकारी संबंधित राजस्व कार्यालय में उपलब्ध अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयरों के बीच कार्य का वितरण कर सकेगा।

18. फीस तथा पारिश्रमिक।—(1) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट प्राधिकार अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के लिए फीस/पारिश्रमिक निश्चित करने हेतु सक्षम होगा।

(2) धारा–5 में उपबंधित कार्य किसी निजी व्यक्ति को सेवाएँ अर्पित करने की दशा में वह व्यक्ति, आवेदन प्रपत्र के साथ, यथा विहित राशि संबंधित राजस्व कार्यालय में जमा करेगा। राजस्व पदाधिकारी फीस का कुछ हिस्सा, यथाविहित रीति से, वर्त्तमान अधिकार–अभिलेख की प्रतियाँ, अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर को आपूरित करने के निमित्त, अनुषंगी व्यय के रूप में काट लेगा। शेष राशि, बतौर फीस, उस अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर को, जिसे कार्य आवंटित हुआ हो, कार्य के संतोषजनक समापन के उपरान्त भुगतेय होगी।

(3) अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर के द्वारा तैयार किए गए स्केच मैप/स्केल मैप का संबंधित अंचल के पदाधिकारी/स्टाफ के द्वारा सत्यापन किया जाएगा तथा निष्कर्ष, लिखित रूप में, अभिलिखित किए जाएँगे। कार्य असंतोषजनक पाये जाने की दशा में, संबंधित अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर को, विषय, नए सिरे से कार्य क्रियान्वित करने के लिए, पुनर्प्रेषित कर दिया जाएगा।

(4) यदि किसी अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर को, किसी सरकारी विभाग, भू–अर्जन से सम्बन्धित अधियाची निकाय या किसी सार्वजनिक निकाय, संस्था या प्राधिकार के द्वारा, कोई कार्य सौंपा गया हो, तो अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर को, विहित रीति से, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

(5) यदि अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर को सर्वेक्षण, बन्दोबस्त या चकबन्दी प्रचालनों के दौरान मानचित्र/अधिकार–अभिलेख को तैयार करने से संबंधित या अधिकार–अभिलेख के अद्यतनीकरण तथा इसी प्रकार का कार्य दिया जाता है तो उसे, विहित रीति से, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

19. अनुज्ञप्ति का रद्दकरण।—कर्त्तव्यों की अवहेलना, असंतोषप्रद क्रिया–कलाप अथवा अन्य किसी सिद्ध कदाचार के मामले में, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप द्वारा या तो स्वप्रेरणा से अथवा जिला के समाहर्त्ता द्वारा इस आशय से की गयी अनुशंसा पर, अनुज्ञप्तिप्राप्त सर्वेयर की अनुज्ञप्ति रद्द की जा सकेगी।

अध्याय–4
विविध

20. अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी होना।—(1) तत्समय प्रवृत्त अन्य किसी विधि या परम्परा या प्रचलन, जिन्हें किसी विधि या संविदा या न्यायनिर्णय का बल प्राप्त हो, किसी न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार के डिक्री या आदेश में, अंतर्विष्ट इन प्रावधानों से असंगत होने पर भी इस अधिनियम के प्रावधान अभिभावी होंगे।

(2) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त हस्तक, 1959, तकनीकी नियमावलियों तथा बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973, में अधिकथित सर्वे एवं बन्दोबस्त के लिए प्रक्रिया, इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन निर्मित नियमों तथा उसके अधीन बनाये गए हस्तक तथा अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए, समय–समय पर, निर्गत मार्गदर्शनों द्वारा यथास्थिति, अवक्रमित, संशोधित या अनुपूरित मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण।— तत्समय प्रवृत्त उपयुक्त विधि के अधीन की गई पूर्व में सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यवाही इस अधिनियम के प्रवृत्त होने के बाद किसी भी हदतक अवैध नहीं मानी जायेगी।

21. कतिपय मामलों में राज्य का अनिवार्य पक्षकार होना।—(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के किसी प्रावधान में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, ऐसे मामलों में, जो ऐसी भूमि या उसके अंश से सम्बन्धित हों, जो पूर्व में किसी भी नामकरण से लोक भूमि के रूप में, अभिलिखित हो, राज्य एक अनिवार्य पक्षकार होगा।

22. कार्यवाहियों का संक्षिप्त निपटारा।—इस अधिनियम के अधीन सभी कार्यवाहियों का, इस अधिनियम के प्रावधानों एवं इसके अधीन निर्मित नियमों के अनुसार, संक्षिप्त निपटारा किया जाएगा।

23. अन्तिम प्रकाशन तक अधिकारिता का वर्जन।—इस अधिनियम में उपबंधित स्पष्ट रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, पटना उच्च न्यायालय तथा भारत के उच्चतम न्यायालय को छोड़कर, इस अधिनियम या इसके अध्यधीन निर्मित नियमों के अधीन किसी प्राधिकार के द्वारा पारित किसी आदेश या लिए गए निर्णय को निरस्त या उपांतरित करने हेतु या उसकी वैधता को प्रश्नगत करने वाले या इस अधिनियम के दायरे में पड़नेवाले किसी मामले के सम्बन्ध में किसी वाद या अन्य कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा जबतक इस अधिनियम की धारा–12 के अधीन अधिकार–अभिलेख का अन्तिम प्रकाशन नहीं हो जाता है।

24. निदेश देने की शक्ति।—राज्य सरकार, इस अधिनियम को प्रभावी करने के प्रयोजनार्थ, राज्य के अधीनस्थ किसी अधिकारी, प्राधिकार या व्यक्ति को यथोचित निदेश निर्गत करने में सक्षम होगी।

25. तकनीकी मार्गदर्शिका निर्मित करने की शक्ति।—निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार को, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए, तकनीकी मार्गदर्शिका निर्मित करने की शक्ति होगी।

26. सद्भाव से किए गए कार्यों का संरक्षण।—इस अधिनियम के अधीन या इसके अध्यधीन निर्मित नियमों के अधीन सद्भावना पूर्वक किए गए या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए, किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाहियाँ संस्थित नहीं की जाएंगी।

27. कठिनाइयाँ दूर करने की शक्ति।—यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार बिहार राजपत्र में आदेश द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों और प्रावधानों से संगत ऐसे प्रावधान कर सकेगी जो कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हो।

28. नियमावली बनाने की सरकार की शक्ति।—(1) इस अधिनियम के सभी प्रयोजनों या किसी प्रयोजन को क्रियान्वित करने के लिए, सरकार, राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा, नियमावली बना सकेगी।

(2) विशेष रूप से तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए नियम का प्रावधान कर सकेगी :—

(i) कार्यवाही के संक्षिप्त निपटारे की रीति;
(ii) सक्षम प्राधिकार के द्वारा प्रतिवेदन तथा रिटर्न समर्पित किए जाने की रीति;
(iii) सक्षम प्राधिकार के द्वारा आवेदनों की सुनवाई करने की रीति;
(iv) किसी धनराशि को सरकारी लेखा में जमा किए जाने की रीति;
(v) स्थानीय जांच पड़ताल के लिए नियुक्त कमीशन की शक्तियां;
(vi) अभिलेखों एवं पंजियों का संधारण एवं नोटिसों का प्रदर्शन;
(vii) दायर आवेदन या शिकायत दर्ज करने की रीति;
(viii) कोई अन्य विषय जिसे विहित किया जाना अपेक्षित हो या जिसे विहित किया जाए।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

---

22 दिसम्बर 2011

सं० एल०जी०-1-26/2011/243/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 20 दिसम्बर 2011 को अनुमत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
ओम प्रकाश सिन्हा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 24, 2011]

The Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011

AN

ACT

PREAMBLE :-(i) Whereas the preparation and maintenance of to-date record of rights is the basic plank on which revenue and land resource management and administration rest;

(ii) WHEREAS, experience shows that revisional survey and settlement operations, following conventional methods, in some parts of the State, have been long drawn out, cumbersome and exorbitantly expensive;

(iii) WHEREAS, revisional survey operations in Purnea, Katihar, Kishanganj and Araria were carried out from 1952 to 1986; in Muzaffarpur, Sitamarhi, Sheohar and Vaishali from 1959 to 1988; in Saharsa, Madhepura and Supaul from 1962 to 2002 and these operations are still on in Darbhanga, Madhubani and Samastipur since 1965; in Bhojpur, Buxar, Rohtas and Kaimur since 1959; in Gaya, Jahanabad, Arwal, Aurangabad and Nawada since 1965; Bhagalpur and Banka since 1965 and in Patna since 1986;

(iv) WHEREAS, the very purpose of a revisional survey and settlement is defeated if the time span on which it is undertaken is as long as reflected in the foregoing;

(v) WHEREAS, no revisional survey and settlement since cadastral survey could be carried out in 12 districts in Bihar, namely, Begusarai, Khagaria, Lakhisarai, Sheikhpura, Jamui and Munger in Munger Division; Saran, Siwan and Gopalganj in the Saran Division; East Champaran and West Champaran in the Tirhut Division and Nalanda in Patna Division;

(vi) WHEREAS, Continuous Khatian (Register-1B), Khesra Register and Register-II (Tenants' Ledger) supposed to be maintained in the Anchal Offices in an up-to-date manner, have

not been maintained as such, and consequently, transfers, successions, mutations, etc., taking place from time to time, have not been reflected therein;

(vii) WHEREAS, computerization of land records as sponsored by the Government of India some years ago has not followed a uniform approach;

(viii) WHEREAS, in the event of non-synchronisation of data put into the computer with to-date ground realities, there has been a gap between successive claims of title and a reflection of the same through land records;

(ix) WHEREAS, modern technology is available to minimize time spent on survey part, while the settlement aspect may be judiciously squeezed without sacrificing quality, transparency and grievance redressal;

(x) WHEREAS, land remaining the mainstay of development activities, current title, possession and classification of lands needs to be ascertained conclusively in order that land acquisition operations are not vitiated by unfounded assertions, fraud and fabrication and also that agricultural credit, subsidy, relief and insurance related activities are carried on smoothly.

(xi) WHEREAS, digital maps prepared through modern technology need be verified and compared with the maps prepared through conventional methods as well as a ground truthing of the same is necessary, the technically qualified Licensed Surveyors may be assigned with this task.

(xii) WHEREAS, in the post - mapping stage, it will be necessary to prepare basis record of rights taking into account the up-to-date title, ownership and possession and other requisite details of land, and the aforesaid technically qualified persons may be assigned with this task on an on-going basis.

(xiii) WHEREAS, an in-built computerized and digital system of the maintenance of the Record of Rights including maps in a sine-qua-non for all development processes and the aforesaid technically qualified persons may be assigned with this task on a regular basis.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Sixty Second year of the Republic of India as follows-

1. *Short title, extent and commencement.*— (1) This Act may be called the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011.

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force from such date which the Government may appoint by notification in the official gazette.

CHAPTER-I
Definitions

2. *Definitions.*- **(1)** In this Act, unless otherwise requires in the context, definitions provided in the Bihar Tenancy Act, 1885, the Bihar Survey and Settlement Manual, 1959 and the Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973 shall remain prevailing.

(2) *Special definitions.*-In the Act, unless otherwise required in the context -

(i) "Act" means The Bihar Special Survey & Settlement Act, 2011**;**

(ii) "Collector" means the Collector of the district;

(iii) "Draft Publication" means the publication of the draft of Record of Rights so as to enable the public to know about the entries made by the survey authorities. Anybody having grievances against the entries may file objections which shall be heard and be disposed off;

(iv) "Government" means the Government of Bihar;

(v) "Final Publication" means fair copying of khatians and their final publication in survey and settlement operations;

(vi) "Jaanch" means final checking of records, made after the disposal of objections;

(vii) "Khanapuri" means the filling up of khatian's columns like raiyat's name, the khesra, possession, etc. in the preliminary record-writing stage of survey and settlement operations;

(viii) "Khesra" means the list showing of plots serially numbered according to the map showing occupants, area and classification plot by plot;

(ix) "Khatian" means a record of raiyats' rights including plot number, area, quality and possession of land;

(x) "Land Holder" means land holder as defined in the Bihar Tenancy Act, 1885;

(xi) "Licensed Surveyor" means a person technically qualified to measure, draw sketch map/map according to the scale of plots and holding license from the Director, Land Records & Survey, Bihar to carry out work relating to survey and settlement and such other work as is assigned to him from time to time;

(xii) "Prescribed" means prescribed by the Act and Rules made there under;

(xiii) "Prescribed fee" means amount payable by raiyats for obtaining the services of the licensed surveyor;

(xiv) "Remuneration" means amount payable by the Government or any other public body for taking the services of the licensed surveyor;

(xv) " Kistwar" means the measurement and plotting of land according to cultivation;

(xvi) "Muqabla" means comparison;

(xvii) "Radif" means to arrange;

(xviii) "Record of rights" means entries of the surveyed land along with their category, ownership, nature, area, etc. After final publication it carries a statutory presumption of correctness;

(xix) "Recess" ordinarily means the stage during which records are prepared for the stage next to the khanapuri stage;

(xx) "Revisional Survey" means survey operations initiated and conducted on the basis of the blue print map of the cadastral survey in order to update the lord records;

(xxi) "Safai" means fair copying;

(xxii) "Settlement" means survey operations conducted in a district or in an area in order to determine land revenue assessment;

(xxiii) "State" means the State of Bihar;

(xxiv) "Tarmim" means compliance of order of correction;

(xxv) "Tartib" means arrangement of record; alphabetical arrangement of Khatian according to names of raiyats.

CHAPTER-II
Special Survey and Settlement

3. *Notification of intention in the official gazette.*—The Government may, by a notification in the official gazette, express its intention to carry out special survey and settlement in a part or the whole of the State, in accordance with the provisions of this Act.

4. *Re-organizing on-going survey operations.*—The Government may, by order, reorganize the ongoing revisional survey operations in the districts concerned, to bring the same in conformity with the provisions of this Act, so far as it may be deemed necessary, in the prescribed manner and the earlier proceedings shall not be construed to be illegal to any extent, on account of this shift.

5. *Self declaration by land holders.*—After notification under section-3 a land holder may submit in the concerned Anchal Office/Camp Office, a self declaration of plots owned/held by him in the prescribed manner. The Anchal Office shall verify the self declaration on the basis of the available records and issue verification certificate.

6. *Kistwar by modern technology.*— (1) Kistwar of a revenue village may be carried out by modern technology inclusive of base mapping, demarcation and ground truthing in accordance with the procedure laid down in this behalf.

(2) Kistwar operations shall be duly publicised at the local level to ensure and facilitate active participation by the Panchayati Raj Institutions and people of the villages concerned.

7. *Constitution of khanapuri parties and the preparation of the draft record of rights.*— **(1)** Khanapuri parties shall be constituted in the revenue villages concerned to update and prepare

basic record of rights in collaboration with the agency responsible for kistwar operations and licensed surveyors**.**

(2) A khanapuri party shall comprise of :

(i) An officer/revenue employee of the Anchal office concerned,

(ii) Representative of the Director, Land Records & Survey.

(iii) Any other designated officer or employee.

(3) The Government may engage a private agency in the preparation of preliminary record of rights in whole or in part, including preparation of notices for the raiyats and their service to the raiyats concerned and inviting objections thereon. Objections to the notices shall be collected and compiled in the prescribed manner.

(4) While preparing the basic record of rights, the khanapuri party shall take into account to-date ground realities, changes, transfers, sub-divisions, partitions, hereditary devolution, exchanges and the like in matters of determining right, title and ownership of the raiyati holdings.

(5) The khanapuri party shall identify and demarcate public lands, Government lands, lands treated as common property resources and the like and record the same as such in the Record of Rights.

(6) Claims and objections, if any, shall be disposed of in the prescribed manner by an employee/officer not below the rank of Kanoongo/Circle Inspector/ Assistant Consolidation Officer.

Provided claims and objections with regard to Public Land shall be disposed of by an officer not below the rank of Assistant Settlement Officer/ Circle officer/ Consolidation Officer.

The land records prepared in the aforesaid manner shall be called the Draft Record of Rights.

8. *Publication of the draft khanapuri record of rights.*—The draft record of rights, including maps, prepared during kistwar and khanapuri, shall be published in the concerning revenue village in accordance with the procedure laid down in this behalf.

9. *Inviting objections to the khanapuri record of rights.*—Claims and objections shall be invited and compiled at the end of the khanapuri operations in the revenue village concerned and shall be heard and disposed of in the prescribed manner by an officer not below the rank of Assistant Settlement Officer/ Circle Officer/ Consolidation Officer.

Provided cases in which claims and objections have been decided under section-7 of this Act by an officer of the rank of Assistant Settlement Officer/ Circle Officer/ Consolidation Officer, shall not be heard and disposed of by the same Officer.

10. *Work during recess.*— After the disposal of objections and appeals in accordance with Section 7 and 9 of the Act respectively, Jaanch, Safai, Muqabla, Radif, Tartib, Tarmim, etc. shall be carried out in recess, in the prescribed manner.

11. *Final publication of the record of rights.*—(**1**) The record of rights of a revenue village shall be published finally under the hand and seal of the Collector of the District, in prescribed manner, after the conclusion of work during recess under Section 10 of the Act.

(2) Claims and objections with regard to the record of rights may be filed within 3 months of its final publication and such claims and objections shall be heard and disposed of in the prescribed manner by an officer not below the rank of Land Reforms Deputy Collector.

(3) A copy of the finally published record of rights shall be sent to the concerning Anchal Office for follow up action in day-to-day revenue administration.

12. *Presumption of final publication and correctness of record of rights.*—(1) The record of rights finally prepared and published under this Act, shall be presumed to have been finally published.

(2) The State Government may, by notification, declare, with regard to any specified area, that a record of rights has been finally published for every village included in such area and such notification shall be conclusive evidence of such publication.

(3) Every entry in a record of rights so published shall be evidence of the matter referred to in such entry and shall be presumed to be correct unless it is proved by evidence to be incorrect.

13. *Consolidation to follow special survey & settlement.*—(1) Consolidation operations, as provided in The Bihar Consolidation of Holdings & Prevention of Fragmentation Act, 1956 shall be made in the revenue villages covered by special survey and settlement under this Act. The workforce engaged in special survey and settlement may be engaged, as per need, in Consolidation operations.

(2) Voluntary consolidation/exchange of land shall be encouraged and due public information base shall be created for the same.

14. *Maintenance of records in digital form.*—Copy of created records may be maintained in digital form in the prescribed manner.

CHAPTER-III
Licensed Surveyor

15. *Granting of license and enrolment.*—(1) The Director of Land Records & Survey, Bihar shall invite applications from persons desirous of being enrolled as licensed surveyors as per Rules laid down in this behalf.

(2) The applicant desirous for the grant of license should possess technical qualifications and experience prescribed in the Rules laid down in this behalf.

(3) The Director of Land Records & Survey, Bihar shall enroll the qualifying candidates and send the list to the District Collectors for use as and when and where required in accordance with executive instructions to be issued in this regard.

16. *Duties of the licensed surveyors.*—

(i) to prepare sketch map/ map to scale as applied for by the raiyats;
(ii) to prepare map to scale as required by a Government authority or Public Body;
(iii) to prepare map to scale as required by the requisitioning body in the land acquisition proceedings;
(iv) to update maps prepared in course of cadastral and revisional surveys;
(v) to verify digital maps prepared through modern technology and carry out ground truthing exercises;
(vi) to prepare record of rights in the post-mapping stage, during field survey and settlement operations as well as facilitate updating of land records maintained in the revenue offices;
(vii) to facilitate inter-connectivity among revenue offices;
(viii) to prepare maps and record of rights during Consolidation Proceedings;
(ix) any other incidental liability conferred by the Director of Land Record and Survey, Bihar/Collector of any District.

17. *Distribution of work among licensed surveyors.*— The Collector or any other revenue officer in a District shall distribute work among licensed surveyors, whose rolls are available in the revenue office concerned.

18. *Fees & Remuneration.*—(1) The authority nominated by the State Government shall be competent to decide the fee/remuneration for different works/services to be rendered by the Licensed Surveyors.

(2) In case the work as provided in Section 5 pertains to rendering services to a private individual, the individual shall, along with an application form, deposit such amount as is prescribed, in the revenue office concerned. The revenue officer shall deduct a part of the fees as incidental costs for supplying copies of the existing record of rights to the licensed surveyor in the prescribed manner. The rest of the amount shall be payable to the licensed surveyor to whom the work is allotted, as fees, on satisfactory completion of the work.

(3) The sketch map/ map to scale, as prepared by the licensed surveyor, shall be verified by the officer/staff of the Anchal concerned and findings shall be recorded in writing. In case the work is found unsatisfactory, the matter shall be remitted back to the licensed surveyor concerned for carrying out the exercise afresh.

(4) In case, a work has been assigned to the licensed surveyor by a Government department, Requisitioning Body relating to land acquisition or any public body, institution or authority, the licensed surveyor shall be paid remuneration in the prescribed manner.

(5) In case, the licensed surveyor is assigned work pertaining to the preparation of maps/ record of rights during survey, settlement and consolidation operations or updating of records of rights and the like, he shall be paid remuneration in the prescribed manner.

19. *Cancellation of license.*—In case of dereliction of duties, unsatisfactory activities or any other proven misconduct, the Director Land Records and Survey may either suo motu or on the recommendation of the Collector of the District to this effect may cancel the license of the licensed surveyor.

CHAPTER-IV
Miscellaneous

20. *Act to override other laws.*—(1) The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force, of any customs or usages having the force of law or contract or judgment, decree or order of the court or any other authority.

(2) The procedure for survey and settlement as laid down in the Bihar Tenancy Act,1885, The Bihar Survey and Settlement Manual, 1959 Technical Rules and The Bihar Tenants' Holdings (Maintenance of Records) Act, 1973

shall be deemed to be superseded, modified or supplemented, as the case may be, by the provisions of this Act, Rules and Manual made hereunder and guidelines issued from time to time to give effect to the provisions of this Act.

Explanation.- Earlier Survey & Settlement proceedings carried out under the appropriate law for the time being in force, shall not be construed to be illegal, to any extent, after coming into force of this Act.

21. *State to be a necessary party in certain cases.*—(1) Notwithstanding any thing contained in any provision in any law for the time being in force, in cases concerning a land or a portion thereof, recorded previously as public land, under whatever nomenclature, the State shall be a necessary party.

22. *Summary disposal of proceedings.*—All proceedings under this Act shall be disposed off summarily in accordance with the provisions of the Act and Rules framed hereunder.

23. *Bar of Jurisdiction until final publication.*—Save as otherwise expressly provided in this Act, no Court, except the Patna High Court and the Supreme Court of India, shall entertain any suit, or other proceeding to set aside, or modify or question the validity of an order or decision passed or taken by an authority under this Act or any rules made thereunder or in respect of any matter falling within the scope of this Act, until and unless the record of rights is finally published under Section-12 of this Act.

24. *Power to give directions.*—For the purpose of giving effect to the provisions of this Act, it shall be competent for the State Government to issue such directions as they may deem fit to any officer, authority or person subordinate to the Government.

25. *Power to frame technical guidelines.*—The Director, Land Records & Survey, Bihar shall have the power to frame technical guidelines to carry out all or any of the purposes of this Act.

26. *Protection of action taken in good faith.*—No suit, prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything which is in good faith done or intended to be done.

27. *Power to remove difficulties.*— If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by an order in the Bihar Gazette, make such provisions not inconsistent with the purposes or provisions of this Act as appear to be necessary or expedient to remove the difficulty.

28. *Power of the Government to make rules.*—(1) The Government may, by notification in the official gazette, make rules for carrying out all or any of the purposes of the Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers the rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(i) the manner in which summary disposal of proceedings shall be carried out.
(ii) the manner in which reports and returns are to be submitted by the competent authority;
(iii) the manner in which applications shall be heard by the competent authority;
(iv) the manner in which any amount shall be deposited in the Government account;
(v) the powers of the Commission appointed for local enquiry;
(vi) the maintenance of records and registers and display of notices;
(vii) the manner in which application or complaint shall be filed;
(viii) any other matter which is required to be, or may be prescribed.

By Order of the Governor of Bihar,
OM PRAKASH SINHA,
Joint Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 800-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आषाढ़ 1934 (श0)

(सं0 पटना 328) पटना, वृहस्पतिवार, 12 जुलाई 2012

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचनाएं

11 जुलाई 2012

सं० 8/नियम संशोधन (सर्वे०)–08–02/2012–590(8)—बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2012 की धारा–28 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित नियमावली बनाती है :–

अध्याय–I

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।–(1) यह नियामवली "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तिथि से प्रवृत्त होगी जो सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाय।

2. परिभाषाएं।–इस नियमावली में जबतक कुछ भी विषय या सन्दर्भ में विरूद्ध न हो, बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा–2 में दिए गए शब्दों की परिभाषाएं बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 में लागू होंगी।

अध्याय–II

अधिसूचना एवं उद्घोषणा

3. अधिसूचना।– (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन के माध्यम से विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालित करने हेतु अपना आशय अभिव्यक्त करेगी।

(2) पूर्वगामी नियम– 3 (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की प्रतियाँ केन्द्र/राज्य सरकार के विभिन्न कार्योलयों को भी विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन के दौरान प्रविष्टियों से सम्बन्धित अपने दावा/आक्षेप, अगर कोई हो, करने हेतु समर्थ करने के लिए अग्रसारित की जाएंगी ताकि उनके द्वारा धारित/स्वामित्व की भूमि का सही रूप से अधिकार–अभिलेख तैयार किया जा सके।

4. उद्घोषणा ।– (1) भू–खण्डों के सीमा–चिह्नों को बताने के प्रयोजनार्थ अपनी भूमि का सीमांकन करने हेतु उन्हें निदेशित करने के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी,विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालन के अधीन भूमि के भू–स्वामियों/हित रखने वाले व्यक्तियों को सम्बोधित **प्रपत्र–1** में एक उद्घोषणा प्रकाशित करेगा।

(2) पूर्वगामी नियम–4 (1) के अधीन उद्घोषणा के प्रकाशन के उपरान्त, बन्दोबस्त पदाधिकारी अथवा बन्दोबस्त पदाधिकारी की अधिकारिता में कार्यरत कोई अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी को, विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त के अधीन भूमि में प्रवेश करने, जांच करने तथा वैसी भूमि का किसी पद्धति जैसा वह उचित समझे, द्वारा मापी करने की शक्ति होगी तथा सर्वेक्षण के प्रयोजनार्थ किसी पेड़, जंगल, खड़ी फसल अथवा अन्य बाधा को काटकर अथवा हटाकर, जैसा आवश्यक हो, भूमि को साफ करने की शक्ति होगी। तथापि उपर्युक्त कार्रवाई के लिए खर्च के संबंध में कोई दावा या प्रतिकर का दावा नहीं किया जा सकेगा।

अध्याय–III
चालू सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालनों का पुनर्गठन

5. चालू सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालनों का पुनर्गठन ।– सरकार, कार्यपालक आदेश द्वारा, किसी जिला में चालू सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रचालनों को बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 के प्रावधानों के अनुरूप लाने के लिए पुनर्गठित कर सकेगी।

अध्याय–IV
स्वघोषणा

6. **भू–धारी द्वारा स्वघोषणा एवं इसका सत्यापन।**–(1) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 के नियम 3(1) के अधीन, अधिसूचना के प्रकाशन के उपरान्त, भू–स्वामी/भू–धारी अपने स्वामित्व/धारित भूमि से संबंधित स्वघोषणा **प्रपत्र–2** में, दो प्रतियों में, समर्पित कर सकेगा। स्वघोषणा की एक प्रति, प्राप्त करने वाले पदाधिकारी/कर्मचारी के द्वारा अपना हस्ताक्षर, तिथि एवं क्रम संख्या अंकित कर, उसकी पावती के प्रमाण के रूप में, सम्बन्धित व्यक्ति को दी जाएगी।

(2) स्वघोषणा, नियम 3(1) के अधीन, अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 कार्य–दिवसों के भीतर समर्पित की जाएगी। तथापि, विशेष परिस्थिति में यह अवधि 15 अतिरिक्त कार्य दिवसों के लिए बढ़ायी जा सकती है।

(3) स्वघोषणा, सम्बन्धित अंचल अधिकारी/सम्बन्धित शिविर के प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष समर्पित की जा सकती है।

(4) अगर स्वघोषणा, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष समर्पित की जाती है तो उसे पूर्वगामी उप–नियम–(1) में प्रावधानित रीति से प्राप्त किया जाएगा तथा उसे सम्बन्धित अंचल के अंचल अधिकारी को, उसके सत्यापन हेतु अग्रसारित कर दिया जाएगा।

(5) अंचल अधिकारी, स्वघोषणा के ब्योरे को राजस्व अभिलेखों, यथा अंतिम अधिकार–अभिलेख, पंजी–1 ख अर्थात् चालू खतियान, पंजी–2 अभिधारी खाता–पंजी या अपने स्तर पर संधारित किए जाने वाले उपलब्ध उसी प्रकार के किसी राजस्व अभिलेख के आधार पर सत्यापित करेगा।

(6) स्वघोषणा के सत्यापन की अधिकतम अवधि, स्वघोषणा की प्राप्ति की तिथि से, 15 कार्य–दिवस की होगी।

(7) स्वघोषणा के सत्यापन के उपरान्त, अंचल अधिकारी **प्रपत्र–3** में सत्यापन प्रमाण–पत्र तैयार करेगा तथा उसे सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराएगा।

(8) कोई स्वघोषणा, जिसे अंचल अधिकारी द्वारा सुसंगत अभिलेखों की अनुपलब्धता अथवा किसी विवाद के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका हो, उसके सत्यापन नहीं होने का संक्षिप्त कारण देते हुए, **प्रपत्र–4** में एक पृथक पंजी में रखा एवं संधारित किया जाएगा तथा स्वघोषणाओं सहित पंजी सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को भेज दी जायेगी।

अध्याय–V
किस्तवार

7. आधुनिक तकनीक द्वारा किस्तवार।–(1) किसी राजस्व ग्राम के किस्तवार का क्रियान्वयन, आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से, धरातल मानचित्रण, भू–खण्डों के साथ राजस्व ग्राम का सीमांकन तथा स्थल सत्यापन द्वारा किया जाएगा।

(2) राजस्व मानचित्र, भू–खण्डों की सघनता को ध्यान में रखते हुए, विभिन्न पैमानों पर तकनीकी ब्योरा, शीर्षक, तथा मानचित्र से सम्बन्धित कोई अन्य प्रासंगिक ब्योरा निगमित करते हुए, तैयार किया जाएगा ताकि किसी भी भू–खण्ड तथा उसकी चौहद्दी स्पष्ट रूप से दर्शायी एवं मापी जा सके।

(3) उस प्रकार तैयार मानचित्र, सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को, उसके सत्यापन हेतु उपलब्ध कराया जायेगा। अमीन, मानचित्र के शत–प्रतिशत भू–खण्डों का सत्यापन करेगा तथा कानूनगो, सहायक बन्दोबस्त

पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी बेतरतीब रूप से क्रमशः 25%, 10%, 2%, तथा 1% भू–खण्डों की जाँच करेंगे।

(4) मानचित्र का सत्यापन, विगत सर्वेक्षण के मानचित्र से तुलना के साथ–साथ विद्यमान भू–खण्डों के रकबा एवं चौहद्दी के स्थल सत्यापन द्वारा क्रियान्वित किया जायेगा।

(5) राजस्व ग्राम के मानचित्र सत्यापन, मानचित्र प्राप्ति की तिथि से 30 कार्य–दिवसों से अनधिक अवधि के भीतर, पूर्ण कर लिया जायेगा।

(6) उस प्रकार तैयार मानचित्र, आवश्यक संशोधन के उपरान्त सम्बन्धित राजस्व ग्राम के ग्राम पंचायत के कार्यालय के साथ–साथ शिविर कार्यालय के सूचना पटों पर आम जनता हेतु उपदर्शित रहेगा।

अध्याय–VI
खानापुरी

8. खानापुरी दल का गठन ।– (1) सम्बन्धित जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा, राजस्व ग्राम–वार, खानापुरी दलों का गठन निम्नलिखित को मिलाकर कर किया जायेगा :–

(i) सम्बन्धित अंचल कार्यालय का एक पदाधिकारी/राजस्व कर्मचारी;

(ii) निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार का प्रतिनिधि;

(iii) कोई अन्य पदाभिहित पदाधिकारी /कर्मी;

(2) खानापुरी दल का गठन सम्बन्धित जिला के राजपत्र में प्रकाशित किया जायेगा।

(3) खानापुरी दल का नेतृत्व कानूनगो अथवा समकक्ष श्रेणी के एक पदाधिकारी/कर्मचारी द्वारा किया जायेगा।

(4) उपर्युक्त रीति से गठित खानापुरी दल, सम्बन्धित क्षेत्र के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा।

9. खानापुरी कार्य ।–(1) किसी राजस्व ग्राम में खानापुरी कार्य–आरम्भ करने के पूर्व, ग्राम–वार तेरीज अर्थात विगत अधिकार–अभिलेख का संक्षिप्त सार तथा खेसरा पंजी, तीन प्रतियों में, क्रमशः **प्रपत्र–5** एवं **प्रपत्र–6** में तैयार किये जाएंगे।

(2) अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत तथा सम्बन्धित शिविर के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी को उपलब्ध कराए गए रैयतों की स्वघोषणा के सम्बन्ध में सत्यापन प्रमाण–पत्र का, शिविर में तेरीज तथा खेसरा पंजी की सहायता से, पुनर्सत्यापन किया जाएगा।

(3) स्वघोषणा का, जिसे अंचल अधिकारी द्वारा सुसंगत राजस्व अभिलेखों की अनुपलब्धता अथवा विवाद के कारण सत्यापित नहीं किया जा सका हो, खानापुरी दल द्वारा उपलब्ध अभिलेखों यथा तेरीज, खेसरा पंजी इत्यादि के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(4) खानापुरी दल, सम्बन्धित राजस्व ग्राम के प्रत्येक खेसरा के किस्तवार के उपरान्त उपलब्ध कराए गए मानचित्र के साथ भौतिक सत्यापन करेगा एवं खेसरा की आकृति में सभी प्रकार के परिवर्तन तथा अन्य परिवर्तन भी, यदि कोई हो, दर्ज करेगा। मानचित्र में दर्शाए गए रकबा एवं चौहद्दी से यदि कोई खेसरा अन्तर आता है, तो खानापुरी दल उसे मानचित्र में लाल स्याही से भर देगा। यदि कोई खेसरा दो या अधिक भागों में उप विभक्त पाया जाता है तो प्रत्येक वैसे खण्ड के लिए एक अलग ''बटा संख्या (विभक्ति संख्या)'' दी जाएगी, तथा वैसे मामलों में खेसरों के उप–विभाजन को टूटी हुई रेखा में दर्शाया जायेगा। तदनुसार सम्बन्धित राजस्व ग्राम के मानचित्र को परिवर्तित/शुद्ध किया जाएगा। अमीन राजस्व ग्राम के शत–प्रतिशत खेसरों का सत्यापन करेगा तथा कानूनगो, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, प्रभारी पदाधिकारी एवं बन्दोबस्त पदाधिकारी बेतरतीब रूप से क्रमशः 25%, 10%, 2% तथा 1% खेसरों का सत्यापन करेंगे।

(5) क्षेत्रीय सत्यापन के दौरान, खानापुरी दल लोकभूमि, सरकारी भूमि की पहचान एवं सीमांकन करेगा तथा उसे प्रारम्भिक अधिकार–अभिलेख में अभिलिखित करेगा।

(6) सत्यापन के उपरान्त, उपलब्ध संदर्भ राजस्व अभिलेखों, स्वघोषणा के सत्यापन प्रमाण–पत्रों के साथ–साथ वास्तविक क्षेत्रीय सत्यापन के आलोक में खानापुरी दल रैयत–वार **प्रपत्र–7** में खानापुरी पर्चा तैयार करेगा।

(7) **प्रपत्र–7** में तैयार किया गया खानापुरी पर्चा, सरकारी भूमि/लोक भूमि से सम्बन्धित पदाधिकारियों सहित भू–धारी/स्वामी को तामील किया जाएगा। भू–धारी/स्वामी को, सुविधाजनक स्थान एवं नियत तिथि एवं समय पर खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों से अवगत भी कराया जाएगा।

(8) **प्रपत्र–7** में तैयार पर्चा, सम्बन्धित रैयत अथवा उसके निकट सम्बन्धी को तामील किया जाएगा। तथापि, यदि वह पर्चा प्राप्त करने से इन्कार करता है तो उसे घर के सामने वाले दरवाजा/दीवार पर चिपकाकर उसका तामील किया जाएगा। पर्चा तामील करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति, जहाँ तक सम्भव हो, पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम चौकीदार तथा अन्य स्थानीय निवासियों का हस्ताक्षर तामील–प्रतिवेदन पर प्राप्त करेगा और वह खानापुरी पर्चा का उचित तामील माना जाएगा।

(9) भू–धारी/स्वामी अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/लोक प्रतिष्ठान/स्थानीय निकाय के सम्बन्धित कार्यालयों के प्रतिनिधियों सहित भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति द्वारा खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों के विरूद्ध

प्रपत्र–8 में दावा/आक्षेप दायर किया जा सकेगा तथा **प्रपत्र–9** में उसके लिए संस्वीकृति के प्रमाण के रूप में एक रसीद सम्बन्धित व्यक्ति को निर्गत की जाएगी।

(10) भू–धारी/स्वामी अथवा भूमि में हित रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति से, सम्बन्धित शिविर कार्यालय में प्राप्त किया गया दावा/आक्षेप को **प्रपत्र–10** में एक पृथक पंजी में संधारित किया जाएगा।

(11) खानापुरी पर्चा तैयार करने एवं उसके तामील करने में निजी एजेन्सियाँ लगायी जा सकेंगी। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा इसके सम्बन्ध में विस्तृत आदेश निर्गत किया जाएगा। निजी एजेन्सियों द्वारा उपर्युक्त कार्य करने के लिए, निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा, समय–समय पर, पारिश्रमिक/दर नियत की जाएगी।

10. खानापुरी के दौरान दावों/आक्षेपों का निपटारा।–(1) सम्बन्धित कानूनगो/अंचल निरीक्षक/सहायक चकबन्दी पदाधिकारी, दावों/अक्षेपों के निपटारे के लिए सम्बन्धित पक्षकारों को, **प्रपत्र–11** में दावा/आपत्ति का संक्षिप्त विवरण के अलावे सुनवाई का स्थान, तिथि एवं समय का स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए पृथक सूचनाएँ निर्गत करेगा।

(2) सम्बन्धित पक्षकारों को सुनवाई तथा साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाएगा।

(3) कानूनगो/अंचल निरीक्षक/सहायक चकबंदी पदाधिकारी द्वारा दावों/आक्षेपों का निपटारा, संक्षिप्त रीति से दावों/आक्षेपों के दायर होने की तिथि से अधिकतम 30 कार्य–दिवस के भीतर, एक तर्कसंगत आदेश पारित कर के, किया जाएगा

परन्तु यदि दावे/आक्षेप सरकारी/लोक भूमि के सम्बन्ध में दायर किय गये हो तो उनकी सुनवाई एवं निपटारा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के किसी पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।

(4) सूचना के समुचित तामील के बाद भी यदि पक्षकारों में से कोई उपस्थित नहीं होता है, तो दावों/आक्षेपों का, उपलब्ध राजस्व अभिलेखों एवं स्थल सत्यापन के आधार पर, एकपक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

अध्याय–VII
खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन

11. खानापुरी अधिकार–अभिलेख प्रारूप की तैयारी।–(1) खानापुरी कार्य पूर्ण होने के उपरांत, मानचित्र के साथ–साथ खानापुरी पर्चा की प्रविष्टियों के विरूद्ध खानापुरी प्रचालन के दौरान प्राप्त दावों/आक्षेपों के सम्बन्ध में आदेशों को निगमित करते हुए **प्रपत्र–12** में खानापुरी अधिकार अभिलेख का प्रारूप तैयार किया जाएगा।

(2) मानचित्र सहित खानापुरी–अधिकार–अभिलेख शिविर के प्रभारी सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये जाएंगे।

12. खानापुरी अधिकार–अभिलेख प्रारूप का प्रकाशन।–(1) नियम 11 (1) के अधीन तैयार किया गया तथा नियम 11 (2) के अधीन सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित किये गये मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार अभिलेख प्रारूप लगातार 30 दिनों की अवधि के लिए निम्नलिखित रीति से प्रकाशित किया जाएगाः–

(i) उसे सम्बन्धित विशेष सर्वे/बन्दोबस्त शिविर में प्रदर्शित करके;

(ii) उसे सम्बन्धित राजस्व ग्राम में किसी सहजदृश्य सार्वजनिक स्थल पर प्रदर्शित करके;

(iii) उसे सम्बन्धित राजस्व ग्राम के ग्राम पंचायत कार्यालय के सूचना पट पर प्रदर्शित करके;

(iv) उसे संबंधित अंचल कार्यालय के सूचना–पट्ट पर प्रदर्शित करके।

(2) नियम 12(1) के अधीन प्रकाशित मानचित्र सहित खानापुरी अधिकार–अभिलेख प्रारूप आम जनता के परिशीलनार्थ विशेष सर्वेक्षण/बन्दोबस्त शिविर कार्यालय में मुफ्त उपलब्ध रहेगा।

(3) मानचित्र की गैर अन्तिम प्रति इच्छुक रैयतों/भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को, निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा यथा नियत फीस के भुगतान पर उपलब्ध करायी जायेगी।

13. अधिकार–अभिलेख प्रारूप की प्रविष्टियों के विरूद्ध दावा/आक्षेप दायर किया जाना।–(1) नियम 12 (1) के अधीन खानापुरी अधिकार–अभिलेख प्रारूप के प्रकाशन के साथ ही साथ, सम्बन्धित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, सम्बन्धित मानचित्र में दर्शाए गए भूखण्डों की आकृति सहित अधिकार–अभिलेख की प्रविष्टियों के विरूद्ध दावा/आक्षेप, यदि कोई हो, को आमंत्रित करने के लिए **प्रपत्र–13** में एक आम सूचना निर्गत करेगा।

(2) राजस्व ग्राम के एक प्रमुख सार्वजनिक स्थान पर, संबंधित ग्राम पंचायत तथा सम्बन्धित विशेष सर्वेक्षण/बन्दोबस्त शिविर के सूचना पटों पर चिपकाकर, आम सूचना प्रदर्शित की जायेगी।

(3) आम सूचना में स्पष्ट रूप से उल्लेख रहेगा कि मानचित्र सहित अधिकार–अभिलेख की प्रविष्टियों के विरुद्ध दावा/आक्षेप यदि कोई हो, अधिकार–अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के भीतर मुफ्त दायर की जा सकेगी।

(4) भू–स्वामी/धारी अथवा राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/लोक प्रतिष्ठान/स्थानीय निकाय के संबंधित कार्यालय के प्रतिनिधियों सहित भूमि में हित रखने वाला कोई व्यक्ति मानचित्र सहित अधिकार–अभिलेख प्रारूप की प्रविष्टियों के विरूद्ध **प्रपत्र–14** में संबंधित विशेष सर्वेक्षण/बन्दोबस्त शिविर में दावा/आक्षेप दायर कर सकेगा।

(5) संबंधित सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शिविर में प्राप्त भू–स्वामी/धारी अथवा भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति के दावों/आक्षेपों को **प्रपत्र–15** में एक पृथक पंजी में संधारित किया जाएगा तथा संबंधित व्यक्ति को उसके लिए संस्वीकृति के प्रमाण के रूप में **प्रपत्र–16** में रसीद निर्गत की जाएगी।

(6) प्रत्येक ऐसे दावा/आक्षेप के लिए, दावों/आक्षेपों की प्राप्ति के क्रम में, एक पृथक वाद– अभिलेख खोला जाएगा।

(7) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी, दावों/आक्षेपों के एक संक्षिप्त विवरण के साथ **प्रपत्र–17** में सभी संबंधित पक्षकारों को पृथक सूचनाएँ निर्गत करेगा जिसमें सुनवाई के स्थान, तिथि एवं समय का उल्लेख रहेगा।

(8) नियत तिथि को दावों/आक्षेपों की सुनवाई की जाएगी तथा साक्ष्य दर्ज किए जाएंगे। यदि आवश्यक हो, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी या तो स्वयं अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी/कर्मचारी को भू–खण्ड/भू–खण्डों पर भौतिक दखल के साथ–साथ सुनवाई के दौरान दिए गए साक्ष्यों की सत्यवादिता अभिनिश्चित करने हेतु भू–खण्ड/भू–खण्डों के निरीक्षण हेतु एक तिथि नियत करेगा। संबंधित पक्षकारों को उसकी अग्रिम जानकारी दी जाएगी। ऐसी स्थल जाँच–पड़ताल का एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा एवं वाद–अभिलेख के साथ उसे उपाबद्ध किया जाएगा।

(9) उपस्थित होने, सुनवाई किए जाने तथा साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के उपरान्त, किसी पक्षकार के उपस्थित नहीं होने के मामले में, दावों/आक्षेपों का उपलब्ध अभिलेख, दस्तावेजी साक्ष्य तथा, यदि आवश्यक हो, स्थल निरीक्षण के आधार पर एक पक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

(10) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी द्वारा दावों/आक्षेपों का, संक्षिप्त रीति से दावा/आक्षेप दायर होने की तिथि से अधिकतम 60 दिनों के भीतर निपटारा किया जा सकेगा।

परन्तु, यदि किसी भूमि से संबंधित दावों/आक्षेपों जिनका निपटारा खानापुरी प्रचालन के दौरान, वैसे पदाधिकारी, जो सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/चकबंदी पदाधिकारी से अन्यून पंक्ति के हों, द्वारा किया गया हो तो तो वैसी भूमि से संबंधित दावों/आक्षेपों का निपटारा, उसी पदाधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा।

(11) खानापुरी अधिकार–अभिलेख प्रारूप की तैयारी तथा दावाकर्त्ता/आक्षेप एवं भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को तामील करने हेतु सूचनाओं का प्रारूप तैयारी के लिए निजी एजेन्सियों को, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा, समय–समय पर, यथानियत पारिश्रमिक/दर पर, लगाया जा सकेगा।

अध्याय VIII
विश्रान्ति

14. विश्रान्ति :–(1) खानापुरी अधिकार–अभिलेख प्रारूप प्रकाशन के विरूद्ध दावों/आक्षेपों के सम्बन्ध में पारित आदेशों का, मानचित्र सहित अधिकार–अभिलेख प्रारूप में आवश्यक जोड़/बदलाव करते हुए पालन किया जाएगा, जिसे **''तरमीम''** कहा जाएगा।

(2) ग्रामों की सीमा की ग्राम के विगत मानचित्र एवं पूर्व के विभिन्न प्रक्रम पर पारित आदेशों से विस्तृत तुलना की जाएगी तथा इस प्रक्रिया को **''मुकाबला''** कहा जाएगा। यह ध्यान देना आवश्यक होगा कि प्रारूप अधिकार–अभिलेख में दर्शाए गए भू–खण्डों का रकबा संबंधित मानचित्र में दर्शाए गए रकबा से मेल खाता हो।

(3) अधिकार–अभिलेख प्रारूप के प्रकाशन के उपरान्त तैयार किए गए भू–खण्डों के रकबा तथा राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल एवं चौहद्दी का, विगत सर्वे–मानचित्र के प्रत्येक भू–खण्ड के रकबा तथा राजस्व ग्राम की चौहद्दी सहित राजस्व ग्राम के कुल क्षेत्रफल से गहन तुलना, जाँच–पड़ताल तथा सत्यापन किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को **''जाँच''** कहा जाएगा। संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी जाँच के बाद समाधान हो जाने पर प्रारूप प्रकाशन के बाद यथा तैयार नया रकबा पारित करेगा।

(4) संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा नया रकबा पारित होने के उपरान्त अमीनों/अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयरों द्वारा **प्रपत्र–18** में नया तेरीज अर्थात 'नये अधिकार–अभिलेख का सार' तथा **प्रपत्र–19** में नयी खेसरा पंजी तैयार की जाएगी।

(5) अधिकार–अभिलेख, उसके अंतिम प्रकाशन के पूर्व, रैयतों के नाम के हिन्दी वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित किया जायगा तथा इस प्रक्रिया को **''तरतीब''** कहा जाएगा।

(6) समुचित जाँच–पड़ताल एवं तुलना के बाद नए तेरीज एवं खेसरा पंजी के आधार पर, अंतिम प्रकाशन हेतु **प्रपत्र–20** में चार प्रतियों में अधिकार–अभिलेख तैयार किया जाएगा तथा इस प्रक्रिया को **''सफाई''** कहा जाएगा। अधिकार–अभिलेख की एक प्रति जो **''रैयती फर्द''** कहलाएगी, सम्बन्धित रैयतों को उपलब्ध करायी जाएगी। द्वितीय प्रति अभिधारी खाता पंजी तैयार करने हेतु संबंधित अंचल अधिकारी को भेज दी जाएगी। तृतीय प्रति जो **''मालिकी फर्द''** कहलाएगी, संबंधित जिला के समाहर्त्ता को उपलब्ध करायी जाएगी। चतुर्थ प्रति परिरक्षण एवं भावी निर्देश हेतु निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार की अभिरक्षा में रहेगी।

अध्याय IX
अधिकार–अभिलेख का अंतिम प्रकाशन

15. अधिकार–अभिलेख का अंतिम प्रकाशन।–(1) **प्रपत्र–20** में अंतिम रूप से तैयार किए गए अधिकार–अभिलेख एवं मानचित्र की प्रतियाँ संबंधित जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन अंतिम रूप से प्रकाशित की जाएंगी। अंतिम प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों के लगातार अवधि के लिए उन्हें निम्नलिखित रीति से आम जनता के निरीक्षण के लिए रखा जाएगा :––

(i) संबंधित विशेष सर्वेक्षण/बन्दोबस्त शिविर में उसे प्रदर्शित करके;

(ii) संबंधित राजस्व ग्राम के सहजदृश्य सार्वजनिक स्थल पर उसे प्रदर्शित करके;

(iii) राजस्व ग्राम से संबंधित ग्राम पंचायत के सूचना पट पर उसे प्रदर्शित करके;

(iv) संबंधित अंचल कार्यालय के सूचना पट पर इसे प्रदर्शित करके ।

(2) मानचित्र सहित अंतिम रूप से प्रकाशित अधिकार–अभिलेख की प्रविष्टियों के विरूद्ध दावों/आक्षेपों की सुनवाई एवं निपटारा के लिए सरकार उपसमाहर्त्ता, भूमि सुधार से अन्यून पंक्ति के पदाधिकारी को अधिसूचित कर सकेगी।

(3) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा–11(1) के अधीन अंतिम प्रकाशन की तिथि से 90 दिनों के भीतर, कोई व्यक्ति, जो किसी भूमि अथवा उसके भाग में हित रखता हो,**प्रपत्र–21** में संबंधित अधिसूचित पदाधिकारी के समक्ष दावा/आक्षेप दायर कर सकेगा।

(4) संबंधित अधिसूचित पदाधिकारी, संबंधित पक्षकारों के दावे/आक्षेपों के निपटारे के लिए **प्रपत्र–22** में दावों/आक्षेपों की संक्षिप्त विवरणी अंतर्विष्ट करते हुए सूचनाएं निर्गत करेगा।

(5) उपर्युक्त सूचना में सुनवाई हेतु स्थान, तिथि एवं समय का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। संबंधित पक्षकारों को उपस्थित होने, सुनवाई एवं साक्ष्य, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर दिया जाएगा।

(6) उपस्थित होने, सुनवाई किए जाने तथा साक्ष्य, यदि कोई हो, देने के लिए अवसर देने के उपरान्त भी यदि कोई पक्षकार उपस्थित नहीं होता है तो उपलब्ध अभिलेखों/दस्तावेजी साक्ष्यों एवं स्थल की जाँच–पड़ताल, यदि आवश्यक हो, के आधार पर दावों/आक्षेपों का एक पक्षीय निटपारा किया जा सकेगा।

(7) दावों/आक्षेपों का संक्षिप्त रीति से, उनकी प्राप्ति के अधिकतम 90 दिनों के भीतर, निपटारा किया जाएगा।

16. अधिकार–अभिलेख के अंतिम प्रकाशन एवं शुद्धता की उपधारणा।–(1) राज्य सरकार, किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में अधिसूचना द्वारा, यह घोषित कर सकेगी कि उस क्षेत्र के भीतर सभी ग्रामों के अधिकार–अभिलेखों को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया गया है तथा उक्त अधिसूचना उस प्रकाशन का निश्चायक साक्ष्य होगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन अंतिम रूप से तैयार एवं प्रकाशित अधिकार–अभिलेख अंतिम रूप से प्रकाशित उपधारित किया जाएगा।

(3) उस प्रकार प्रकाशित अधिकार–अभिलेख की प्रत्येक प्रविष्टि, उक्त प्रविष्टि से संबंधित विषय का साक्ष्य होगी तथा उसे तबतक शुद्ध उपधारित किया जाएगा, जबतक साक्ष्य द्वारा उसे अशुद्ध होना साबित नहीं कर दिया जाता।

17. अंतिम अधिकार–अभिलेख का संधारण।–मानचित्र सहित अंतिम अधिकार–अभिलेख की हार्ड एवं सॉफ्ट प्रतियों को सम्यक रूप से संधारित किया जाएगा तथा उसकी प्रतियाँ इच्छुक आवेदकों को निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा, समय–समय पर यथा नियत फीस के भुगतान पर उपलब्ध करायी जाएंगी।

अध्याय X
अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर

18. सर्वेयरों को लाइसेन्स दिया जाना।–(1) लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त करने के विचार से निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार एक विज्ञप्ति तैयार करेंगे तथा उसे बिहार सरकार के सूचना एवं जन–संपर्क विभाग एवं राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के वेब साईट के माध्यम से, प्रकाशित करायेंगे। उपर्युक्त विज्ञापन में अन्य तथ्यों के अतिरिक्त उम्र–सीमा, शैक्षणिक, तकनीकी अर्हताएँ, अनुभव, आरक्षण रोस्टर, लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयर के कर्तव्य एवं दायित्व, फीस एवं पारिश्रमिक एवं अन्य शर्तें शामिल रहेंगी।

(2) निदेशक भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार पात्र अभ्यर्थियों को लाइसेन्स देगे तथा सूची जिला समाहर्त्ताओं तथा बन्दोबस्त पदाधिकारियों पास, जब और जहाँ अपेक्षित हो, इस निमित्त निर्गत होने वाले कार्यपालक अनुदेशों के अनुसार उपयोग हेतु, भेज देंगे।

19. लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरों के कार्य एवं पारिश्रमिक।–(1) लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरों की सेवा प्राप्त करने के निमित्त कोई निजी व्यक्ति, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा समय–समय पर यथा नियत फीस संबंधित राजस्व कार्यालय में जमा कर सकेगा। निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप बिहार उपर्युक्त फीस में से संबंधित राजस्व कार्यालय में उपगत आनुषंगिक व्यय के रूप में घटायी जाने वाली राशि विनिश्चित करेंगे।

(2) लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरों को, किसी सरकारी विभाग, भू–अर्जन से संबंधित अधियाची निकाय, संस्था या प्राधिकार द्वारा उनको समनुदेशित कार्य को क्रियान्वित करने के लिए, निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार द्वारा समय–समय पर यथा नियत, पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

(3) यदि लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरों को, सर्वेक्षण, बन्दोबस्त तथा चकबन्दी प्रचालनों के दौरान मानचित्र/अधिकार–अभिलेख की तैयारी या अधिकार–अभिलेखों के अद्यतनीकरण से संबंधित और इस प्रकार के कार्य सौंपा जाता है, तो उन्हें निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार के द्वार, समय–समय पर यथा नियत पारिश्रमिक का भुगतान किया जाएगा।

20. लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरों के लाइसेन्स का रद्दकरण।–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निम्नलिखित में किसी भी कारण से किसी लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयर का लाइसेन्स रद्द कर सकेगाः–

(क) यदि वह अपने कार्य के प्रति प्रतिबद्ध न हो;

(ख) यदि उसे कार्यस्थल पर नशीले द्रव्यों का सेवन करते या नशे की हालत में पाया गया हो;

(ग) यदि वह किसी राजनीतिक दल से सम्बद्ध हो या राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेता हो;

(घ) यदि वह अनैतिक आचरण अथवा वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया हो;

(ङ) कोई ऐसा आचरण, जो किसी लोक सेवक के लिए प्रयुज्य आचार संहिता के प्रतिकूल हो;

(च) यदि वह तकनीकी रूप से अक्षम पाया गया हो।

टिप्पणी :– संबंधित लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयर को, पूर्वोक्त आरोपों पर विनिश्चय करने के पूर्व, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुसार अपना पक्ष प्रस्तुत करने का एक अवसर दिया जाएगा।

अध्याय XI

तकनीकी मार्गदर्शिका

21. तकनीकी मार्गदर्शिका की तैयारी।–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप, बिहार इस अधिनियम के किसी या सभी प्रयोजनों को पूरा करने के लिए इस नियमावली की अधिसूचना की तिथि से 60 (साठ) दिनों के भीतर तकनीकी मार्गदर्शिका निर्गत करेगा। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका प्रशासी विभाग के द्वारा अधिसूचित की जाएगी। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में अन्य बातों के अतिरिक्त, आधुनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा किस्तवार की प्रचलित पद्धतियाँ शामिल रहेंगी। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में विश्रान्ति के दौरान किए जानेवाले कार्य भी समाविष्ट होंगे। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में, अधिनियम की धारा–14 के अधीन डिजिटल प्ररूप में अधिकार अभिलेखों एवं राजस्व ग्राम के मानचित्र के संधारण/प्रकाशन तथा इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराने के संबंध में भी आवश्यक प्रावधान भी किए जायेंगे। उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में अधिनियम की धारा–16 के अधीन लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरों के कार्य के तकनीकी पहलुओं को भी समाविष्ट किया जाएगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सी० अशोकवर्धन,
प्रधान सचिव ।

प्रपत्र–1

(देखें नियम–4 का उप नियम–1)

उद्घोषणा का प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–..... थाना नं0ः–..... अंचलः–.....

जिलाः–..... के सभी भू–धारियों/लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अद्योहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भू–खंडों के सीमांकन या पहचान के लिए भू–खण्ड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निदेशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भू–खण्डों की पैमाईश/जाँच–पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं, जैसा भी आवश्यक हो, को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्त्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा/अड़चन उत्पन्न न करें।

आपको यह भी निर्देश दिया जाता है कि अपने भू–खण्डों की सीमाओं को भू–खण्डों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें।

तिथिः– **बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर**

प्रपत्र–2

(देखें नियम–6 उप नियम (1))

रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्व–घोषणा हेतु प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–---------- थाना नं0ः–---------- हल्का नं0ः–----------

पुलिस थानाः–---------- अंचलः–---------- जिलाः----------

रैयत का नाम (सह–हिस्सेदारों का नाम एवं अंश, अगर कोई हो, सहित) एवं पिता का नाम	स्थायी पता	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौरा।						जमाबंदी सं0	भूमि पर दावा का आधार यथा–उत्तराधिकार/ दान क्रय/ बंदोबस्त/अन्य	अभ्युक्ति, अगर कोई हो।
		खाता	खेसरा	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	किस्म जमीन	सेस को छोड़कर लगान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि स्व–घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी/ हमारी जानकारी में सही है। स्व–घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं/हम जवाबदेह हूँ/हैं।

नोटः–. इस प्रपत्र को दो प्रतियों में दाखिल किया जायेगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्त्ता पदा0/कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तिथि एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा।

स्थानः– **तिथिः–** **रैयत का हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान**

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

प्रपत्र–3

(देखें नियम–6 का उप नियम– (7))

स्व–घोषणा के विरुद्ध निर्गत किये जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–---------- थाना नं0ः–---------- हल्का नं0ः–----------

अंचलः–---------- जिलाः----------

रैयत का नाम	रैयत द्वारा दाखिल स्व–घोषणा का क्र0सं0	भूमि का ब्यौरा				भूमि का वर्गीकरण	जमाबंदी सं0	सेस को छोड कर लगान	भूमि जिसकी प्रविष्टि सही पायी गयी				अभ्युक्ति अगर कोई हो।
		खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी				खाता	खेसरा	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर **अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर** **अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर**

(केवल कार्यालय प्रयोग हेतु)

प्रपत्र–4

(देखें नियम–6 का उप नियम– (8))

गैर–सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि की पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–---------- थाना नं0ः–---------- हल्का नं0ः–----------

अंचलः–---------- जिलाः----------

रैयत का नाम	रैयत द्वारा प्रस्तुत स्व–घोषणा–पत्र का क्रम संख्या	भूमि का ब्यौरा				भूमि का वर्गीकरण	जमाबंदी संख्या (अगर हो तो)	सत्यापन नहीं किए जाने का संक्षिप्त कारण	अभ्युक्ति
		खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

हल्का कर्मचारी का हस्ताक्षर **अंचल निरीक्षक का हस्ताक्षर** **अंचल अधिकारी का हस्ताक्षर**

प्रपत्र–5

(देखें नियम–9 का उप नियम– (1))

तेरीज या खतियान का सार

राजस्व ग्रामः–---------- थाना नं0ः–---------- अंचलः–----------

जिलाः----------

क्रम संख्या	रैयत का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता	खतियान या अधिकार–अभिलेख का क्रम संख्या	खेसरा नं0	रकबा				लगान सेस को छोड़कर	अभ्युक्ति
				कृषित	अकृषित	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अमीन का हस्ताक्षर **कानूनगो का हस्ताक्षर** **सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर**

प्रपत्र–6

(देखें नियम–9 का उप नियम– (1))

खेसरा पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–---------- थाना नं0ः–---------- हल्का नं०ः–----------

अंचलः–---------- जिलाः----------

खेसरा नं0	रैयत का नाम पिता/पति का नाम, जाति एवं पता	खाता नं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	भूमि का वर्गीकरण	फसल के अन्तर्गत रकबा						सेस को छोड़कर लगान	अभ्युक्ति दखल सहित
						भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य फसल	कृषि योग्य	कृषि हेतु अयोग्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अमीन/लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयर का हस्ताक्षर **कानूनगो का हस्ताक्षर** **सहा० बंदो० पदा० का हस्ताक्षर**

प्रपत्र–7

(देखें नियम–9 का उप नियम– (6))

खनापुरी पर्चा का प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–---------- थाना नं0ः–---------- अंचलः–----------

जिलाः----------

रैयत का नाम, पिता/पति का नाम, जाति एवं पता (एक से अधिक रैयत होने की दशा में उनके नाम एवं हिस्सा)	खाता नं0		खेसरा		रकबा	चौहद्दी	भूमि का वर्गीकरण	सेस को छोड़कर लगान	राजस्व अभिलेखों में प्रवृष्टि का आधार यथा उत्तराधिकार/दान/क्रय/बदलैन/ अन्य	अभ्युक्ति दखल सहित
	पुराना	नया	पुराना	नया	ए0 डी0					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

शिविर के प्रभारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र–8
(देखें नियम–9 उप नियम–(9))
दावों/आक्षेपों का प्रपत्र

1. दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम,पिता/पति का नाम एवं पूरा पता –
2. प्रतिवादी का नाम,पिता/पति का नाम एवं पूरा पता–
3. विवादित भूमि का ब्यौरा–
   राजस्व ग्रामः–---------- थाना नं0:–---------- खाता :–----------
   खेसराः---------- रकबाः–----------
4. दावा/आक्षेप का सारः–
5. अपेक्षित राहतः–

दावाकर्त्ता/ आक्षेपकर्त्ता का
हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान_____

प्रपत्र–9
(देखें नियम–9 उप नियम–9)
दावों/आक्षेपों की पाबती का प्रपत्र

क्रम संख्या_____ **तिथि**_____**दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम**----------

प्राप्तकर्त्ता पदा0/कर्मचारी का हस्ताक्षर/मुहर

नोटः–रेखा के नीचे वाले भाग को फाड़कर दावाकर्त्ता/ आक्षेपकर्त्ता को दावा/ आक्षेप की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में दिया जायेगा।

प्रपत्र–10

(देखें नियम–9 उपनियम (10))

दावा/आक्षेप पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–---------- थाना नं0:–---------- हल्का नं०:–----------

अंचलः–---------- जिलाः----------

क्र0 सं0	आवेदन दाखिल करने की तिथि	दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम पूरा पता सहित	प्रतिवादी का नाम पूरा पता सहित	विवादित भूमि			निपटारे की तिथि	आदेश का सार तिथि सहित	आदेश के अनुसार सुधार किये जाने की तिथि
				खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा ए0 डी0			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

प्रपत्र–11

(देखें नियम–10 उप नियम–(1))

सूचना का प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- पुत्र/ पुत्री/पत्नी श्री ---------- निवासी ग्राम ----------
डाकघर ---------- थाना ---------- अंचल ---------- जिला ----------
को एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि दिनांक–---------- को दायर दावों/आक्षेपों, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, की सुनवाई दिनांक ---------- को पूर्वाह्न/अपराह्न (स्थान) ---------- पर नियत की गयी है।

दावा/आक्षेप का ब्योरा

वाद संख्या एवं दाखिल करने की तिथि	दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम के साथ–साथ पिता/पति का नाम एवं पता	भूमि का ब्यौरा						दावों/आपत्तियों का सार
		राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

आपको निदेश दिया जाता है कि सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर अपने दावों/आक्षेप के समर्थन में साक्ष्य, अगर कोई हो, सहित स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों।

अगर आप सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित नहीं होते हैं तो वाद को उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर एक पक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र–12

(देखें नियम–11 उप नियम–(1))

प्रारूप खानापुरी अधिकार–अभिलेख का प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–---------- थाना संख्या ---------- पुलिस थाना ----------
अंचल ---------- जिला ----------

राजस्व ग्राम ---------- राजस्व थाना संख्या ---------- के सभी भू–स्वामियों/धारियों अथवा किसी भूमि, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, में हित रखने वाले व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि राजस्व ग्राम ---------- राजस्व थाना सं0 ---------- की भूमि से सम्बन्धित अधिकार–अभिलेख प्रारूप को एतत् द्वारा प्रकाशित किया जाता हैः–

खतियान का क्रम संख्या	खाता संख्या	रैयत का नाम (एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा धारित हिस्से के मामले में हिस्सा के अनुसार रैयत का नाम), पिता/पति का नाम, जाति एवं निवास	खेसरा नं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	भूमि का वर्गीकरण	फसल के अधीन खेती योग्य भूमि				खेती हेतु अयोग्य भूमि	सेस को छोड़कर लगान	अभ्युक्ति (दखल/दखल के प्रकार सहित)
							भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	14

अधिकार–अभिलेख प्रारूप (दिनांक) ---------- तक प्रकाशित रहेगा। आपसे अनुरोध है कि आप अपनी भूमि अथवा उस भूमि जिसमें आपका कोई अस्तित्वयुक्त हित है, के संबंध में अधिकार–अभिलेख प्रारूप का परिशीलन किया जाय।

शिविर के प्रभारी सहा0 बन्दो0 पदा0

का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र–13

(देखें नियम–13 उप नियम–(1))

अधिकार–अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दावा/आक्षेप आमंत्रित करने का प्रपत्र

सूचनाः– राजस्व ग्राम ---------- थाना संख्या ---------- अंचल ---------- जिला ---------- के सभी संबंधित व्यक्तियों को

एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि राजस्व ग्राम ---------- थाना संख्या ---------- अंचल ---------- जिला ---------- का मानचित्र सहित खानापूरी अधिकार–अभिलेख प्रारूप तैयार कर लिया गया है तथा दिनांक ---------- से ---------- तक प्रकाशित किया जा रहा है। इस अवधि में यह सभी भू–धारी तथा संबंधित व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु मुफ्त उपलब्ध रहेगा। उपर्युक्त अवधि में खानापुरी अधिकार–अभिलेख में की गयी प्रविष्टियों अथवा उसमें लोप होने से संबंधित दावा/आक्षेप के संबंध में आवेदन दायर किया जा सकेगा तथा उसे विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त शिविर में प्राप्त किया जाएगा।

स्थानः–
दिनांकः–

शिविर प्रभारी का
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र–14

(देखें नियम–13 उप नियम–(4))

दावा/आक्षेप दायर करने का प्रपत्र

1. दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम,पिता/पति का नाम एवं पूरा पता –
2. प्रतिवादी का नाम,पिता/पति का नाम एवं पूरा पता–
3. विवादित भूमि का ब्यौरा–

राजस्व ग्राम---------- थाना सं0---------- खाता----------

खेसरा---------- रकबा----------

4. दावा/आक्षेप का सारः–
5. अपेक्षित राहतः–

दावाकर्त्ता/ आक्षेपकर्त्ता का
हस्ताक्षर / अँगूठे का निशान----------

प्रपत्र–16

(देखें नियम–13 उप नियम–(5))

दावों/आक्षेपों की पाबती का प्रपत्र

क्रम संख्या---------- तिथि---------- दावाकर्त्ता/ओक्षेपकर्त्ता का नाम----------

प्राप्तकर्त्ता पदा0/कर्मचारी का
हस्ताक्षर/मुहर

नोटः–रेखा के नीचे वाले भाग को फाड़कर दावाकर्त्ता/ आक्षेपकर्त्ता को दावा/ आक्षेप की प्राप्ति के प्रमाण के रूप में दिया जायेगा।

प्रपत्र–15

(देखें नियम–13 उप नियम (5))

अधिकार–अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर किए गए दावों/आक्षेपों की पंजी का प्रपत्र

क्र0 सं0	वाद सं0 एवं दायर करने की तिथि	दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता	प्रतिवादी का नाम, पिता/पति का नाम एवं पूरा पता	विवादित भूमि का ब्यौरा						सुनवाई की तिथि	आदेश का सार	आदेश के अनुसार सुधार की तिथि, अगर आवश्यक हो	पदाधिकारी का प्राक्षर
				अंचल	राजस्व ग्राम	थाना संख्या	खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा ए0 डी0				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रपत्र–17

(देखें नियम– 13 उप नियम–(7))

अधिकार–अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के दौरान दायर दावों/आक्षेपों

की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- पुत्र/ पुत्री/पत्नी श्री ----------

निवासी ग्राम ---------- डाकघर ---------- थाना ---------- अंचल ----------

जिला ---------- को एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि दिनांक ---------- को दायर दावों/आक्षेपों, जिनका ब्यौरा नीचे दिया गया है, से सम्बन्धित सुनवाई दिनांक ---------- को पूर्वाहन/अपराहन (स्थान) ---------- पर नियत की गयी है

वाद संख्या	**दायर करने की तिथि**	**संबंधित पक्ष**	**भूमि का ब्यौरा**						**दावों/आक्षेपों का सार**
			राजस्व ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

आपको निदेश दिया जाता है कि अपने दावा/आक्षेप के समर्थन में साक्ष्य के साथ आप स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर उपस्थित हों अन्यथा वाद को, उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, एकपक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

शिविर के प्रभारी पदाधिकारी का

हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र–18

(देखें नियम– 14 उप नियम–(4))

नया तेरीज अथवा नया अधिकार–अभिलेख का प्रपत्र

राजस्व ग्राम---------- राजस्व थाना सं0---------- अंचल----------

जिला----------

क्रम संख्या	पुराना खाता संख्या	नया खाता सख्या	पुराने रैयत का नाम	नये रैयत का नाम	नया खेसरा संख्या	रकबा				सेस को छोड़कर लगान	अभ्युक्ति दखल सहित
						कृषि योग्य	कृषि हेतु अयोग्य	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

शिविर के प्रभारी सहा0 बंदो0 पदा0 का
हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र–19

(देखें नियम–14 उप नियम (4))

नये खेसरा पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्राम---------- राजस्व थाना सं0---------- अंचल----------

जिला----------

क्रम सं0	पुराना खेसरा नं0	नया खेसरा नं0	पुराना खाता संख्या	नया खाता संख्या	पुराना रकबा ए0 डी0	नया रकबा ए0 डी0	पुराना चौहद्दी	नया चौहद्दी	पुराना रैयत का नाम	नया रैयत का नाम	फसल के अधीन रकबा						सेस के छोड़कर लगान	दखल सहित अभ्युक्ति
											भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य फसल	कृषि योग्य	कृषि हेतु अयोग्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

अमीन/लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयर का हस्ताक्षर **कानूनगो का हस्ताक्षर** **शिविर के प्रभारी सहा0 बंदो0 पदा0 का हस्ताक्षर**

प्रपत्र–20

(देखें नियम– 15 उप नियम–(1))

अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन का प्रपत्र

राजस्व ग्राम---------- राजस्व थाना सं0----------के सभी भू–स्वामियों/धारियों अथवा किसी भूमि में हित रखने वाले व्यक्तियों को एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि राजस्व ग्राम---------- राजस्व थाना सं0----------की भूमि, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है, के संबंध में अधिकार–अभिलेख का अंतिम प्रकाशन किया जा रहा है।

राजस्व ग्राम---------- राजस्व थाना सं0----------पुलिस थाना----------

अंचल---------- जिला----------

खतियान का क्रम सं0	खाता संख्या	रैयत का नाम (एक से अधिक रैयतों द्वारा हिस्सा धारित करने के मामले में हिस्सानुसार रैयतों का नाम) पिता का नाम, जाति एवं आवास	खेसरा सं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	भूमि का वर्गीकरण	फसल के अधीन कृषि योग्य रकबा				कृषि हेतु अयोग्य रकबा	सेस को छोड़कर लगान	अभ्युक्ति (दखल/दखल के प्रकार) सहित
							भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अंतिम अधिकार अभिलेख (दिनांक)---------- तक प्रकाशित रहेगा। आपसे अनुरोध है कि इस अवधि के दौरान अंतिम अधिकार अभिलेख का परिशीलन कर लिया जाय।

दिनांकः–

जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर

प्रपत्र–21

(देखें नियम–15 उप नियम–(3))

अधिकार–अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान/प्रकाशन के उपरान्त दावा/आक्षेप दायर करने हेतु प्रपत्र

1. दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का नाम,पिता/पति का नाम एवं पूरा पता –
2. प्रतिवादी का नाम,पिता/पति का नाम एवं पूरा पता–
3. विवादित भूमि का ब्यौरा–

राजस्व ग्राम---------- **थाना सं0**---------- **खेसरा** ---------- **रकबा**----------

4. दावा/आक्षेप का सारः–
5. अपेक्षित राहतः–

दिनांकः–

दावाकर्त्ता/आक्षेपकर्त्ता का
हस्ताक्षर/अँगूठे का निशान।

प्रपत्र–22

(देखें नियम–15 उप नियम–(4))

अधिकार–अभिलेख अंतिम प्रकाशन के दौरान/उपरान्त दायर दावों/आक्षेपों की सुनवाई हेतु पक्षकारों को सूचना का प्रपत्र

श्री/श्रीमती/कुमारी ---------- पुत्र/ पुत्री/पत्नी श्री ---------- निवासी ग्राम ----------
डाकघर ---------- थाना ---------- जिला ---------- को एतत् द्वारा जानकारी दी जाती है कि दिनांक ---------- को दायर दावा/आपत्ति, जिसका विवरण नीचे दिया गया है, की सुनवाई दिनांक ----------
पूर्वाहन्/अपराहन ---------- बजे ---------- (स्थान) ---------- नियत की गयी है।

वाद संख्या	दायर करने की तिथि	संबंधित पक्ष	भूमि का ब्यौरा						दावों/आक्षेप का सार
			राजस्व ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा नं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

आपको निदेश दिया जाता है कि सुनवाई हेतु नियत तिथि, समय एवं स्थान पर दावा/आक्षेप के समर्थन में साक्ष्य सहित स्वयं अथवा अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित हों, अन्यथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर, वाद का एक पक्षीय निपटारा किया जा सकेगा।

नियम–15(2) के अधीन दावों/आक्षेपों के निपटारा हेतु
अधिसूचित पदाधिकारी का हस्ताक्षर एवं मुहर।

11th July 2012

No. 8धनियम संशोधन (सर्वे) 08–02 / 2012–590(8)—In exercise of the powers conferred by Section 28 of The Bihar Special Survey and Settlement Act. 2011, the State Government hereby make the following Rules:-

CHAPTER – I
PRELIMINARY

1. *Short title, extent and Commencement.*—(1) These rules may be called "The Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force on such date as may be notified by the Government in the Official Gazette.

2. *Definitions.*— In these rules, unless there is something repugnant in the subject or context, definitions of words given in Section-2 of Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (Bihar Act 24, 2011) shall apply to the Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012.

CHAPTER – II
NOTIFICATION AND PROCLAMATION

3. *Notification.*-—(1) The State Government shall express its intention to conduct special survey and settlement through publication of a notification in the Official Gazette.

(2) Copies of the notification published under the foregoing rule-3(1) shall also be forwarded to the different offices of the Central/State Government to enable them to put their claims/ objections, if any, with respect to the entries during the Special Survey and Settlement operation so that record of rights of lands held/ owned by them, are correctly prepared.

4. *Proclamation.*—(1) The Survey and Settlement Officer shall publish a proclamation in **Form-1** addressed to the land holders/persons having any interest in the lands of the area under Special Survey and Settlement operation, directing them to demarcate their lands for the purpose of pointing out boundary marks of the land parcels.

(2) After the publication of proclamation under foregoing **Rule- 4(1),** the survey and settlement officer, or any other officer/employee, acting under the authority of the Survey and Settlement Officer shall have power to enter upon the lands under Special Survey and Settlement, to examine and measure such lands by any method, he deems fit and may clear the lands by cutting down or removing any trees, jungle, standing crops or other obstructions, as may be necessary, for the purpose of survey. However, no claim or compensation as to cost can be claimed for the above action.

CHAPTER – III
REORGANIZATION OF ONGOING SURVEY AND SETTLEMENT OPERATIONS

5. *Reorganization of ongoing survey and settlement operations.*—The Government may, by an executive order, reorganize the ongoing survey and settlement operations of a district to bring it in conformity with the provisions of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011.

CHAPTER – IV
SELF DECLARATION

6. *Self declaration by the land holder and its verification.*—(1) After the publication of notification under rule 3(1) of the Bihar Special Survey and Settlement Rules 2012, the land owners/holders may submit, in duplicate, a self declaration of lands owned/held by them in **Form-2.** One copy of the self declaration shall be made over to the person concerned after initialing and putting date and serial number by the receiving officer/employee as a token of acknowledgment of the same.

(2) The self declaration shall be submitted within 30 working days from the date of publication of the notification under rule-3(1). However, in special circumstance the period may be extended by 15 additional working days.

(3) The self declaration may be submitted before the concerned Anchal Adhikari/Assistant Settlement officer incharge of the concerned camp.

(4) If a self declaration is submitted before an Assistant settlement officer, the same shall be received in the manner prescribed in the foregoing sub **Rule-(1)** and shall be forwarded to the Anchal Adhikari of the concerned Anchal for its verification.

(5) The Anchal Adhikari shall verify the details of self declaration on the basis of revenue records such as the last record of rights, Register- IB i.e Continuous Khatiyan, **Register-2** i.e. the tenants's ledger or any such revenue records maintained and available at his level.

(6) The maximum period for the verification of self declaration shall be 15 working days from the date of the receipt of the self declaration.

(7) After the verification of the self declaration, the Anchal Adhikari shall prepare the verification certificate in **Form-3** and make it available to the Assistant Settlement Officer concerned.

(8) Any self declaration which could not be verified by the Anchal Adhikari due to non availability of the relevant records or due to disputes, shall be kept and maintained in a separate register giving reasons in brief for non verification in **Form- 4** and the register along with the self declarations shall be sent to the concerned Assistant Settlement Officer.

CHAPTER – V
KISTWAR

7. *Kistwar by Modern Technology.*— **(1)** The Kistwar of a revenue village shall be carried out by the preparation of map through modern technology inclusive of base mapping, demarcation of plots as well as revenue village and ground verification.

(2) The revenue map shall be prepared on different scales, keeping in view the density of plots, incorporating the technical details, headings and any other relevant details pertaining to the map so that any land parcel and its boundary may be clearly shown and measured.

(3) The map, so prepared, shall be made available to the concerned Assistant Settlement Officer for its verification. The Amin shall verify cent - percent of the plots of the map and the Kanoongo, Assistant Settlement Officer, Charge Officer and the Settlement Officer shall randomly check 25%, 10% ,2% and 1% of the plots respectively.

(4) The verification of the map shall be carried out by comparing it with the map of the last survey as well as by spot verification of the areas and boundaries of the existing plots.

(5) The verification of the map of a revenue village shall be completed within a period not exceeding 30 working days from the date of the receipt of the map.

(6) The map, so prepared, after necessary correction shall remain displayed on the notice boards of the office of the Gram Panchayat of the concerned revenue village as well as at the camp office for the general public.

CHAPTER – VI
KHANAPURI

8. *Constitution of Khanapuri Party.-(*1) Revenue village wise Khanapuri parties shall be constituted by the Settlement Officer of the concerned district consisting of the following :-

(i) An officer/revenue employee of the Anchal Office concerned;
(ii) Representative of Director, Land Records and Survey, Bihar;
(ii) Any other designated officer or employee.

(2) The constitution of the Khanapuri party shall be published in the concerned District Gazette.

(3) The Khanapuri party shall be headed by an officer/employee of the kanoongo or equivalent grade.

(4) The Khanapuri party constituted in the aforesaid manner shall work under the supervision and control of the Assistant Settlement Officer of the concerned area.

9. *Khanapuri Work:-* (1) Before the initiation of Khanapuri work of a revenue village, a teriz i.e, abstract of last record of rights and a Kheshra Register shall be prepared village wise in triplicate in **Form-5** and **Form-**6 respectively.

(2) The verification certificate in respect of the self declaration of raiyats, issued and made available to the Assistant Settlement Officer of the concerned camp by the Ancahal Adhikari concerned, shall be re-verified with the help of Teriz, khesra register at the camp.

(3) The self declaration which could not be verified by the Anchal Adhikari due to non availability of the relevant revenue records or due to a dispute, shall be verified by the Khanapuri party on the basis of the available records such as Teriz, khesra register etc.

(4) The Khanapuri party shall physically verify each plot of the concerned revenue village with the map made available after Kistwar and shall make a note of all the changes in the configuration of plot and also other changes, if any. If any plot differs from the area and boundaries shown in the map, the Khanapuri Party shall ink it up in red in the map. If any plot is found sub-divided into two or more parts then a separate "Bata Number (Division Number)" for each such part shall be given, and in such cases sub-division of plots shall be shown in broken lines. Accordingly, the map of the concerned revenue village shall be altered/corrected. The Amin shall verify cent-percent plots of the revenue village and Kanoongo, Assistant Settlement officer, Charge Officer and Settlement Officer shall randomly verify 25%,10%,2% and 1% of the plots respectively.

(5) During field verification, the Khanapuri Party shall identify and demarcate public lands, government land and record the same in the preliminary record of rights.

(6) After the verification, the Khanapuri Party shall prepare raiyat wise Khanapuri purcha in **Form-7** in the light of available reference revenue records, verification certificates of self declaration as well as actual field verification.

(7) The Khanapuri Purcha prepared in **Form-7** shall be served to the land holders/ owners including officers concerned with Government land/public land. The Land holders/owners shall also be made aware of the entries of the Khanapuri purcha at a convenient place and on fixed date and time.

(8) Khanapuri purcha prepared in **Form-7** shall be served on the raiyat concerned or his near relative. However, if he declines to receive the purcha the same will be served on him by pasting it on the front gate of his house/wall. The person responsible for the service of the purcha, shall, as far as possible, obtain the signatures of the panchayat representative, village chowkidar and other local residents on the service report and the same shall be deemed to be a proper service of the Khanapuri purcha.

(9) Claims/objections against the entries of Khanapuri purcha may be filed by the land holder/owner or any person having interest in the land including representatives of the concerned office of the State Government/Central Government/Public Sector/ Local bodies in **Form-8.** and a receipt as a token of acknowledgment for the same shall be issued to the person concerned in **Form-9.**

(10) Claims/Objections of the land holder/owner or any other person having interest in the land received at the camp office concerned shall be maintained in a separate register in **Form-10.**

(11) Private agencies may be engaged in the preparation of Khanapuri purcha and its services. Elaborate order to that effect shall be issued by the Director, Land Records and Survey, Bihar. Remuneration/Rates for the private agency to carry out above works shall be fixed by the Director, Land Records and Survey, Bihar, from time to time.

10. *Disposal of claims/objections during Khanapuri* .— (1) The Knanoongo / Circle Inspector/Assistant Consolidation Officer concerned shall issue separate notices to the parties concerned for the disposal of claims /objections in **Form-11** clearly mentioning therein the place, date and time of hearing besides a brief account of the claim/objection.

(2) The parties concerned shall be given an opportunity of being heard and adduce evidence, if any.

(3) Claims/objections shall be disposed off in a summary manner by the Kanoongo/ Circle Inspector/ Assistant Consolidation Officer by passing a reasoned order, within a maximum period of 30 working days of filing of such claims/objections.

Provided that if the claims/objections filed pertain to Government/Public Land, the same shall be heard and disposed off by an officer not below the rank of Assistant Settlement Officer /Circle Officer/Consolidation Officer.

(4) If any of the parties does not appear even after proper service of the notice, claims/ objections may be disposed off ex-parte on the basis of available revenue records and field verification.

CHAPTER – VII
PUBLICATION OF DRAFT KHANAPURI RECORD OF RIGHTS

11. *Preparation of Draft Khanapuri Record of Rights.*- (1) After the completion of Khanapuri work a draft of Khanapuri record of rights shall be prepared in **Form-12** incorporating the orders passed with respect to the claims/objections received during Khanapuri operations against the entries of Khanapuri purcha as well as the map.

(2) The Khanapuri record of rights including the map shall be attested by the Assistant Settlement Officer incharge of the camp.

12. *Publication of Draft Khanapuri Record of Rights.*- (1) The draft Khanapuri record of rights including map prepared under rule 11(1) and attested by the Assistant Settlement Officer concerned under rule 11(2), shall be published for a continuous period of 30 days in the following manner :-

(i) by displaying it in the Special Survey/Settlement camp concerned;
(ii) by displaying it at a conspicuous public place in the revenue village concerned;
(iii) by displaying it on the notice board of the office of the Gram Panchayat of the revenue village concerned;
(iv) by displaying it on the notice board of the Anchal Office concerned.

(2) The draft Khanapuri record of rights including the map published under rule 12(1) shall remain available in the Special Survey/Settlement camp office for the perusal of the public free of cost.

(3) The non final copy of the map shall be made available to the desirous raiyats/persons having interest in the land on payment of such fee as fixed by the Director, Land Records and Survey, Bihar.

13. *Filing of claims/objections against the entries in the draft Record of Rights.—*

(1) Simultaneous with the publication of draft Khanapuri record of rights under rule 12(1) the Assistant Settlement Officer concerned shall issue a public notice in **Form-13** inviting claims/ objections, if any, with respect to the entries of draft record of rights including the configuration of plots shown in the concerned map.

(2) The public notice shall be displayed by pasting it at a prominent public place of the revenue village concerned, on the notice boards of the Gram Panchayat Office concerned and the concerned Special Survey and Settlement camp.

(3) The public notice shall clearly mention that claims/objections, if any, against the entries of Draft record of rights including the map may be filed within 30 days, from the date of the publication of draft record of rights, free of cost.

(4) The claims/objections against the entries in Draft Record of Rights, including the map, may be filed in the Special Survey and Settlement camp concerned, by a land owner/holder or any person having interest in the land including representatives of the concerned office of the State Government/Central Government/Public Sector/Local bodies in **Form-14.**

(5) The claims/objections of the land owners/holders or any other person having interest in the land received at the Special Survey and Settlement camp shall be maintained in a separate register in **Form-15** and a receipt as a token of acknowledgement for the same shall be issued to the person concerned in **Form-16.**

(6) A separate case record for each such claim/objection shall be opened in order of the receipt of the claims/objections.

(7) The Assistant Settlement Officer shall issue separate notices to the parties concerned in **Form-17,** whereunder a brief account of claims/objections mentioning therein the place, date and time of hearing.

(8) On the date fixed, the claims/objections shall be heard and evidences shall be recorded. If necessary, the Assistant Settlement Officer shall fix a date for the inspection of the plot/plots either by himself or by any other officer/employee authorized by him in this behalf, to ascertain the physical possession over the plot/plots as well as the veracity of the evidences adduced during hearing. The parties concerned shall be informed in advance. A memo of such spot enquiry shall be prepared and annexed with the case record.

(9) In case any party does not appear even after given an opportunity for appearance, of being heard and adduce evidence, if any, claims/objections may be disposed off ex-parte on the basis of available records, documentary evidence and spot verification, if necessary.

(10) Claims/objections shall be disposed off in a summary manner by the Assistant Settlement Officer/Circle Officer/Consolidation Officer within a maximum period of 60 days from the date of filing of the claims/objections.

Provided if claims/objections with respect to any land during Khanapuri operations had been disposed off by an officer not below the rank of Assistant Settlement Officer/Circle Officer, Consolidation Officer the claims/objections with respect to those lands shall not be disposed off by the same officer.

(11) Private agency may be engaged for the preparation of draft Khanapuri record of rights and draft of notices to serve the claimants/objectors and persons having interest in the land, on remunerations/ rates as fixed by the Director, Survey and Land Records, Bihar, from time to time.

CHAPTER – VIII
RECESS

14. *Recess.*-(1) Orders passed with respect to claims/objections against the draft publication of Khanapuri record of rights, shall be complied with by making necessary additions/ alterations in the draft record of rights including the map which shall be called **"Tarmim."**

(2) A detailed comparison of village boundaries with the boundaries as shown in the last revenue village map and orders passed at different earlier stages shall be made and the process shall be called **"Muqabla"**. Care shall be taken that the area of plots as shown in the draft record of rights matches with the area shown in the map concerned.

(3) The area of each plot and total area of revenue village including boundaries of the revenue village in the Last Survey map and area of plots and total area of the revenue village and boundaries as prepared after draft publication of record of rights shall be thoroughly compared, checked and verified and the process shall be called **"janch".** On being satisfied after janch the Assistant Settlement Officer concerned shall pass the new area as prepared after draft publication.

(4) After passing the area by the Assistant Settlement Officer concerned, a new Teriz in **Form-18** i.e, abstract of the new record of rights, new plot register in **Form-19** shall be prepared by Amins/Licensed Surveyors.

(5) The record of rights, before its final publication, shall be arranged according to the names of raiyats alphabetically in Hindi and this process shall be known as **"Tartib".**

(6) On the basis of the new Teriz and plot register, copies of record of rights, shall be prepared in **Form-20** for its final publication in quadruplicate after proper checking and comparison and the process shall be called **"Safai"**. A copy of the Records of Rights called **"Raiyati Fard"**

shall be made available to the concerned raiyats. The second copy shall be sent to the concerned Anchal Adhikari for the preparation of Tenants Ledger Register. The third copy called **"Maliki Fard"** shall be made available to the Collector of the District concerned. The fourth copy shall remain in the custody of the Director, Land Records and Survey for preservation and for future reference.

CHAPTER – IX
FINAL PUBLICATION OF RECORD OF RIGHTS

15. *Final Publication of Record of Rights.*- (1) The copies of the record of rights and maps finally prepared in **Form-20**, shall be finally published under the hand and seal of the Settlement Officer of the concerned district. The same shall be placed for public inspection from the date of final publication for a continuous period of 30 days in the following manner.-

(i) by displaying it in the Special Survey/Settlement camp concerned;
(ii) by displaying it at a conspicuous public place of the village concerned;
(iii) by displaying it on the notice board of Gram Panchayat of the revenue village concerned;
(iv) by displaying it on the notice board of the Anchal Office concerned.

(2) The government may notify an officer not below the rank of the Deputy Collector Land Reforms for hearing and disposal of claims/objections filed against the entries of finally published record of rights including the map.

(3) Any person who has an interest in any land or a part thereof may file claims/objections within 90 days from the date of final publication under Section 11(1) of the Bihar Special Survey & Settlement Act, 2011, before the notified officer concerned in **Form 21.**

(4) The notified officer concerned shall issue notices in **Form 22** containing therein a brief account of claims/ objections to the parties concerned for the disposal of claims and objections.

(5) The place, date and time of the hearing shall be clearly mentioned in the aforesaid notice. The parties concerned shall be provided an opportunity for appearance, hearing and adducing evidence, if any.

(6) In case any of the parties does not appear even after given an opportunity for appearance, hearing and adducing evidence, if any, claims/ objections may be disposed of ex-parte on the basis of available records/documentary evidences and spot enquiry, if required.

(7) Claims/objections shall be disposed of in a summary manner within a maximum period of 90 days from the receipt of the same.

16. *Presumption of final Publication and Correctness of Record of Rights.*— (1) The State Government may, by notification, declare, with regard to any specified area, that a record of rights has been finally prepared and published for every village included in such area and such notification shall be conclusive evidence of such publication.

(2) The record of rights finally prepared and published under this Act, shall be presumed to have been finally published.

(3) Every entry in a record or rights so published shall be evidence of the matter referred to in such entry and shall be presumed to be correct unless it is proved by evidence to be incorrect.

17. *Maintenance of Final Record of Rights.*—Hard and soft copies of the final record of rights including the map shall be duly maintained and its copies shall be made available to desirous applicants on payment of fees, as fixed from time to time, by the Director Land Records and Survey Bihar.

CHAPTER – X
LICENSED SURVEYOR

18. *Grant of License to the Surveyor.*— (1) With a view to obtaining applications from candidates desirous of getting a license, the Director, Land Records and Survey, Bihar shall prepare an advertisement and cause it to be published through the website of the Department of Information and Public Relations and the Department of Revenue and Land Reforms, Government

of Bihar. Besides other facts, age-limit, educational, technical qualifications, experience, reservation roster, the licensed surveyors' functions and duties, fees and remuneration and other conditions shall be incorporated in the aforesaid advertisement.

(2) The Director, Land Records & Survey, Bihar shall grant license to eligible candidates and shall send the list to District Collectors/ Settlement Officers as and when required, for use as per executive instructions to be issued in this regard.

19. *Work and Remuneration of Licensed Surveyors.*— (1) In order to obtain the services of the licensed surveyors, private individuals may deposit fees, as fixed from time to time, by the Director, Land Records & Survey, Bihar along with an application, in the revenue office concerned. Director Land Records & Survey, Bihar will determine the amount to be deducted out of the aforesaid fees as incidental expenses incurred in the Revenue Office concerned.

(2) The licensed surveyors shall be paid remuneration as fixed from time to time by the Director, Land Records & Survey, Bihar for carrying out work assigned to them by any Government Department, requisitioning body relating to land acquisition or any public body, institution or authority.

(3) In case the licensed surveyors are assigned work pertaining to the preparation of maps/record of rights during survey, settlement and consolidation operations or updating of the record of rights and the like, they shall be paid remuneration as fixed by the Director, Land Records & Survey, Bihar from time to time.

20. *Cancellation of License of a Licensed Surveyor.*— The Director, Land Records & Survey, Bihar may cancel the license of a licensed surveyor due to any of the following reasons:-

(a) If he is not committed to his work.
(b) If he is found using intoxicating drugs or in an inebriated condition at work place.
(c) If he is attached to a political party or takes part in political activities.
(d) If he is found guilty of immoral conduct or financial irregularity.
(e) Any such conduct, which is contrary to the code of conduct applicable to a public servant.
(f) If he is found technically unfit.

Note:- The licensed surveyor concerned shall be given an opportunity to present his case, in accordance with the principle of natural justice, before taking a decision on the aforesaid charges.

CHAPTER – XI
TECHNICAL GUIDELINES

21. *Preparation of Technical Guidelines.*— Director, Land Records & Survey, Bihar, shall frame Technical Guidelines within 60 (sixty) days from the date of notification of these Rules, for meeting any or all of the purposes of this Act. The said Technical Guidelines shall be notified by the administrative department. The said Technical Guidelines shall include, besides other things, prevalent methods of Kistwar by modern technology. The said Technical Guidelines shall also incorporate works to be done during recess. Necessary provisions shall also be made in the said Technical Rules regarding the maintenance/publication and making available record of rights and map of a revenue village in digital form to interested persons under Section-14 of the Act. Technical aspects of the work of the licensed surveyors under Section-16 of the Act shall also be incorporated in the said Technical Guidelines.

By Order of the Governor of Bihar,
C.ASHOKVARDAN,
Principal Secretary.

FORM-1

(See Rule-4Sub Rule (1))

FORM OF PROCLAMATION

All the Land holders/persons having interest in the land including the custodian of Public/Government land of Revenue village..... Thana No..... Anchal..... District..... are hereby informed that any person authorized or deputed by the undersigned may enter upon the land to identify and demarcate the village boundary as well as its land parcels. You are directed to co-operate with them in examining/measuring the land as well as cutting down or removing trees, jungles, standing crops or other such obstructions, as may be necessary for the purpose of survey and not to put any hurdle/hindrance in discharge of their duty.

You are further directed to demarcate the boundaries of your land parcels/land by erecting mounds of earth at all bends of their boundary.

Date……

Survey and Settlement Officer.

FORM-2

(See Rule 6Sub Rule (1))

FORM FOR SELF-DECLARATION OF LANDS OWNED/HELD BY THE RAIYATS.

Revenue Vill:-…….....……Thana No:-…… Halka No:-……. Police Station:-…….....…
Anchal:-…….....……. District:-…….....……

Name of the Raiyat, (Including name and share of Co-sharers, if any)& Father's Name	Permanent Address	Details of Lands Owned/Held						Jamabandi No.	Basis of claim over the land such as Succession/ GiftPurchase/ Settlement/Others	Remarks, If any.
		Khata	Khesra	Area A. D.	Boundary	Classification of Land	Rent excluding cess.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I/We declare that the entries made in self-declaration is true to my/our knowledge. In case of any wrong entry in self-declaration, I/We shall be held liable for the same.

Note: This form shall be submitted in duplicate. One copy shall be made over to the petitioner as token of receipt after putting initial date and serial no. of the petition by the receiving officer/employee.

Place:-…….. **Date:-……** **Signature/Thumb Impression Of the Raiyat.**

(For Official use only)

FORM-3

(See Rule6 Sub Rule (7))

FORM FOR VERIFICATION CERTIFICATE ISSUED AGAINST SELF-DECLARATION.

Revenue Vill:-…….....…Thana No:-…… Halka No:-……. Anchal:-……. District:- ……

Name of the Raiyat	Serial No. of Self-Declaration submitted by the Raiyat	Details of Land				Classification of Land	Jamabandi No.	Rent Exclusive of cess.	Entries of Land found correct				Remarks,If any.
		Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary				Khata No.	Khesra No	Area A. D.	Boundary	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Signature of the Halka Karmchari **Signature of Circle Inspector** **Signature of Anchal Adhikari.**

(For Official use only)

FORM-4

(See Sub Rule-6 Sub Rule (8))

FORM FOR REGISTER OF UN-VERIFIED/DISPUTED LANDS.

Revenue Vill:-……Thana No:-…… Halka No:-……. Anchal:-……. District:- ……

Name of the Raiyat	Serial No. of Self-Declaration submitted by the Raiyat	Details of Land				Classificationof Land	Jamabandi No. (if any)	Brief reasons for non verification	Remark's
		Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of the Halka Karmchari **Signature of Circle Inspector** **Signature of Anchal Adhikari.**

FORM-5

(See Rule-9,Sub Rule (1))

TERIZ OR ABSTRACT OF KHATIAN

Revenue village…….....…..ThanaNo……..…… Anchal…….....……..District….....……...

Sl.No.	Name of the Raiyat Father's/Husband's Name & full Address	Serial No. of Record of Rights or Khatian	Plot Number	Area				Rent excluding Cess	Remarks
				Cultivated	Uncultivated	Others	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of Amin **Signature of Kanoongo** **Signature of Assistant Settlement Officer.**

FORM-6

(See Rule-9, Sub Rule (1))

FORM OF KHESRA REGISTER

Revenue Village….....…….ThanaNo……HalkaNo…….Anchal…….....…..District……...

Khesra No.	Name of the tenant, Father's/ Husband's name, caste and address	Khata No.	Area A. D.	Boundary	Classification of land	Area Under Crop						Rent excluding cess	Remark's Including Possession
						Bhadai	Aghani	Rabbi	Other Crop	Cultivable	Unculivable		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Signature of Amin/ Licensed Surveyor

Signature of Kanoongo

Signature of A.S.O

FORM-7

(See Rule-9, Sub Rule (6))

FORM OF KHANAPURI PURCHA

Revenue Vill:-…….....Thana No:-…….Anchal:-…….District:-…….....……

Name of the Raiyat, Father's/ Husband's Name, Caste & Address(In case more than one Raiyat their names & share)	Khata No.		Khesra No.		Area A. D.	Boundary	Classification of lands	Rent excluding cess	Basis for entry in the revenue records like succession/ gift/purchase/ exchange/others	Remarks Including Possession
	Old	New	Old	New						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Seal and Signature of the

Camp-In-Charge.

FORM-8

(See Rule-9 Sub Rule (9))

FORM OF CLAIMS/OBJECTIONS

1. Name, Father's/Husband's name and full address of the Claimant/objector:-
2. Name, Father's/Husband's name and full address of the opposite party:
3. Details of disputed lands:-

Rev. Vill:-….....……ThanaNo:-…….Khata:-…….....….Khesra:-……Area:-……...……

4. Gist of Claim/objection:-
5. Relief Sought for :-

Signature/Thumb impression
of the Claimant/objector……

FORM-9

(See Rule9 Sub Rule (9))

FORM OF ACKNOWLEDGEMENTOF CLAIMS/OBJECTIONS.

Sl.N0…….Date……. Name of the Claimant/objector……..

Signature of the Receiving Officer/Employee.

Note:-Portion below the line shall be torn and made over to the Claimant/objector as token of receipt of the Claim/objection petition.

FORM-10

(See Rule-9 Sub Rule (10))

FORM OF REGISTER OF CLAIMS/OBJECTIONS.

Revenue Vill:-…....……..Thana No:-…….Halka No:-.....Anchal:-…….District:-……

Sl. No.	Date of filing of the Petition	Name of the Claimant/Objector with full address	Name of the opposite party with full address	Disputed land			Date of Disposal	Substance of order with date	Date of correction according to order
				khata no.	Khesra no.	Area A. D.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

FORM-11

(See Rule-10 Sub Rule (1))

FORM OF NOTICE

Shri/Smt./Miss…….....……..Son/Daughter/Wife of Shri…….....……resident of village …….....…….. Post office.....Thana.....Anchal..... District..... is hereby informed that the hearing with respect to claims/objections filed on..... (date), the details of which are given below, has been fixed on date.....AM/PM at.....(Place).

Details of claim/objection

Case No. and date of filing	Name of the claimant/ objector alongwith, Father's/ Husband's Name & Address	Details of Land						Gist of claims/ objections
		Name of Revenue Village	Thana No.	Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

You are directed to appear in person or through your authorized representative with evidence, if any, in support of your claim/Objection on the date, time and place so fixed.

If you do not appear on the date, time and place fixed for hearing, the case may be disposed of ex-parte on the basis of available records.

Seal and Signature of the Officer.

FORM-12

(See Rule-11 Sub Rule(1))

FORM OF DRAFT KHANAPURI RECORD OF RIGHTS

Revenue Village:-.....Thana No:-……. P.S.....Anchal:-….....District.....

All land owners/ holders or persons having interest in any land of revenue village……revenue Thana No……,the details of which are given below, are informed that the draft record of rights with respect to the land of revenue village……..Thana No……is hereby published:.-

Sl.No. of the khatian	Khata No.	Name of the Raiyat (in cases shares held by more than one raiyat sharewise name of raiyats), Father's/ Husband name,Caste and residence	Khesra No.	Area A. D	Boundary	Classification of land	Cultivable land under crop				Uncultivable land	Rent excluding cess	Remark's (Including Possession/ type of possession)
							Bhadai	Aghani	Rabbi	others			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

The draft record of rights shall remain published till……(date),You are requested to peruse the draft record of rights with regard to your land or the land in which you have any subsisting interest.

Seal & Signature of A.S.O.
Incharge of Camp.

FORM-13

(See Rule-13 Sub Rule (1))

FORM OF NOTICE INVITING CLAIMS/OBJECTIONS DURING DRAFT PUBLICATION OF THE KHANAPURI RECORD OF RIGHTS.

Notice to:- All concerned persons of Revenue village…….....…..

Thana No……..…….Anchal…….....….Distirct…….....……..

It is hereby informed that the draft Khanapuri record of rights including map of Revenue village……..Thana No……..Anchal…….District……..has been prepared and is being published from…… to……. During this period, it shall remain available to all land holders and concerned persons for inspection, free of cost. During the aforesaid period, claim/objection petition with respect to the entry therein and the omission therefrom the draft Khanapuri records, may be filed and the same shall be received in special survey and settlement camp office.

Place:-

Date:-

Seal and Signature of the
Camp In-Charge.

FORM-14

(See Rule-13 Sub Rule (4))

FORM OF FILING CLAIMS/OBJECTION

1. Name, Father's/Husband's name and full address of the Claimant/objector:-
2. Name, Father's/Husband's name and full address of the opposite party:-
3. Details of disputed lands:-

Rev.Vill:-…….....….ThanaNo:-……Khata:-……Khesra:-……Area:-……...……

4. Gist of Claim/objection:-

5. Relief Sought for:- signature/Thumb impression of the Claimant/objector…….....

FORM- 16

(See Rule-13 Sub Rule (5))

FORM OF ACKNOWLEDGEMENT OF CLAIMS/OBJECTIONS.

Sl.N0…….Date…….....….. Name of the Claimant/objector…….....……..

Signature of the Receiving Officer/Employee.

Note:-Portion below the line shall be torn and made over to the Claimant/objector as token of receipt of the Claim/objection petition

FORM-15

(See Rule-13,Sub Rule (5))

FORM OF REGISTER OF CLAIMS/OBJECTIONS FILED DURING DRAFT PUBLICATION OF RECORD OF RIGHTS.

Sl. No.	Case No. and Date of Filing	Name of the Claimant/ Objector, Father's/ Husband's Name and full address	Name Father's/ Husband's Name and full address of the opposite party	Details of Disputed Land						Date of Hearing	Gist of the Order	Date of Correction according to the order, if required	Initial of the Officer
				Anchal	Revenue Village	Thana No.	Khata No.	Khesra No.	Area A. D.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

FORM-17

(See Rule-13,Sub Rule (7))

FORM OF NOTICE TO PARTIES FOR HEARING OF CLAIMS/OBJECTIONS FILED DURING DRAFT PUBLICATION OF RECORD OF RIGHTS.

Shri/Smt./Miss……..Son/Daughter/Wife of Shri……Resident of Village.....Post Office.....Thana.....Anchal.....District.....is hereby informed that hearing with regard to claims/objections filed on .....(date),the details Whereof are given below, has been fixed on .....A.M/P.M.....at.....(place).

Case No.	Date of filing	Parties Involved	Details of Land						Gist of Claims/ Objections
			Revenue Village	Thana No.	Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

You are directed to appear in person or through your authorized representative on the date, time and place fixed for hearing alongwith evidences in support of your claim/objection, failing which, the case may be disposed of ex-parte on the basis of the available records.

Seal & Signature of the Officer
In-Charge of the Camp.

FORM-18

(See Rule-14,Sub Rule (4))

FORM FOR NEW TERIZ OR ABSTRACT OF NEW RECORD OF RIGHTS

RevenueVillage……. Revenue Thana No ……Anchal…….District……

Sl. No.	Old Khata No.	New Khata No.	Name of Old Raiyat	Name of New Raiyat	New Plot No.	Area				Rent excluding Cess	Remarks including possession
						Cultivable	Uncultivable	Others	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Seal & Signature of Asstt. Settlement Officer -in-Charge of the Camp.

FORM – 19

(See Rule 14 Sub Rule (4))

FORM OF NEW KHESRA REGISTER

RevenueVillage……..... Revenue Thana No ……Anchal…….District……

Sl. No.	Old Khesra No.	New Khesra No.	Old Khata No.	New Khata No.	Old Area A. D.	New Area A. D.	Old Boundary	New Boundary	Name of Old Raiyat	Name of New Raiyat	Area under Crop						Rent excluding Cess	Remarks including Possession
											Bhadai	Aghani	Rabbi	Other Crops	Cultivable	Uncultivable		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Signature of Amin/Licensed Surveyor **Signature of Kanoongo** **Signature of A.S.O.-in-charge of Camp.**

FORM-20

(See Rule-15 Sub Rule(1))

FORM FOR FINAL PUBLICATION OF RECORD OF RIGHTS

All the Land owner/holders or persons having interest in any land of revenue village.....revenue ThanaNo.....are hereby informed that the final record of rights with respect of the land of the revenue village.....Revenue Thana No..... the description whereof are given below, is being published.

RevenueVillage:-.....Revenue Thana No:-……. P.S..... Anchal:-……. District.....

Sl.No. of the khatian	Khata No.	Name of the Raiyat (in case of share held by more than one raiyat share wise name of raiyats), Father's name,Caste and residence	Khesra No.	Area A. D	Boundary	Classification of land	Cultivable area under crop				Area of Uncultivable land	Rent excluding cess	Remark's (Including Possession/ type of possession)
							Bhadai	Aghani	Rabbi	others			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

The final record of rights shall remain published till..... (date). You are requested to peruse the final record of rights during this period.

Date :-

Seal and Signature of the
Settlement Officer of the District

FORM-21

(See Rule-15 Sub Rule (3))

FORM FOR FILING CLAIMS/ OBJECTIONS DURING/AFTER THE FINAL PUBLICATION OF RECORD OF RIGHTS.

1. Name, Father's/Husband's name and full address of the Claimant/objector:-

2. Name, Father's/husband's name and full address of the opposite party:-

3. Details of disputed lands:-

RevenueVill:-……...….....….ThanaNo:-……Khata:-……Khesra:-……Area:-….....……

4. Gist of Claim/objection:-

5. Relief Sought for:-

Date:-…….....……

Signature/Thumb Impression of the Claimant/objector

FORM-22

(See Rule-15,Sub Rule (4))

FORM OF NOTICE TO PARTIES FOR HEARING OF CLAIMS/OBJECTIONS FILED DURING/AFTER FINAL PUBLICATION OF RECORD OF RIGHTS

Shri/Smt./Kumari……Son/Daughter/Wife of Shri……Resident of Village.....Post Office.....Thana.....Anchal.....District..... is hereby informed that hearing with regard to claim/objection filed on .....(date),the details whereof are given below, has been fixed on .....at.....A.M/P.M.....(place).

Case No.	Date of filing	Parties Involved	Details of Land						Gist of Claim/ Objection
			Revenue Village	Thana No.	Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

You are directed to appear in person or through your authorized representative on the date, time and place fixed for hearing alongwith evidence in support of claim/objection, failing which the case may be disposed off ex-parte on the basis of available records.

Seal & Signature of the Officer
Notified Under Rule 15(2) for
disposal of claims/objections.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित ।
बिहार गजट (असाधारण) 328–571+1000
Website: http://egazette.bih.nic.in

निबंधन संख्या पी0टी0-40



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 भाद्र 1939 (श0)

(सं0 पटना 802) पटना, सोमवार, 4 सितम्बर 2017

विधि विभाग

अधिसूचनाएं

4 सितम्बर 2017

सं० एलजी०–01–20/2017–177 लेज:—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमति दे चुके है, इसके द्वारा सर्व–साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[बिहार अधिनियम 23, 2017]

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2017

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम 24, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में बिहार राज्य–विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ।**–(1) यह अधिनियम बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।

2. **बिहार अधिनियम, 24, 2011 की धारा–2 में संशोधन।–(1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा–2 की उपधारा–(xxvi) के बाद निम्नलिखित नई उपधाराएँ–(xxvii), (xxviii), (xxix) एवं (xxx) क्रमशः जोड़ी जाएगी :–**

(xxvii) "कानूनगो" से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा कानूनगो के रूप में नियुक्त पदाधिकारी।

(xxviii) "सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी।

(xxix) "प्रभारी पदाधिकारी" से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा प्रभारी पदाधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी।

(xxx) "निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप" से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन और राज्य सरकार के भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु नियुक्त पदाधिकारी।

(2) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा–2(xi) की प्रथम पंक्ति में प्रयुक्त शब्द "अनुज्ञप्ति धारी सर्वेयर" शब्द "**अमीन**" के द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

3. **बिहार अधिनियम, 24, 2011 की धारा–5 का प्रतिस्थापन।–उक्त अधिनियम, 2011 की धारा–5 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी :–**

"**5. भू–धारियों द्वारा स्वघोषणा।**–(1) धारा–3 के अधीन अधिसूचना के उपरांत, अमीन और कानूनगो अपनी अधिकारिता के अधीन क्षेत्र के संबंध में भू–धारियों का वंशावली तथा याद्दाश्त पंजी तैयार करेंगे।

(2) धारा–3 के अधीन अधिसूचना के उपरांत, भू–धारी, अपने द्वारा धारित भूमि के संबंध में, स्वघोषणा बंदोबस्त कार्यालय में अथवा शिविर कार्यालय में, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को विहित रीति से उपलब्ध करा सकेगा। स्वघोषणा का सत्यापन बंदोबस्त कार्यालय द्वारा, उपलब्ध अभिलेखों तथा वंशावली से, किया जाएगा एवं सत्यापन प्रमाण पत्र उसे निर्गत किया जाएगा।"

4. **बिहार अधिनियम, 24, 2011 की धारा–7 में संशोधन।–(1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा–7 की उपधारा–(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाएगी:–**

"(2) खानापुरी दल निम्नलिखित को मिलाकर गठित होगी:–

(i) सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी;

(ii) कानूनगो;

(iii) अमीन।"

(2) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा–7 की उपधारा–(5) के बाद निम्नलिखित नई उपधारा–(5क) अंतःस्थापित की जाएगी:–

"(5क) विश्रांति–धारा–7 की उपधारा–(3), (4) तथा (5) के प्रावधानों के आलोक में तैयार किये जाने वाले मानचित्र तथा अधिकार अभिलेख की जाँच का कार्य विश्रांति के दौरान पूरा किया जाएगा। विश्रांति का कार्य दो प्रशाखाओं, यथा–(1) आलेख तथा रकबा प्रशाखा और (2) खेसरा प्रशाखा में किया जाएगा"।

5. **बिहार अधिनियम 24, 2011 के अध्याय–3 को विलोपित किया जाना।–उक्त अधिनियम, 2011 के अध्याय–3 को एतद् द्वारा विलोपित किया जाता है।**

6. **बिहार अधिनियम, 24, 2011 की धारा–20 में संशोधन।–(1) उक्त अधिनियम, 2011 की धारा–20 के स्पष्टीकरण के बाद निम्नलिखित नयी स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा :–**

"स्पष्टीकरण–

(i) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 106 के अधीन, अधिकार अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के उपरांत, राजस्व अधिकारी के समक्ष प्रारंभ की गयी कोई भी कार्यवाही की, जो अभी तक विवादों के निपटारे एवं निवारण के लिए लंबित हो, सुनवाई एवं विनिश्चय इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत होने की तिथि से 12 (बारह) माह के भीतर, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, मानो उक्त प्रावधान इस अधिनियम के अधीन अधिक्रांत नही किये गये हैं।

(ii) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 108 के अनुसार वैसे पुनरीक्षण की जो अभी आदेश/विनिश्चय के लिए लंबित हो, इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से 12 (बारह) माह के भीतर बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार सुनवाई की जाएगी एवं विनिश्चिय की जाएगी, मानो उक्त प्रावधान इस संशोधन अधिनियम के अधीन अधिक्रांत नहीं किया गया हो।

(iii) यदि अधिकार अभिलेख में गलती या तात्विक त्रुटि सुधार के लिए कोई आवेदन बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा 108A के अधीन अभी भी लंबित हो तो संबंधित पक्षकारों को मामले में सुनवाई हेतु उपस्थित होने का युक्तियुक्त अवसर देने के उपरांत, सुधार किया जा सकेगा। आवेदन का निपटारा इस संशोधन अधिनियम के प्रवृत्त होने की तिथि से 120 कार्य दिवसों के भीतर बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, मानो उक्त प्रावधान इस अधिनियम के अधीन अधिक्रांत नहीं किया गया हो।

(iv) हालाँकि, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 की धारा–106 के अधीन कोई नयी कार्यवाही अथवा धारा–108 के अधीन नया पुनरीक्षण संस्थित नहीं किया जाएगा और राजस्व अधिकारी द्वारा धारा–108 तथा 108A के अधीन कोई नया आवेदन ग्रहण नहीं किया जाएगा।"

(2) उक्त अधिनियम, 2011, की धारा–20 की उपधारा–(2) के बाद निम्नलिखित उपधाराएँ (3), (4), (5), (6) एवं (7) जोड़ी जाएँगी:–

"(3) अधिकार–अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के उपरांत, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित दर–तालिका के आधार पर, संबंधित राजस्व–ग्राम के प्रत्येक रैयत के लिए बंदोबस्ती लगान तालिका तैयार करेगा।

(4) बंदोबस्ती लगान तालिका का प्रकाशन एवं संशोधन :–

(i) संबंधित राजस्व ग्राम की बंदोबस्ती लगान तालिका जब तैयार हो जाए, तब सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी किसी प्रविष्टि में हुई चूक अथवा गलती से संबंधित आपत्ति प्राप्त करने के निमित्त, विहित रीति से विहित अवधि तक, इसका प्रारूप प्रकाशित कराएगा।

(ii) प्रकाशन की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आपत्तियों का निपटारा, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा संबंधित पक्षों को उपस्थित होने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद किया जाएगा।

(5) बंदोबस्त लगान तालिका की संपुष्टि तथा अधिकार अभिलेख में समावेश ।–सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी इस प्रकार तैयार किये गये बंदोबस्त लगान तालिका को प्रभारी पदाधिकारी के माध्यम से, बंदोबस्त पदाधिकारी की स्वीकृति के लिए सुपुर्द करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी बंदोबस्ती–लगान–तालिका की जाँच करेंगे एवं उसके अनुसार सही पाये जाने पर वह इसे बंदोबस्त पदाधिकारी की संपुष्टि एवं स्वीकृति के लिए प्रस्तुत कर देंगे।

(6) बंदोबस्त पदाधिकारी बंदोबस्ती लगान तालिका को, सुधार के साथ अथवा बिना सुधार के, स्वीकृत कर सकेगा अथवा पुनर्विचार के लिए सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को वापस कर सकेगा।

परंतु किसी भी प्रविष्टि में तब तक सुधार नहीं किया जाएगा जब तक संबंधित पक्षकारों को मामले में उपस्थित होने एवं सुनवाई के लिए सूचना न दी जाए।

(7) बंदोबस्ती पदाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बंदोबस्ती लगान तालिका को अंतिम रूप से बनायेगा एवं अधिकार अभिलेख में उसे नियमित करेगा और प्रकाशित करेगा।"

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

4 सितम्बर 2017

सं० एलजी०–01–20/2017–178 लेजः—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामहिम राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 अगस्त 2017 को अनुमत **बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2017** का निम्नलिखित अंग्रजी अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
मनोज कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

[Bihar Act 23, 2017]

BIHAR SPECIAL SURVEY AND SETTLEMENT (AMENDMENT) ACT, 2017

AN

ACT

to amend the Bihar Special Survey and Settlement Act 2011 (Bihar Act 24, 2011)

Be it enacted by the legislature of the State of Bihar in the sixty eighth year of the Republic of India as follows:-

1. ***Short title, extent and commencement.***—(1) This Act may be called the Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Act, 2017.

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar.

(3) It shall come into force at once.

2. ***Amendment in section-2 of the Bihar Act 24, 2011.—(1)The following new sub-sections (xxvii), (xxviii), (xxix) and (xxx) shall be added respectively after sub-section (xxvi) of section- 2 of the said Act, 2011:-***

"(xxvii) "Kanoongo" means an officer appointed as kanoongo by the State Government to discharge functions and responsibilities mentioned in the Act and Rules;

(xxviii) "Assistant Settlement Officer" means an officer appointed as the Assistant Settlement Officer by the State Government to discharge functions and responsibilities mentioned in the Act and Rules;

(xxix) "Charge Officer" means an officer appointed as the Charge Officer by the State Government to discharge functions and responsibilities mentioned in the Act and Rules;

(xxx) "Director, Land Records and Survey" means an officer appointed by the State Government to represent the Directorate of Land Record and Survey of the State government and to discharge functions and responsibilities mentioned in the Act and Rules.

(2) In said Act, 2011(Bihar Act 24, 2011) the words "Licensed surveyor" used in first line of Section 2(xi) of the Act shall be replaced by the word "Amin".

3. ***Substitution of section-5 of the Bihar Act 24, 2011.***—Section-5 of the said Act, 2011 shall be substituted by the following:-

"5. Self declaration by land holders.-(1) After notification under section-3, the amin and kanoongo shall prepare a genealogical table of the land holders and yaddast register in respect of the area under their jurisdiction.

(2) After notification under section-3, a landholder may submit before the Assistant Settlement Officer in survey office or camp office, a self declaration in respect of land held by him in the prescribed manner. The self declaration shall be verified with the available records and genealogical table by the Settlement Office and a verification certificate shall be issued to him."

4. ***Amendment in section-7 of the Bihar Act 24, 2011.***— (1) Sub-section-(2) of section-7 of the said Act, 2011 shall be substituted by the following:-

"(2) A khanapuri party shall be constituted consisting of the following:-

(i) Assistant Settlement Officer;

(ii) Kanoongo;

(iii) Amin".

(2) The following new sub-section (5A) shall be inserted after sub-section-(5) of section-7 of the said Act, 2011:-

"(5A) Recess.-The work of checking of the maps and record-of-rights to be prepared in view of the provision of sub-sections (3), (4) and (5) shall be completed during the recess. The recess work shall be done in two sections, namely, (1) the drawing and area section, and (2) the khesra section."

5. ***Deletion of Chapter-3 of the Bihar Act 24, 2011.***— Chapter 3 of the said Act, 2011 is here by deleted.

6. ***Amendment in section 20 of Bihar Act 24, 2011.***—

(1) The following new explanation shall be added after the explanation of section 20 of the said Act, 2011:-

"Explanation.—

(i) Any proceedings instituted before Revenue officer under section-106 of Bihar Tenancy Act, 1885 after final publication of the record of right and still pending for disposal and decision of the disputes shall be heard and decided within the period of 12 (twelve) months from the date of coming into force of this amendment Act in accordance with the provisions of Bihar Tenancy Act 1885 as if the said provisions have not been superseded under this Act.

(ii) Any revision, which is still pending for order or decision under section 108 of Bihar Tenancy Act 1885, shall be heard and decided within a period of 12 (twelve) months from the date of coming into force of this amendment Act in accordance with the provisions of Bihar Tenancy Act 1885 as if the said provisions have not been superseded under this Act.

(iii) If any application is still pending under section 108A of Bihar Tenancy Act for correction of mistake, or material error in the Record of Right, correction may be made after giving reasonable opportunity to the parties concerned to appear and heard in the matter. The application shall be disposed of within 120 working days from the date of coming into force of this amendment in accordance with the provisions of Bihar Tenancy Act 1885 as if such provisions have not been superseded under this Act.

(iv) However, no fresh proceedings shall be instituted under section 106 or fresh revision under section 108 and no fresh application under section 108A of Bihar Tenancy Act 1885 shall be entertained by revenue officer."

(2) After sub-section-(2) of section-20 of the said Act, 2011 the following new sub-section (3), (4), (5), (6) and (7) shall be added:-

"**(3)** After Publication of draft of the Record of Rights, Assistant Settlement officer shall prepare settlement rent roll for every Raiyat of the concerned Mauza on the basis of table of rates determined by the State Government.

(4) ***Publication and amendment of settlement rent roll-***

(i) When settlement rent-roll for the concerned Mauza has been prepared, the Assistant Settlement officer shall cause a draft of it to be published in the prescribed manner for a prescribed period, to receive objections regarding any omission or mistake made to any entry.

(ii) All such objections received during the period of publication, shall be disposed of by the Assistant Settlement Officer after reasonable notice given to parties concerned to appear and to be heard.

(5) Confirmation of settlement rent-roll and incorporation in Record of rights.-The Assistant Settlement officer shall submit settlement rent-roll thus prepared to the Settlement Officer through the Charge Officer for sanctioning the settlement rent-roll. The Charge Officer shall examine the settlement rent roll and if it is found correct in his opinion he shall submit it to the Settlement Officer for confirmation and sanction.

(6) The Settlement Officer may sanction settlement rent-roll with or without correction or may return it to the Assistant Settlement officer for reconsideration.

Provided that no entry shall be amended until reasonable notice has been given to parties concerned to appear and be heard in the matter.

(7) After sanction by the settlement Officer the Assistant Settlement officer shall finally frame the settlement rent-roll and shall incorporate it with Record of rights and publish."

By Order of the Governor of Bihar,
MANOJ KUMAR,
Joint Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण)802-571+400-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2019

अधिसूचना

सं0–08/नियम संशोधन(सर्वे0)–08–02/2012(खण्ड)-131-(8)/रा0,दिनांक– 27/2/19

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 28 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली, 2012 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित संशोधन नियमावली बनाती है :–

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।**–(1) यह नियमावली "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) नियमावली, 2019" कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगी।

2. **उक्त नियमावली 2012 का नियम 2 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:–**

2(1) इस नियमावली में, जब तक कोई बात विषय या संदर्भ के विरूद्ध न हो।

(i) **"विशेष सर्वेक्षण" से अभिप्रेत है भूमि के अद्यतन स्थिति के अनुसार हवाई फोटोग्राफी/सेटेलाईट फोटो का प्रयोग कर आधुनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से डिजिटल मानचित्र का निर्माण एवं भूमि सम्बंधी अद्यतन स्वत्व एवं स्वामित्व की स्थिति के आधार पर अधिकार अभिलेखों का निर्माण एवं संधारण किया जाना;**

(ii) **"मानचित्र"** से अभिप्रेत है हवाई फोटोग्राफी/सेटेलाईट फोटो का प्रयोग कर, आधुनिक प्रौद्योगिकी/ई0टी0एस0 या मानदीय तकनीक की सहायता से, राजस्व ग्राम के सभी वर्त्तमान भू–खंडों का ग्रामवार खेसरों की कुल संख्या एवं चौहद्दी तथा अन्य सभी आवश्यक विवरणों के साथ तैयार किया गया भूमि मानचित्र अर्थात् प्रतिआकृति;

(iii) **"नियंत्रण बिन्दू (Control Point)"** से अभिप्रेत है भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा स्थापित नियंत्रण बिन्दुओं यथा प्राईमरी, सेकेन्डरी, टरसियरी, इत्यादि के सन्दर्भ में सर्वेक्षण हेतु बनाए गये नियंत्रण बिन्दू;

(iv) **"अमीन डायरी"** से अभिप्रेत है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा 2 की उपधारा (2) के क्रम संख्या–(xi) में वर्णित अमीन/विशेष सर्वेक्षण अमीन द्वारा सर्वेक्षण कार्य में क्षेत्र सत्यापन एवं जाँच हेतु क्षेत्र भ्रमण के दौरान, भू–सर्वेक्षण के विभिन्न प्रक्रमों के

सम्पादित की जाने वाली भूमि सर्वेक्षण एवं मापी की कार्रवाईयों को दर्ज करने वाली विहित प्रपत्र में संधारित डायरी;

(v) **"याद्दाश्त पंजी"** से अभिप्रेत है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 की उपधारा–(1) के अधीन अमीन और कानूनगो द्वारा अपने अधिकारिता के अधीन रैयतों से प्राप्त उनकी भूमि के संबंध में दिये गये दावों एवं अन्य विवरण को अंकित करने के लिए विहित प्रपत्र में संधारित पंजी;

(vi) **"वंशावली"** से अभिप्रेत है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) की धारा 5 की उपधारा–(1) के अधीन अमीन और कानूनगो द्वारा, अपने अधिकारिता के अधीन रैयतों से प्राप्त, उनके वंशानुक्रम के सम्बन्ध में, उनके मूल खतियानी/जमाबंदी रैयत से उनके सम्बन्ध को स्पष्ट करने वाली विहित प्रपत्र में तैयार की गई वंशावली एवं उसमें अंकित दावा आधारित भू–विवरणी;

(vii) **"भूमि सुधार उप समाहर्त्ता"** से अभिप्रेत है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) तथा बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार भू–सर्वेक्षण के दौरान भू–अभिलेखों का संधारण करने हेतु वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के रूप में नियुक्त पदाधिकारी;

(viii) **"अंचल अधिकारी"** से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु राज्य सरकार द्वारा अंचल अधिकारी के रूप में नियुक्त पदाधिकारी;

(ix) **"विशेष सर्वेक्षण अमीन"** से अभिप्रेत है नियमावली एवं अधिनियम में वर्णित अमीन के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु, विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए, अमीन के रूप में कार्य करने वाला विशेष सर्वेक्षण अमीन;

(x) **"विशेष सर्वेक्षण कानूनगो"** से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित कानूनगो के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु विशेष सर्वेक्षण कार्य के लिए कानूनगो के रूप में कार्य करने वाला विशेष सर्वेक्षण कानूनगो;

(xi) **"विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी"** से अभिप्रेत है अधिनियम एवं नियमावली में वर्णित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन हेतु विशेष सर्वेक्षण के लिए कार्य करने वाला विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी;

(xii) **'ई0टी0एस0' (Electronic Total Station)** से अभिप्रेत है सरकार द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप एवं सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार भूमि की मापी करने वाला आधुनिक सयंत्र;

(xiii) **'डी0जी0पी0एस0' (Differential Global Positioning System)** से अभिप्रेत है सेटेलाईट से प्राप्त संकेतों से धरातल के निर्देशांकों को जोड़ते हुए सही–सही धरातलीय स्थान की जानकारी देने वाला एवं स्थान विशेष का विशिष्ट निर्देशांक प्रदर्शित करने वाला आधुनिक सयंत्र;

(xiv) **टाई लाईन** से अभिप्रेत है मुख्य सर्वेक्षण रेखाओं पर सर्वेक्षण उप खण्डों को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली रेखा;

(xv) **तेरीज अर्थात् खतियानी विवरणी** से अभिप्रेत है वर्तमान समय में संव्यवहार में प्रचलित अर्थात् अद्यतन खतियान की प्रविष्टियों में दर्ज सूचनाओं को विहित प्रपत्र में तैयार की गई विवरणी;

(xvi) **भू–पार्सल मानचित्र** (Land Parcel Map) से अभिप्रेत है किसी मानचित्र में प्रदर्शित भू–खंडों के किसी विशिष्ट भाग को पूर्ण या आंशिक खेसरा के रूप में प्रदर्शित करने वाला मानचित्र।

(2) इस नियमावली में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों एवं अभिव्यक्ति के वही अर्थ होंगे जो बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती अधिनियम, 2011 (समय–समय पर यथा संशोधित) में उनके प्रति समनुदेशित किए गए हो।

(3) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 में जहाँ कहीं भी प्रयुक्त शब्द "अनुज्ञप्ति प्राप्त सर्वेयर" शब्द "अमीन/विशेष सर्वेक्षण अमीन" द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(4) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 की धारा 2 (1) के आलोक में, जबतक कि इस संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885; बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950; बिहार सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त हस्तक, 1959; बिहार अभिधारी होल्डिंग (अभिलेखों का अनुरक्षण) अधिनियम, 1973 एवं बिहार दाखिल–खारिज अधिनियम, 2011 में उपबंधित परिभाषाएँ लागू होगी।

3. **उक्त नियमावली, 2012 के नियम 6 के उपनियम (3), (4), (5), (7) एवं (8) क्रमशः निम्नलिखित द्वारा प्रति स्थापित किए जाएंगे:–**

"(3) भू–स्वामी/रैयत अपने धारित भूमि से संबंधित स्वघोषणा, वंशावली विहित "प्रपत्र–3(1)" में शिविर के प्रभारी यथा सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के समक्ष समर्पित कर सकेगा;

(4) स्वघोषणा, सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा उपनियम–(1) में प्रावधानित रीति से प्राप्त किया जायेगा तथा इसका सत्यापन राजस्व से संबंधित विभिन्न अधिकार अभिलेखों से किया जायेगा।

(5) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी स्वघोषणा के ब्योरों को राजस्व से संबंधित विभिन्न अधिकार अभिलेखों, यथा–विगत सर्वे खतियान, जमाबंदी पंजी, खेसरा पंजी, विगत चकबंदी खतियान, चालू खतियान एवं उपलब्ध अन्य राजस्व अभिलेखों के आधार पर सत्यापित करेगा;

(7) स्वघोषणा के सत्यापन के उपरांत, संबंधित सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी "प्रपत्र–3" में सत्यापन प्रमाण–पत्र तैयार करेगा;

(8) कोई स्वघोषणा, जिसे सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा, सुसंगत अभिलेखों की अनुपलब्धता अथवा किसी विवाद के कारण, सत्यापित किया जाना सम्भव नहीं हो पाता है, तो उसके सत्यापन नहीं होने का संक्षिप्त कारण एक पृथक पंजी प्रपत्र–4 में संधारित किया जायेगा।

4. **उक्त नियमावली 2012 का नियम 8 का उपनियम (1) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा उप नियम (3) विलोपित किया जाएगाः**–(1) संबंधित जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा राजस्व ग्रामवार, खानापुरी दलों का गठन निम्नलिखित को मिला कर किया जाएगा :–

(i) सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी/विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी

(ii) कानूनगो/विशेष सर्वेक्षण कानूनगो

(iii) अमीन/विशेष सर्वेक्षण अमीन

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली, 2012 का उपनियम (3)–विलोपित।

5. **उक्त नियमावली 2012 के नियम 9 में संशोधन।–(1) बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 का नियम 9 का उपनियम 2 विलोपित किया जाएगा।**

(2) बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 का नियम 9 का उपनियम (3) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगाः–

"3(क) वैसी स्वघोषणा, जिसका सत्यापन पूर्व में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के द्वारा किया जाना सम्भव नहीं हो सका हो, का सत्यापन खानापुरी दल द्वारा उपलब्ध अधिकार अभिलेखों यथा विगत सर्वे का खतियान/अद्यतन खतियान, चकबंदी खतियान, खेसरा पंजी, चालू खतियान, जमाबंदी पंजी एवं अन्य राजस्व अधिकार अभिलेखों के आधार पर किया जायेगा।"

(3) बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 का नियम 9 के उपनियम 3(क) के बाद निम्नलिखित नया उपनियम (3)(ख) जोड़ा जाएगाः–

"(ख) खानापुरी दल जिन तथ्यों को ध्यान में रखकर आधारभूत अधिकार अभिलेखों यथा खेसरा पंजी में रैयती जोतो के अधिकार एवं स्वामित्व का निर्धारण करेंगे, का विवरण निम्नवत हैः–

(i) **अद्यतन जमीनी वास्तविकता**–स्थल सत्यापन के क्रम में पाया गया स्वत्व आधारित स्वामित्व एवं स्वत्व से संबंधित कागजातों के आधार पर भूमि पर दखल–कब्जा की स्थिति;

(ii) **परिवर्त्तन**–कालानुक्रम में भू–खंडों में आये भौगोलिक परिवतनों की स्थिति;

(iii) **अन्तरणों**–सरकार द्वारा बन्दोबस्त भूमि, भूदान प्रमाण पत्र, दान, सतत लीज, क्रय–विक्रय, इत्यादि के आधार पर भूमि/भू–खण्डों के स्वामित्व की स्थिति;

(iv) **उपविभाजन**–आपसी सहमति पर आधारित सभी पक्षों द्वारा हस्ताक्षरित काश्तकारी भूमि का बंटवारा, निबंधित दस्तावेजों के आधार पर किया गया बंटवारा एवं व्यवहार न्यायालय द्वारा स्वत्व वाद/बंटवारा वाद में पारित आदेश, इत्यादि के उपरांत भूमि/भू–खण्ड की अद्यतन स्थिति।"

(4) नियम 9 के उप नियम (4) के प्रावधान को "4 खंड (क)" के रूप में उल्लिखित किया जायेगा तथा उसके बाद निम्नलिखित खण्ड (ख), (ग) एवं (घ) अंतः स्थापित किए जाएंगे:–

"(ख) खानापुरी प्रक्रम के दौरान स्थल जांच के समय यदि संबंधित रैयत सूचना के बावजूद प्रश्नगत भूमि/भू–खण्ड (प्लॉट) पर उपस्थित नहीं पाये जाते हैं, तो अमीन उक्त रैयत की अनुपस्थिति को याद्दाश्त पंजी में दर्ज करेगा एवं क्रमानुसार आगे बढता चला जाएगा। यदि उक्त रैयत निर्धारित तिथि के पश्चात् उपस्थित होते हैं, तो वैसे रैयत की भूमि का विवरण अमीन अंकित करते हुए तारीख के साथ अपना हस्ताक्षर याद्दाश्त पंजी "प्रपत्र–3(2)" में दर्ज करेगा।

याद्दाश्त पंजी में वैसे सभी राजस्व अभिलेख/दस्तावेज/साक्ष्य का उल्लेख किया जाएगा, जिसके आधार पर खानापुरी के समय किसी रैयत विशेष के नाम से जमीन का खाता खोला जाता है।

(ग) खानापुरी प्रारम्भ करने के पूर्व अमीन कानूनगो के पर्यवेक्षण में सभी रैयतों का वंशावली अर्थात् कुर्सीनामा साविक तेरीज के अनुसार खातावार तैयार करेगा। वंशावली सर्वेक्षित ग्राम के आम लोगों की उपस्थिति में तैयार किया जाएगा एवं आवश्यकतानुसार वंशावली तैयार करने में स्थानीय जनप्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त किया जाएगा। संधारित वंशावली पर रैयतों/आम लोगों/जन प्रतिनिधियों का यथासाध्य हस्ताक्षर प्राप्त किया जाएगा। यदि मूल रैयत अथवा उनके वैध वारिसान द्वारा भूमि हस्तान्तरित किया जाना पाया जाता है, तो वंशावली के दूसरे पृष्ठ पर रैयत अपना विस्तृत विवरण अंकित करेगा। इस प्रकार तैयार वंशावली का नमूना जाँच (Random) सहायक

बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा भी की जाएगी। वंशावली के आधार पर रैयतों के हिस्से का अंश सुसंगत हिन्दू उत्तराधिकारी कानून/इस्लामिक उत्तराधिकारी कानून, अथवा जो भी लागू हो, के अनुसार निर्धारित की जाएगी।

(घ) खानापुरी पर्चा से संबंधित सूचना रैयतों को प्राप्त होने के उपरांत इसकी प्रविष्टियों के विरूद्ध प्रपत्र–8 में दावा/आक्षेप रैयत द्वारा अधिकतम 15 दिनों में संबंधित पदाधिकारी को समर्पित किया जा सकेगा।"

6. **उक्त बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 11 के उपनियम (1) के बाद निम्नलिखित उपनियम (1क) अंतःस्थापित किया जाएगाः–"(1क)** नियम–9 के उपनियम–(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) एवं नियम 10 का उपनियम–(1), (2), (3), (4), में उल्लिखित प्रावधानों के आलोक में तैयार किये जाने वाले मानचित्र तथा अधिकार अभिलेख की जाँच कार्य नियम 14 के अधीन किये जाने वाले विश्रांति प्रक्रम के दौरान पूरा किया जायेगा। विश्रांति कार्य दो प्रशाखाओं यथा (i) अभिलेख तथा रकबा प्रशाखा एवं (ii) खेसरा प्रशाखा में किया जायेगा।"

7. **उक्त बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली, 2012 के नियम 14 के उपनियम (5) के बाद निम्नलिखित नया नियम 5क अंतःस्थापित किया जायेगाः–**

5(क)(i) अधिकार अभिलेख के प्रारूप प्रकाशन के उपरान्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित लगान दर–तालिका के आधार पर संबंधित राजस्व ग्राम के प्रत्येक रैयत के लिए उसके धारित भूमि के विवरण एवं प्रकृति के अनुसार बंदोबस्ती लगान तालिका "प्रपत्र–18(क)" में तैयार करेगा। लगान दर तालिका निम्नरूपेण वार्षिक आधार पर तैयार किया जायेगा–

(क) वासगीत की भूमि–1.00 रूपये प्रति डीसमिल।

(ख) कृषि योग्य भूमि–0.75 रूपये प्रति डीसमिल।

(ग) भीठ भूमि–0.60 रूपये प्रति डीसमिल।

(घ) चौर, दियारा, पथरीली एवं बलुआही भूमि–0.50 रूपये प्रति डीसमिल।

(ड़) विभिन्न सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों की भूमि–1.00 रूपये प्रति एकड़।

(च) शहरी क्षेत्र की भूमि–5.00 रूपये प्रति डीसमिल।

(छ) व्यावसायिक भूमि–बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में।

यदि व्यावसायिक उपयोग से संबंधित भूमि को भविष्य में व्यावसायिक प्रयोजन में नहीं लाया जाता है अथवा व्यावसायिक प्रयोजन से मुक्त कर दिया जाता है, तो उसके वास्तविक उपयोग के आधार में लगान निर्धारित होगा।

(ii) संबंधित राजस्व ग्राम के सभी रैयतों के द्वारा धारित भूमि के विवरण एवं प्रकृति के अनुसार बंदोबस्ती लगान तालिका तैयार हो जाने के पश्चात् संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा किसी प्रविष्टि में हुई चूक अथवा गलती से संबंधित आपत्ति प्राप्त करने के लिए लगान दर तालिका का प्रारूप प्रकाशित करेगा एवं 15 दिनों के अंदर आपत्ति प्राप्त करेगा।

(iii) प्रकाशन की अवधि के दौरान प्राप्त सभी आपत्तियों का निपटारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा संबंधित पक्षों को उपस्थित होने तथा सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात् यथोचित रूप से सुनवाई कर दायर वादों से संबंधित कार्यवाही अभिलेख का संधारण किया जायेगा एवं कार्यवाही की अन्य औपचारिकताएँ पूरी की जायेगी।

(iv) नियम–14 के उपनियम–(5)(i) के आलोक में तैयार की गई लगान दर तालिका पर नियम–14 के उपनियम (5)(ii) के तहत प्राप्त आपत्तियों के निष्पादन के पश्चात् प्रभारी पदाधिकारी द्वारा सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के स्तर से समर्पित किये गये संबंधित राजस्व ग्रामों की रैयतवार बंदोबस्ती लगान दर तालिका की जाँच की जायेगी। जाँचोपरान्त सही पाये जाने पर प्रभारी पदाधिकारी द्वारा इसे सम्पुष्टि एवं स्वीकृति के लिए बंदोबस्त पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

(v) उपनियम–(5)(क)(iv) के तहत प्राप्त संबंधित राजस्व ग्रामों की रैयतवार लगान दर तालिका को बंदोबस्त पदाधिकारी द्वारा सुधार के साथ अथवा बिना सुधार के स्वीकृति किया जायेगा। लगान दर तालिका में सुधार की स्थिति में इसे संबंधित सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पास पुनर्विचार के लिए वापस किया जायेगा।

पुनर्विचार के लिए प्राप्त संबंधित राजस्व ग्राम के रैयतवार लगान दर तालिका में संशोधन हेतु सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी संबंधित पक्षकारों को सूचना निर्गत करते हुए सुनवाई की कार्रवाई करेगा एवं कार्यवाही संचालित कर अभिलेखबद्ध करेंगे तथा अन्य आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आदेश पारित कर संबंधित रैयत/रैयतों द्वारा धारित भूमि की विवरणी से संबंधित लगान दर तालिका में आवश्यक सुधार कर अधिकार अभिलेख प्रपत्र–20 में संबंधित रैयत/रैयतों के धारित भूमि/भू--खण्डों से संबंधित सुसंगत स्तम्भ में बंदोबस्ती लगान की प्रविष्टि करेंगे।

(vi) बंदोबस्त पदाधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बंदोबस्ती लगान तालिका को अंतिम रूप से रैयतवार उसके द्वारा धारित भूमि/भू–खण्ड के संदर्भ में तैयार

करायेगा तथा नियम–14 के उपनियम–5 के अनुसार जाँचोपरांत व्यवस्थित कर अधिकार–अभिलेख में उसे निगमित करेगा तथा प्रकाशित करेगा।"

8. उक्त नियमावली, 2012 के अध्याय–X को विलोपित किया जाएगा।

9. उक्त नियमावली, 2012 का अध्याय–XI के नियम 21 के अंतिम वाक्य यथा "उक्त तकनीकी मार्गदर्शिका में अधिनियम की धारा–16 के अधीन लाइसेन्स प्राप्त सर्वेयरों के कार्य के तकनीकी पहलुओं को भी समाविष्ट किया जाएगा" को विलोपित किया जाएगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(ब्रजेश मेहरोत्रा) 27/2/19

सरकार के प्रधान सचिव।

प्रपत्र–2

(देखें नियम–6 उप नियम–(1))

रैयत द्वारा स्वामित्व/धारित भूमि की स्व–घोषणा हेतु प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–.....थाना नं0:–..... हल्का नं0:–.....

पुलिस थानाः–.....अंचलः–..... जिलाः.....

रैयत का नाम (सह–हिस्सेदारों का नाम एवं अंश, अगर कोई हो, सहित) एवं पिता का नाम	स्थायी पता	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौरा						जमाबंदी सं0	भूमि पर दावा का आधार यथा–उत्तराधिकार/दान क्रय/बंदोबस्त/अन्य	अभ्युक्ति अगर कोई हो।
		खाता	खेसरा	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	किस्म जमीन	सेस को छोड़कर लगान			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि स्व–घोषणा में की गई प्रविष्टि मेरी/हमारी जानकारी में सही है। स्व–घोषणा में किसी गलत प्रविष्टि के लिए मैं/हम जवाबदेह हूँ/हैं।

नोटः– इस प्रपत्र को दो प्रतियों में दाखिल किया जायेगा। एक प्रति आवेदक को प्राप्तकर्त्ता पदा0/कर्मी द्वारा हस्ताक्षर तथा आवेदन की तारीख एवं क्रमांक अंकित कर प्राप्ति के प्रमाण के रूप में लौटाया जाएगा।

रैयत का हस्ताक्षर/अगूँठे का निशान
मोबाई नं0 एवं आधार सं0

तिथिः–

स्थानः–

प्रपत्र–3

(देखें नियम–6 का उप नियम–(7))

स्व–घोषणा के विरूद्ध निर्गत किये जाने वाले सत्यापन प्रमाण पत्र हेतु प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–.....थाना नंः–..... हल्का नंः–.....

अंचलः–.....जिलाः–.....

रैयत का नाम	रैयत द्वारा दाखिल स्व–घोषणा का क्र0 सं0	भूमि का ब्यौरा				भूमि का वर्गीकरण	जमाबंदी सं0	सेस को छोड़ कर लगान	भूमि जिसकी प्रविष्टि सही पायी गयी				अभ्युक्ति अगर कोई हो।
		खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी				खाता	खेसरा	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

अमीन का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र 3 (1)

वंशावली

अधिनियम की धारा 5 (1)

सेवा में,

शिविर प्रभारी
अंचल.....
जिला.....

विषयः– स्वयं की वंशावली समर्पित करने के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करते हुए कहना है कि मैं/हमलोग

(i) श्री/श्रीमती.....पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

(ii) श्री/श्रीमती..... पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री.....

(iii) श्री/श्रीमती..... श्री/श्रीमती.....
पुत्री (यों), पत्नी.....निवासी.....ग्राम.....
पुलिस थाना.....अंचलः–..... जिला.....**जाति**.....
ने भूमि जिसका विवरण आवेदन के साथ संलग्न प्रपत्र ।। में अंकित है स्व.....
..... पिताः–..... ग्राम .....
जो राजस्व ग्रामः–..... अंचलः–.....के जमाबंदी क्रमांक संख्या.....
.....में प्रविष्ट थे, की...../खतियान में अंकित खाता
संख्या.....खेसरा संख्या.....रकबा.....
लगान..... को उत्तराधिकार/बंटवारा के आधार पर हित अर्जित किया है।
मैं/हमलोगों निम्न वंशावली/वंशवृक्ष से उत्तराधिकारी के आधार पर हित आर्जित किया हूँ/हैं। वंशावली/वंशवृक्ष (मुल खतियान/पंजी–।। के अनुसार)
(नीचे वंश वृक्ष टेबल फार्म बनायें)

मैं/हमलोगों का उल्लेखित भूमि पर शान्तिपूर्ण दखल–कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद एवं विवाद से मुक्त है। मैं/हमलोगों की वंशावली, खतियान/जमाबंदी पंजी के अनुसार निम्नरूपेण है। अतः अनुरोध है कि प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तरधिकार के आधार पर मेरे/हमलोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अभिलेख में खाता खोलकर सम्बन्धित खेसरों को उसमें प्रविष्ट करने की कृपा की जाय।

अनुलग्नक–याचिकार्त्ता/(ओ) का वंशवृक्ष

विश्वासभाजन

याचिकाकर्त्ता (ओं) का हस्ताक्षर

वंशावली के आधार पर प्रत्येक उत्तराधिकारी का दखल निम्न प्रकार है:–

रैयत का नाम	पिता का नाम	स्थायी पता	स्वामित्व/धारित भूमि का ब्यौरा				जमाबंदी संख्या
			खाता	खेसरा	रकवा ए0डी0	चौहद्दी	

मैं/हमलोग का उल्लेखित भूमि पर शांतिपूर्ण दखल–कब्जा है तथा भूमि स्वत्ववाद से मुक्त है। अतः प्रपत्र में अंकित वंशावली के आधार पर तथा प्रश्नगत भूमि में उत्तराधिकार/बंटवारा के आधार पर मेरे/हमलोगों के नाम पर सर्वेक्षण प्रक्रिया से तैयार होने वाले अधिकार–अभिलेख में खाता खोलकर संबंधित खेसरों को प्रविष्टि करने की कृपा की जाए।

अनुलग्नक–

1. मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु की तिथि/वर्ष
2. जमाबंदी संख्या की विवरणी/मालगुजारी रसीद सं0/वर्ष
3. खतियान की नकल (यदि उपलब्ध हो तो)
4. दावाकृत भूमि से संबंधित दस्तावेजों की विवरणी
5. अगर सक्षम न्यायालय का आदेश हो तो आदेश की सच्ची प्रति
6. आवेदनकर्त्ता या हित अर्जन करने वाले का मृतक का वारिज होने के संबंध में प्रमाण–पत्र
7. आवेदनकर्त्ता/ओं के आधार कार्ड की छायाप्रति
8. आवेदनकर्त्ता/ओं के वोटर कार्ड की छायाप्रति

विश्वासभाजन

याचिकाकर्त्ता (ओं) का हस्ताक्षर
एवं पूरा पता

याद्दाश्त पंजी

प्रपत्र 3 (2)
{धारा 5 की उप धारा (1)}
अमीन द्वारा संधारित किया जाने वाला याददाश्त पंजी

बंदोबस्त कार्यालय का नाम....., अंचल .....पंचायत .....

शिविर ....., कार्यालय का नाम .....राजस्व ग्राम .....

थाना संख्या ....., जिला .....अमीन का नाम एवं पंजीयन संख्या.....

याद्दाश्त क्रम संख्या	नया खेसरा संख्या	पुराना खेसरा संख्या	पुराना खाता संख्या	पुराने खातेदार का नाम एवं पूरा पता	वर्त्तमान दखलकार का नाम एवं पूरा पता	वर्त्तमान दखलकार का वैधानिक आधार पुराने दर्ज खतियानी रैयत/दखलकार के साथ वर्त्तमान दखलकर्त्ता का सम्बन्ध एवं दावे से सम्बन्धित दस्तावेजों का विवरण	अन्य कागजी साक्ष्यों के आधार पर दावा किये जाने वाले भूमि का रकबा	दखल के अन्तर्गत की भूमि का खाता–खेसरा रकबा–चौहद्दी का विवरण	स्थान पर उपस्थित व्यक्ति का नाम एवं हस्ताक्षर तिथि के साथ	मौके पर अनुपस्थित किन्तु बाद में उपस्थित रैयत/ रैयतों का हस्ताक्षर तिथि सहित	आदेश का विवरणी	प्रपत्र 6 में प्रविष्टि की तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

प्रपत्र–4

(देखें नियम–6 का उप नियम–(8))

गैर–सत्यापित/विवादग्रस्त भूमि की पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–.....थाना नं0:–..... हल्का नं0:–.....

अंचलः–.....जिलाः–.....

रैयत का नाम	रैयत द्वारा प्रस्तुत स्व–घोषणा–पत्र की क्रम संख्या	भूमि का ब्यौरा				भूमि का वर्गीकरण	जमाबंदी सं0 (अगर हो तो)	सत्यापन नहीं किए जाने का संक्षिप्त कारण	अभ्युक्ति
		खाता सं0	खेसरा सं0	रकबा ए0 डी0	चौहद्दी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

अमीन का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–5
(देखे नियम–9 का उप नियम–(1)
खतियानी विवरणी

राजस्व ग्रामः–.....थाना नं0:–..... अंचल.....

जिलाः–.....

क्र0 सं0	रैयत का नाम पिता/पति का नाम एवं पूरा पता	खतियान या अधिकार–अभिलेख का क्रम संख्या	खेसरा संख्या	चौहद्दी (वैकल्पिक	रकबा				लगान सेस को छोड़कर	अभ्युक्ति
					कृषित	अकृषित	अन्य	कुल		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

अमीन का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–6

(देखे नियम–9 का उप नियम–(1)

खेसरा पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्रामः–.....थाना नं0ः–..... हलका नं0.....

अंचलः–..... जिलाः–.....

क्र0 सं0	रैयत का नाम पिता/पति का नाम जाति एवं पता	रैयत का आधार नं0 एवं मोबाईल नं0	खेसरा सं0		पुराना खाता नं0	खेसरा का रकवा		चौहद्दी	खेसरा की भौतिक विवरणी/उपलब्ध अलामत	भूमि का वर्गीकरण वासगीत/कृषि/भीठ/चौर दियारा/सरकारी/शहरी/व्यावसायिक	फसल के अंतर्गत रकवा						शेष छोड़कर लगान	वर्त्तमान में भूमि के उपयोग का स्वरूप					अभ्युक्ति
			नया	पुराना		ए0	डि0				भदई	अगहनी	रबी	अन्य फसल	कृषि योग्य	कृषि हेतु अयोग्य		कृषि	परती	आवासीय	व्यावसायिक	अद्यौगिक अन्य	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

अमीन का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

लगान बन्दोबस्ती दर तालिका प्रपत्र–18 (क)

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त नियमावली संशोधन, 2018 के नियम–14 का उप नियम–5 (क)(i) देखे

मौजाः–.....थाना सं0ः–.....अंचलः–.....जिलाः–.....

लगान दर

(क) वासगीत की भूमि– 1.00 रूपये प्रति डीसमिल।
(ख) कृषि योग्य भूमि– 0.75 रूपये प्रति डीसमिल।
(ग) भीठ भूमि– 0.60 रूपये प्रति डीसमिल।
(घ) चौर, दियारा, पथरीली एवं बलुआही भूमि–0.50 रूपये प्रति डीसमिल।
(ड़) विभिन्न सरकारी अथवा सरकार द्वारा नियंत्रित विभागों की भूमि– 1 रूपये प्रति एकड़।
(च) शहरी क्षेत्र की भूमि– 5.00 रूपये प्रति डीसमिल।

(छ) व्यावसायिक भूमि– बिहार कृषि भूमि (गैर–कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 में निहित प्रावधानों के आलोक में।

क्रमांक	रैयत/अभिधारी का नाम/	खेसरा नं0	भूमि की प्रकृति वासगीत/कृषि योग्य/भीठ भूमि/चौर दियारा/सरकारी/शहरी क्षेत्र/व्यावसायिक	रकबा	दर	कुल लगान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

अमीन/विशेष सर्वेक्षण अमीन का हस्ताक्षर स0ब0प0/विशेष सर्वेक्षण स0ब0प0 का हस्ताक्षर बन्दोबस्त पदाधिकारी का हस्ताक्षर

प्रपत्र–19
(देखें नियम–14 का उप नियम–(4))
नये खेसरा पंजी का प्रपत्र

राजस्व ग्राम.....राजस्व थाना संख्या.....अंचल.....जिला.....

क्र0 सं0	पुराना खेसरा नं0	नया खेसरा नं0	पुराना खाता संख्या	नया खाता संख्या	पुराना रकबा ए0 डी0	नया रकबा ए0 डी0	पुराना चौहद्दी वैकल्पिक	नया चौहद्दी	पुराना रैयत का नाम	नया रैयत का नाम	फसल के अधीन रकबा						सेस को छोड़कर लगान	दखल सहित अभ्युक्ति
											भदई	अगहनी	रब्बी	अन्य फसल	कृषि योग्य	कृषि हेतु अयोग्य		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

अमीन का हस्ताक्षर

कानूनगो का हस्ताक्षर

शिविर के प्रभारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी
हस्ताक्षर

GOVERNMENT OF BIHAR

REVENUE & LAND REFORMS DEPARTMENT

The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2019

Notification

No-08 / Niyam Sanshodhan(Survey)–08–02 / 2012(Part)...131...(8) / Ra, dated– 27/2/19

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (as amended from time to time), the State Government hereby makes the following Amendment Rules to amend the Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012:-

1. Short title, extent and Commencement.- (1) These rules may be called "The Bihar Special Survey and Settlement (Amendment) Rules, 2019".

(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.

(3) It shall come into force with immediate effect.

2. Rule-2 of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following.-Rule-2(1), In these Rules unless there is anything repugnant in the subject or context-

(i) **"Special Survey"** means the construction of digital map and construction and maintenance of record of rights to be made on the basis position of the property and ownership relating to the land with the help of modern technology by using aerial Photographs/ Satellite Images - taking latest position of land;

(ii) **"Map"** means the map of land that is say configuration prepared village wise of all the existing plots Revenue village with total numbers khesras and boundaries and all necessary details with the help of modern technology/ E.T.S or human technique by using Aerial Photographs/Satellite Images;

(iii) **"Control Point"** means the control points established by the Department of Survey of India, mainly made for control points for the Survey in the context of primary, secondary, tertiary,etc;

(iv) **"Amin Diary"** means Amin diary maintained in the prescribed format for verification and examination in work of survey, by Amin/Speical Survey Amin described in Serial no.-XI of sub-section (2) of section-2, of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 during field visit within the different stages of land survey for recording the proceeding of measurement and land survey;

(v) **"Yaddast Register"** means a Register maintained in the prescribed format by Amin and Kanungo for entering the claims and other details received from Raiyats with respect to their land under sub-section (1) of Section-5 of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (as amended from time to time);

(vi) **"Pedigree"** means Pedigree prepared in the prescribed format Land Statement basis claim entered in it received from raiyats prepared by Amin/Kanungo within their jurisdiction clarifying their relationship with original Khatiyani/Jamabandi Raiyats under the provisions of sub-section (1) of section-5 of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (as amended from time to time);

(vii) **"Deputy Collector Land Reforms"** means an officer appointed by the State Government as Land Reforms Deputy Collector for discharging duties and liabilities described for maintenance of land-records during land survey as per procedure described in the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (as amended time- to- time) and the Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012;

(viii) **"Circle Officer-"** means an officer appointed by the State Government as Circle Officer to discharge the duties and liabilities described in the Rules and the Act;

(ix) **"Special Survey Amin- "** means Special Survey Amin working as an Amin for Special Survey works for discharging the duties and liabilities of Amin described in the Rules and the Act;

(x) **"Special Survey Kanoongo-"** means Special Survey Kanoongo working as kanoongo for discharging the duties and liabilities of Kanoongo described in the Rules and the Act;

(xi) **"Special Survey Assistant Settlement Officer- "** means an officer working as Special Survey & Settlement Officer to discharge the duties liabilities of the Assistant Settlement Officer in Special Survey as described in the Act and Rules.

(xii) **"Electronic Total Station-"** means the modern equipment measuring the land in conformity according to criterion as prescribed by the

B. Mishra

Government and in conformity with the standards determined by the Government;

(xiii) **"Differential Global Positioning System-"** means the modern equipment to indicate Specific Co-ordinations of Specific Place and correct positions on the Earth by linking the signals received from the Satellite with Ground Co-ordinates;

(xiv) **"Tie-Line- "** means the line connecting the smaller Survey Blocks on the main Survey Line;

(xv) **"Teriz-"** means the statement prepared by recorded informations of the entries in the Khatiyan- currently in use;

(xvi) **"Land Parcel Map-"** means a map depicting one parcel as part of specific land portion.

(2). Words and expressions used but not defined in these Rules shall have the same meaning which have been assigned to them in the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011 (as amended from time to time).

(3). The words **"Licensed Surveyor" used in the Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012 shall be substituted by the words "Amin/Special Survey Amin"**

(4). In view of section-2 (1) of the Bihar Special Survey and Settlement Act, 2011, unless otherwise requires in the context the definitions provided in the Bihar Tenancy Act, 1885, the Bihar Land Reforms Act, 1950, the Survey and Settlement Manual, 1959, the Tenant holding (Maintenance of Records) Act, 1973 and Bihar Mutation Act, 2011 shall be applicable.

3. Sub rule (3), (4), (5), (7) and (8) of rule-6 of the said Rules, 2012 shall be is substituted by the following respectively :-

"(3) A land holder/Raiyat may submit before the Assistant Settlement Officer in survey office or camp office, a self declaration in respect of land held by him in Form-2 and Pedigree in prescribed Form-3(1).

(4) Self declaration shall be received by the Assistant Settlement Officer as per provisions provided in sub-rule-(1) and the same shall be verified with the help of different Revenue records of right.

(5) Assistant Settlement Officer shall verify details of self declaration with the help of different records of right such as last survey khatiyan, Jamabandi Register, Khesra Register, last consolidation khatiyan, continuous khatiyan and other available revenue records.

(7) After verification of self declaration, concerned Assistant Settlement Officer shall prepare verification certificate in Form-3.

(8) Any self declaration which could not be verified by the Assistant Settlement Officer due to non availability of the relevant records or due to disputes a brief reason for non verifications shall be maintained in a separate register in Form-4.

4. Sub-rule-(1) of Rule-8 of the said Rules, 2012 shall be substituted by the following and sub-rule-(3) shall be deleted:-

(1) Revenue village wise Khanapuri parties shall be constituted by the Settlement Officer of the concerned district consisting of the following :-

(i) Assistant Settlement Officer/Special Survey Assistant Settlement Officer.

(ii) Kanoongo/Special Survey Kanoongo.

(iii) Amin/Special Survey Amin.

Sub-rule-(3) of The Bihar Special Survey Settlement Rules-2012-deleted.

5. Amendment in Rule-9 of the said Rules, 2012.-(1) Sub-rule-(2) of Rule-9 of the said Rules, 2012 is deleted.

(2) Sub-rule-(3) of Rule-9 of the Bihar Special Survey and Settlement Rule-2012 is substituted by the following:-

"(a) Such self declaration which could not be verified earlier by the Assistant Settlement Officer, shall be verified by the Khanapuri party on the basis of available records of right such as last Survey Khatiyan, updated khatiyan, consolidation khatiyan, Khesra register, continuous khatiyan, Jamabandi register and other revenue records of right."

(3) New sub-rule-(3)(b) is added after sub-rule-3(a) of the Bihar Special Survey and Settlement Rule-2012.

"(b) The khanapuri party, having regard to such facts, shall determine the infrastructure in record of rights, such-as khesra register right of cultivation and ownership shall be as follows:-

(i) **Account uptodate ground realities-** property based ownership found in course of Land verification and on the basis of papers related to property, position of possession;

(ii) **Changes**-position of Geographical changes in land plots in due course of time;

(iii) **Transfers**-Position of ownership on the land/land plots on the basis of land settlement, Bhoodan Praman Patra, sale-purchase, gift, perpetual lease etc. by the Government;

(iv) **Sub-division**- up to date position of land/Land plots after division of rayati land on the basis of mutually signed consent, on the basis of registered deed and order passed by the civil court in property suit/partition suit.

(4) Provision of Sub-rule-(4) of Rule-9 shall be mentioned as clause (a) and thereafter the following clauses (b), (c) and (d) shall be inserted:-

"(b) If concerned raiyat is not found present at the time of spot verification during khanapuri stage, then the Amin shall enter the same in the Yaddast register and proceed serial-wise. If such raiyat makes his presence after fixed due date, then the land details of such raiyat shall be entered by Amin with his signature and date in the yaddast register "Form-3(2)".

Details of revenue records/ documents/evidences shall be entered in the Yaddast register on the basis of which khata has been opened during khanapuri stage in the name of concerned raiyat.

(c) Before initiating khanapuri works, concerned Amin shall prepare pedigree of all raiyats khata-wise on the basis of Terij of khatian under the supervision of Kanoongo. Pedigree shall be prepared of all survey related villages in the presence of general public and assistance will be sought from local public/representatives as per requirement. Signatures will be procured on the pedigree that of raiyats/general people/public representatives. If land is found to have been transferred by the original raiyat or his real heir, then concerned raiyat shall enter his details on the other page of the pedigree. Such prepared pedigree shall be randomly examined by the Assistant Settlement officer also. Share of raiyats shall be determined on the basis of pedigree as per provisions laid down in Hindu Succession Law/Muslim Succession Law or whatever is applicable.

(d) After receipt of information related to khanapuri parcha, concerned raiyat shall file his claim/objection against the entries in Form-8 within maximum of 15 days."

6. Following sub-rule (1a) shall be inserted after sub-rule-(1) of Rule-11 of the above Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012 :-

"(1a) Checking of Maps and record of rights prepared in view of the provision of sub-rules-(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11) of Rule-9 and sub-rule-(1), (2), (3), (4) of Rule-10 shall be completed during recess under Rule-14. Recess work shall be completed in two sections-(i) records and area section and (ii) khesra section.

B. Mahadeo

7. New sub rule-(5a) shall be inserted after sub-rule-(5) of Rule-14 of the Bihar Special Survey and Settlement Rules, 2012 :-

"**(5a)(i)** After publication of draft of record of rights, Assistant Settlement Officer shall prepare Settlement Rent Roll in Form-18(a) on the basis of rent table fixed by the State Government for every raiyat of the concerned revenue village. Annual rent roll shall be prepared as per following:-

(a) Homestead Land- Rs.1.00 per decimal.
(b) Agriculture Land-Rs.0.75 per decimal.
(c) Bhit Land - Rs.0.60 per decimal.
(d) Chaur, Diyara, Pathrili and Sandy land - Rs.0.50 per decimal.
(e) Different Government land and land controled by different Government Departments - Rs.1.00 per acre.
(f) Urban land - Rs.5.00 per decimal.
(g) Commercial Land-as per provisions laid down in the Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010.

If the Commercial land is not put to commercial use in future or the same is exempted from Commercial use, then rent shall be fixed in view of its actual use.

(ii) After preparation of rent roll of the concerned village as per land details and its nature, owned by all raiyats, concerned Assistant Settlement Officer shall publish draft rent roll for receipt of objections and claims and such objections shall be received within 15 days from the date of its publication.

(iii) Claims and objections received during the publication of draft rent roll shall be disposed of after giving reasonable opportunity of hearing to concerned parties. Records of proceedings shall be maintained as case record & other formalities shall also be completed.

(iv) After disposal of claims & objections received in view of the provisions of subrule-(5) (i) of Rule-14 and rent roll prepared in view of subrule-(5)(ii) of Rule-14, the Charge Officer shall examine rate of settlement rent roll as submitted by the Assistant Settlement Officer. The Charge Officer shall examine the settlement rent roll and if it is found correct, he shall submit it to the Settlement Officer for confirmation and sanction.

(v) The Settlement Officer may sanction Raiyat wise settlement rent roll with or without correction in view of subrule-(5)(a)(iv). If correction is required in settlement rent roll, the same shall be returned to the Assistant Settlement Officer for reconsideration.

For amendment in rent Table Raiyatwise of concerned Revenue Village received for reconsideration, the Assistant Settlement Officer shall issue notices

B. Mishra

to concerned parties for amendment in Raiyat wise rent roll and after hearing concerned parties, his findings shall be recorded in case record. After hearing and completing other formalities correction will be made in concerned rent roll and rent shall be incorporated in the relevant columns of Form-20 of Record of Rights of the land owned by concerned Raiyat/Raiyats .

(vi) After final sanction by the Settlement Officer, Assistant Settlement Officer shall prepare settlement rent roll with respect to land/land plots owned Raiyat wise and after proper verification systematically arrange & incorporate and publish the same in view of subrule-(5) of Rule-14.

8. Chapter-X of the said Rules, 2012 shall be deleted.

9. Last sentence of Rule-21 of Chapter-XI of the said Rules, 2012- namely **"Technical aspects of the work of the licensed surveyors under section-16 of the Act shall also be incorporated in the said Technical Guidelines"** shall be deleted.

By order of the Governor of Bihar

B. Mehrotra 27/2/19

Principal Secretary to the Government

Form-2

(See Rule 6 Sub Rule (1))

FORM FOR SELF-DECLARATION OF LANDS OWNED/HELD BY THE RAIYATS.

Revenue Village:–.....**Thana No.:–**..... **Halka No.:–**.....

Police Station:–.....**Anchal:–**.....**District:**.....

Name of the Raiyat, (Including name and share of Co-sharer, if any) & Father's Name	Permananet Address	Details of Lands Owned/Held						Jamabandi No.	Basis of claim over the land such as Sucession/Gift Purchase/Settlement/Others	Remarks, If any,
		Khata	Khesra	Area A. D.	Boundary	Classification of Land	Rent excluding cess.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I/We declare that the entries made in self-declartation is true to my/our knowledg. In case of any wrong entry in self- declaration, I/We shall be held liable for the same.

Note: This form shall be submitted in duplicate. One copy shall be made over to the petitioner as token of receipt after putting initial date and serial no. of the petition by the receiving officer/employee.

Signature/Thumb Impression of the Raiyat
Mobile No. and Aadhar No.

Place:-.....

Date:-.....

FORM-3

(See Sub Rule (7) of Rule-6)

FORM VERIFICATION CERTIFICATE ISSUED AGAINST SELF- DECLARATION

Revenue Village:–.....Thana No.:–..... Halka No.:–.....

Anchal:–.....District:–.....

Name of the Raiyat	Serial No. of Self-Declaration submitted by the Raiyat	Details of Land				Classification of Land	Jamabandi No.	Rent excluding cess.	Entries of Land found correct				Remarks, If any,
		Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary				Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Signature of Amin

Signature of Kanoongo

Signature of Assistant Settlement Officer

Form 3 (1)

Pedigree (Family Tree), Section 5 (1) of the Act

To,

Camp In charge
Circle.....
District.....

Subject- Regarding Submission of self Pedigree (family tree)

Sir,

Duly informing with regard to above mentioned subject here by I/We have to say that

(i) Mr./ Mrs..... Son/ Daughter / Wife of.....

(ii) Mr./ Mrs. .....Son/ Daughter / Wife of .....

(iii) Mr./ Mrs. ..... Mr./ Mrs. ..... Daughter (Daughter's), Wife of .....Resident of..... Village.....Police Station.....Circle:–.....District ..... **Caste (In capital letter)** .....whose description is written and attached along with application in the form II Late.....Father:–..... Village .....who was mentioned in Jambandi Panji Serial Number..... Revenue Village:–.....Circle:–.....and whose details described as Khata Number:- ..... Plot Number:- ....Area:-.....Rent (in rupees):-..... .....in (CS/RS/Chakbandi) ..... Khatiyan. On the basis of hereditary devolution/ Partition, I/We have earned the interest as heirs according to Family Tree Table mentioned below as per Khatiyan / Register-II.

I/We hereby declare that on the basis of below attached family tree as per Khatiyan/Register-II have earned the interest in above mentioned land under consideration is in our peaceful possession and is free from any dispute/title-suit. My/Our family tree as per Khatiyan / Jamabandi Panji is as follows.

So hereby I/We request to open an account (Khata) in My/ Our Name with plot detail on the basis of family tree described in form-III for the land under consideration in the "RoR" (Records of Right) being prepared through survey operation.

Sincerely

Signature/ Signatures of the
applicant/applicants

Possesion of Individual heir on the basis of Pedigree

Name of Raiyat	Father Name	Permanent Address	Details of Possession/Ownership				No. Jambandi
			Khata	Khesra	Area A. D.	Boundary	

I/We hereby declare that we have peaceful possession on the land and it is free from any dispute/title-suit. So hereby I/We request to open an account (Khata) in My/ Our Name with plot detail on the basis of family tree described in form-III for the land under consideration in the "RoR" (Records of Right) being prepared through survey operation.

Enclosures–

1. Date/Year of Dead Jambandidar
2. Details of Jamabandi No./ Revenue Recipt No./ Year
3. Copy of Khatiyan (If Available)
4. Detail Documents of Claimed Land
5. True copy of the order if delivered by Competent court
6. Valid documents for establishing heir of the dead raiyat/applicant
7. Photocopy of Aadhar card of applicants
8. Photocopy of voter id of applicants

Sincerely

Signature/ Signatures of the applicant/applicants

Yaddast Register Form-3 (2)

[Section-5, Sub Section-(1)]
Yaddast Register to be maintained by Amins

Settlement Office.....,Anchal .....Panchayt .....

Shivir .....,Office Name .....Village .....

R.T. No. .....,District .....Name and Registration No. of Amin.....

Yaddast Serial No.	New Plot No.	Old Plot No.	Old Khata No.	Name and Complete Address of Old Khatedar	Name and Complete Address of Present Possession Holder	Legal Basis of possession holder (Relation with khatiyani raiyat & supportive documents)	Land Area (On the basis of other paper documents)	Detail description of land (khata/khesra/ area/boundry)	Name and signature of the person with date present on the spot	Name and signature of the Raiyat/Raiyats with date (Absent on spot but later joined)	Details of Order	Date of Entry in Form-6	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

FORM-4

(See Sub Rule (6) of Rule 8)

FORM FOR REGISTER OF UN-VERIFIED/DISPUTED LANDS

Revenue Village:–.....Thana No.:–..... Halka No.:–.....

Anchal:–.....District:–.....

Name of the Raiyat	Serial No. of Self Declaration submitted by the Raiyat	Details of Land				Classification of Land	Jamabandi No. (if any)	Brief reason for non verification	Remarks
		Khata No.	Khesra No.	Area A. D.	Boundary				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Signature of Amin

Signature of Kanoongo

Signature of Assistant Settlement Officer

FORM-5
(See Rule-9, Sub-Rule-(1))
Khatiyani Details

Revenue Village:–.....Thana No.:–..... Anchal.....

District:–.....

Serial No.	Raiyat's Name/Father/Spouce Name and Address	Serial No. of Khatiyani/ Record of Rights	Plot No.	Boundary (Optional)	Area				Lagan (Excluding Cess)	Remarks
					Agriculture	Non Agriculture Land	Others	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Signature of Amin

Signature of Kanoongo

Signature of Assistant Settlement Officer

FORM-6
(See Sub Rule-(1) of Rules-9)
Format for Kheshra Register

Revenue Village:–.....**Thana No.:–**..... **Halka No.**.....

Anchal:–..... **District:–**.....

Sl. No.	Raiyat's Name/Father/ Husband	Aadhar and Mobile No. of Raiyat	Plot No.		Old Khata No.	Area of Khesra		Boundary	Physical description of Khesra/ Avialable Alamat	Classification of Land Homestead/ Agriculture/ Vith/Urban/ Commerical	Area under Crop						Lagan (Excluding Shesh)	Present Nature of Land					Remarks
			New	Old		A.	D.				Bhadai	Aghani	Rabi	Other Crop	Agriculture Land	Non Agriculture Land		Agriculture	Fallow	Residentional	Commerical	Others Industrial	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

Signature of Amin

Signature of Kanoongo

Signature of Assistant Settlement Officer

FORM-18(A)

Rate of Rent Settlement, Rent Roll 18(A)

(See Sub Rule-5(A)(i) of Rule-14)

Mauza:–.....Revenue Thana No.:–.....Anchal:–.....District:–.....

Rate of Rent

(a) Homestead Land- Rs.1.00 per decimal.
(b) Agriculture Land-Rs.0.75 per decimal.
(c) Beeth Land - Rs.0.60 per decimal.
(d) Chaur, Diyara, Pathrili and Sandy land - Rs.0.50 per decimal.
(e) Different Government land and land controled by different Government Department - Rs.1.00 acre.
(f) Urban land - Rs.5.00 per decimal.
(g) Commercial Land - as per provisions laid down in the Bihar Agriculture Land (Conversion for Non-Agriculture Purposes) Act, 2010.

Serial No.	Name of Raiyat	Plot No.	Nature of Land Homestead Land/ Agriculture Land/Vith Land/Chaur, Diyara,/Government/Urban Area/Commercial Land	Area	Rate	Total Rent	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

Amin/Signature of Special Survey Amin A.S.O/Signature of Special Survey A.S.O Signature of Settlement Officer

Amin Diary

Name of Amin..... Name of Mauza..... Revenue Thana No.....

Dated	Kishtwar			Verification of Khanapuri Plot			Hearing	
	Village Boundary Verification and Work of Kishtwar	No. of Total Khesra	Area	Name and Address of Old Khatedar	No. of Total Khesra	Area	No. of Cases given to Amin by A.S.O for enquiry validation and measurment with date	Returning date of enquiry report to shivir camp
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Signature of Verifying Officer

Signature of Amin

FORM-19
(See Rule-14, Sub-Rule-(4))
FORM OF NEW KHESRA REGISTER

Revenue Village:–.....**Thana No.:–**..... **Anchal**.....**District:–**.....

Serial No.	Old Khesra No.	New Khesra No.	Old Khesra No.	New Khesra No.	Old Area A. D.	New Area A. D.	New Boundary	Name of Old Raiyat	Name of New Raiyat	Area under Crop							
										Bhadai	Aghani	Rabi	Other Crop	Cultivalble	Uncultivalble	Rent excluding Cess	Remarks including Possession
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Signature of Amin **Signature of Kanoongo** **Signature of Assistant Settlement Officer-in-Charge of Camp**

Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947

जमीन्दारी व्यवस्था एवं रैयतवारी व्यवस्था से संबंधित क्षेत्रों में जमीन्दारो एवं भू–स्वामियो द्वारा भूमिहीन–गृहविहीन परिवारों को अपनी जमीन पर गृह/झोपड़ी निर्माण कर निवास करने की अनुमति दी गई, जिसका मुख्य उदेश्य उनकी खेती कार्य में सहयोग प्राप्त करना था। खेती के अतिरिक्त जमीन्दारो, भू–स्वामियों के द्वारा वैसे बसाए गए भूमिहीन–गृहविहीन परिवारों से अन्य कार्य भी लिए जाते थे – यथा– बढई, लोहार, कहार, Potter, Shoe-Maker का कार्य। वैसे परिवारों से Bonded Labour – बंधुवा मजदूरो के रूप में कार्य करवाया जाता था। न्यूनतम मजदूरी नाम की कोई परिकल्पना नहीं थी। वैसे बसाये गये परिवारों को कही अन्यत्र कार्य करने की स्वतंत्रता भी नहीं थी।

वैसे परिवारों जो जमीन्दारो, भू–स्वामियो की जमीन पर बसे हुए थे, को वासगीत की जमीन से संबंधित कोई अधिकार नहीं था जिसके कारण वे भू–स्वामियो की मरजी/दया पर निवास करते थे एवं उन्हें जमीन्दारो की इच्छा पर वैसी जमीन से हटाने के विरूद्ध कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं था। वैसे परिवारो को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कुछ राज्यो द्वारा नया अधिनियम/नियमावली बनाया गया, जबकि कुछ अन्य राज्यो द्वारा Existing Land Reforms Laws में आवश्यक प्रावधान अंकित करते हुए वासरहित परिवारो को सुरक्षा प्रदान किया गया।

2. देश के स्वतंत्र होने के पश्चात बिहार देश का पहला राज्य बना जहाँ वासरहित वैसे परिवार, जो अन्य भू–धारी की जमीन पर निवास कर रहे थे, को सुरक्षा प्रदान करने हेतु The Bihar Privileged Persons Homestead Tenancy Act, 1947 एवं Rules, 1948 प्रभाव में लाया गया।

3. कितने परिवारो को देश के विभिन्न राज्यो में उक्त प्रावधानो के आलोक में लाभान्वित किया गया, का Authentic Data उपलब्ध नहीं है, लेकिन विभिन्न संस्थाओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार लगभग 40.00 लाख परिवारो को वासगीत की जमीन का अधिकार प्रदान किया गया। लेकिन समय व्यतीत होने के साथ ही उक्त अधिनियम के कार्यान्वयन में में शिथिलता आने के कारण "Momentum" को यथावत बनाए रखना संभव नहीं हो सका।

4. वर्त्तमान में वैसे परिवारो की संख्या लाखो में है, जो सरकारी अथवा रैयती जमीन पर अपनी झोपड़ी/घर बनाकर निवास कर रहे है, साथ ही वैसे परिवार जिन्हें वासभूमि नहीं है, की संख्या भी "Substantial" है। 2001 की जनगणना के अनुसार 32 लाख परिवार वासभूमि रहित है।

Registrar General of India - (Ministry of Rural Development) के द्वारा प्रकाशित डाटा के अनुसार – 148.33 लाख–2006 में वासरहित परिवारों थें

The Housing and Urban Development Corporation के द्वारा प्रकाशित डाटा के अनुसार– 32.2 लाख परिवार वासरहित है।

National Housing Bank – के द्वारा प्रकाशित डाटा के अनुसार –40.00 लाख परिवार गृहविहीन है।

Working group on Rural Housing for Eleventh Five Year Plan के द्वारा प्रकाशित डाटा के अनुसार –– 36.00 लाख परिवार वासरहित है।

National Sample Survey Organisation (NSSO) के द्वारा प्रकाशित डाटा के अनुसार –78.00 लाख परिवार वासरहित है। (Planing Commision of India -2007)

Bihar-2010 में प्रकाशित Survey के अनुसार महादलित श्रेणी के कुल- 2,43,667 के परिवार गृहविहीन है।

<u>जमीन का वर्गीकरण :–</u>

1. गैर मजरूआ आम – सार्वजनिक उपयोग की जमीन यथा सड़क, तालाब, बाजार, हाट, जंगल, आदि। गैर मजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती भूतपूर्व मध्यवर्तियों को करने की शक्ति प्रदत्त नहीं थी। जिस गैर मजरूआ आम भूमि की प्रकृति बदल चुकी है तथा स्थानीय ग्राम पंचायत की ग्राम सभा की अनापत्ति प्राप्त कर ली गयी है वैसे मामलों में गैर मजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती/हस्तांतरण का प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त की अनुशंसा से विभाग को उपलब्ध कराया जाता है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के स्तर से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर उसे मंत्रिपरिषद की बैठक में विचारार्थ रखा जाता है। मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के पश्चात बन्दोबस्त आदेश निर्गत किया जाता है।

गैर मजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती/हस्तान्तरण की शक्ति केवल सरकार में निहित है तथा अबतक केवल वासरहित महादलित परिवारों के साथ ग्रामीण क्षेत्र में आवासीय प्रयोजन के लिए 3 डिसमिल गैर मजरूआ आम भूमि प्रति परिवार की दर से बन्दोबस्ती की शक्ति प्रमंडलीय आयुक्तों को प्रत्यायोजित की गयी है (विभागीय पत्रांक–3(6)/रा0, दिनांक–05.01.2010 के द्वारा)। अगले आदेश तक अन्य किसी योजनाओं/सुयोग्य श्रेणी के साथ गैर मजरूआ आम भूमि का हस्तांतरण/बन्दोबस्ती पूर्व की भाँति सरकार के स्तर से ही होगी। विभाग द्वारा निदेशित किया गया है कि वास रहित महादलित परिवारों के अतिरिक्त अन्य योजनाओं/सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों के साथ गैर मजरूआ आम भूमि के हस्तांतरण/बन्दोबस्ती हेतु प्रस्ताव गठित करते समय निम्न बिन्दुओं पर निश्चित रूप से ध्यान दिया जाय :–

(I) प्रस्तावित गैर मजरूआ आम भूमि का स्वरूप परिवर्तित हो चुका हो तथा वह सार्वजनिक उपयोग में नहीं रह गई हो परन्तु भू–अभिलेख में जल निकाय, उत्सर्जन या प्रवाह से संबंधित प्रविष्टि दर्ज होने पर किसी अन्य प्रयोजन से बन्दोबस्ती के पूर्व जाँच कर संभावनाओं का पता लगाया जाय कि जल निकाय, उत्सर्जन या प्रवाह के लिए उसका विकास या पुनरूद्धार संभव है या नहीं। यदि यह निष्कर्ष हो कि यह कतई संभव नहीं है, तभी इस प्रकार की गैर मजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती का प्रस्ताव गठित किया जाय।

(II) भू–अभिलेख में जल निकाय, उत्सर्जन या प्रवाह के रूप में प्रविष्ट प्रत्येक मामले की स्थलीय जाँच हेतु संबंधित समाहर्त्ता एक समिति का गठन करेंगे जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे :–

(क) अपर समाहर्त्ता	–	अध्यक्ष
(ख) संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी	–	सदस्य
(ग) संबंधित कार्यपालक अभियंता, जल संसाधन	–	सदस्य
(घ) संबंधित अंचल अधिकारी	–	सदस्य

(III) अंचल अधिकारी के स्तर से इस प्रकार के मामले की सूचना दिये जाने पर अपर समाहर्त्ता समिति की बैठक आहूत करेंगे। समिति स्थलीय जाँच के उपरांत अपना प्रतिवेदन समाहर्त्ता को समर्पित करेगी। तदुपरांत समाहर्त्ता समिति के प्रतिवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी को उचित माध्यम से प्रस्ताव/अभिलेख उपस्थापित करने का आदेश देंगे। समिति का प्रतिवेदन विचारगत अभिलेख का अंग होगा जो समाहर्त्ता के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त को उपस्थापित किया जाएगा। समिति के सदस्यों के बीच

मतान्तर की स्थिति में उक्त मामले में संबंधित जिला के समाहर्त्ता जांचोपरांत अंतिम निर्णय लेंगे एवं प्रमंडलीय आयुक्त को प्रतिवेदन समर्पित करेंगे जिसके साथ समिति का प्रतिवेदन भी संलग्न रहेगा।

(IV) विभागीय परिपत्र संख्या–8/भू0सु0–पंचायत–22/2001–732/रा0 दिनांक–26.09.2001 के द्वारा यह पूर्व में निदेशित है कि गैर मजरूआ आम भूमि की प्रकृति में परिवर्तन एवं भूमि बन्दोबस्ती से संबंधित सभी मामलों में ग्राम सभा की अनुशंसा प्राप्त की जाएगी। यह अनुदेश पूर्ववत जारी रहेगा। तदनुसार संबंधित समाहर्त्ता इस परिपत्र के तहत प्रमंडलीय आयुक्त को प्रस्ताव भेजने के पूर्व संतुष्ट हो लेंगे कि प्रस्तावित गैर मजरूआ आम भूमि की बन्दोबस्ती के लिए आम सूचना का तामिला होने के उपरांत विधिवत संबंधित पंचायत की ग्राम सभा की अनापत्ति प्राप्त कर ली गयी है एवं ग्राम सभा की कार्यवाही अभिलेख में संलग्न है।

प्रमंडलीय आयुक्त, समाहर्त्ता से प्रस्ताव प्राप्त होने पर पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही सरकार की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव अनुशंसा सहित उपलब्ध कराएंगे।

2. **<u>गैर मजरूआ खास जमीन</u>** – परती कदीम, ठेकेदार, मोकर्रिदार – गैर मजरूआ खास जमीन की बन्दोबस्ती करने का अधिकार भूतपूर्व मध्यवर्तियों को था। लेकिन बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(H) में यह प्रावधान किया गया है कि यदि जमीन्दारी उन्मूलन के उदेश्य को Defeat करने हेतु यदि 01.01.1946 के बाद किसी गैर मजरूआ खास जमीन की बन्दोबस्ती भूतपूर्व जमीन्दार द्वारा किया गया, तो उसकी जाँच कर नियमानुसार बन्दोबस्ती रद्द करने का प्रावधान अंकित किया गया है।

<u>G.M Khas Land :-</u>

I. Ex-Intermediary द्वारा Registered पट्टा – से बन्दोबस्त –

II. सादा हुकुमनामा – 01.01.1946 से पहले लेकिन Return में आया हो –

III. सादा हुकुमनामा से यदि बन्दोबस्त किया गया है एवं जमीन्दार द्वारा समर्पित Return में उसका उल्लेख है तो संबंधित रैयत के साथ बन्दोबस्त माना जाएगा, लेकिन यदि 01.01.1946 के बाद जमीन्दारी उन्मूलन के पहले – जमीन्दारी उन्मूलन के उद्देश्यों को विफल करने के उद्देश्य से यदि जमीन बन्दोबस्त किया गया है तो Bihar Land Reforms Act, 1950 की धारा 4H के अन्तर्गत जमाबंदी रद्ध करने/बन्दोबस्ती रद्ध करने की शक्ति समाहर्त्ता को प्रदत्त है –

IV. G.M Malik Land का Rent fixation नहीं बल्कि बन्दोबस्ती की जाती है।

(ii) <u>ग़ैर मज़रूआ मालिक भूमि/सरकारी भूमि के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्रवाई की जायेगी :– (विभागीय पत्रांक–925, दिनांक–11.11.2014)</u>

(क) भूतपूर्व मध्यवर्त्ती द्वारा निबंधित हुकुमनामा/पट्टा द्वारा बन्दोबस्त ग़ैर मज़रूआ मालिक भूमि संबंधित रैयत/उनके उत्तराधिकारियों की रैयती भूमि मानी जाएगी।

(ख) यदि भूतपूर्व मध्यवर्त्ती द्वारा सादा हुकुमनामा तथा रिटर्न में रैयत का नाम दिया गया है, हुकुमनामा 01.01.1946 के पूर्व का है और सरकारी लगान रसीद ज़मींदारी उन्मूलन के वर्ष से कट रही है तो यह भूमि रैयत/उनके उत्तराधिकारी की रैयती मानी जाएगी।

(ग) यदि ग़ैर मज़रूआ मालिक भूमि सरकार द्वारा किन्हीं को बन्दोवस्त की गई है तो वह पर्चाधारी की रैयती भूमि मानी जाएगी और यदि किसी के अवैध दख़ल क़ब्ज़े में है तो उसे बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 के तहत बेदख़ल कर बन्दोवस्तधारी को दख़ल दिलाया जाएगा।

(घ) उपरोक्त (क), (ख) एवं (ग) की स्थितियाँ छोड़ कर किसी ग़ैर मज़रूआ मालिक भूमि पर किसी का दख़ल क़ब्ज़ा पाया जाता है तो adverse possesion के तर्क को स्थापित करने के लिए दावा कर्त्ता को यह दिखाना होगा कि उन्होंने अथवा उनके पूर्वजों ने कब प्रष्नगत भूमि के वास्तविक मालिक अथवा उनके पूर्वजों को बेदखल किया ताकि adverse possesion के Statutory period की गणना हेतु प्रारम्भ की तिथि निर्धारित की जा सके।

सरकार के विरूद्व adverse possession के आधार पर स्वत्त्व (Title) निर्धारण के लिए Limitation Act, 1963 के Article 112 में निहित प्रावधान के अनुसार 30 (तीस) वर्षों की अवधि पूरी होनी चाहिए परन्तु मात्र भूमि पर कब्ज़ा, चाहे वह कितनी भी लम्बी अवधि की हो, भू–धारी को विधिक अधिकार नहीं सृजित करता यदि यह सरकार द्वारा दिया गया grant नहीं हो। ऐसी लम्बी अवधि तक भूमि पर क़ब्ज़ा केवल किसी अन्य व्यक्ति के विरूद्ध उसके विधिक अधिकार की रक्षा करता है।

सक्षम प्राधिकार को समय के विभिन्न बिन्दुओं के सापेक्ष स्पष्ट, पूर्ण एवं निश्चित साक्ष्यों पर निर्भर करना होगा। राजस्व पंजियों में प्रविष्टी यदि किसी दावाकर्त्ता के भूमि पर धारिता को प्रकट करती है तो उसे सही माना जा सकता है। कोई दावाकर्त्ता अपने दावा को अभिलेख, लगान रसीद, जमींदारी रिटर्न आदि से इसे स्थापित कर सकता है। यदि कोई दावाकर्त्ता इसे साबित करता है, अर्थात उसकी लगातार तीस वर्षों से धारिता प्रमाणित होती है तो तीस वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद, उसका स्वत्त्व (title) चिरभोग (Prescription) के तहत निर्मित होगा और इस प्रकार वह रैयत की परिभाषा के अन्तर्गत आएगा।

परन्तु यदि अवैध दख़लकार सुयोग्य श्रेणी के भूमिहीन हैं, तो उनके साथ सरकारी परिपत्र के अनुसार निर्धारित सीमा तक ज़मीन की बन्दोबस्ती कर दी जाएगी एवं तदुपरान्त ज़मीन रैयती मानी जायगी।

(ङ) यदि ग़ैर मज़रूआ भूमि की जमाबंदी बिना किसी आधार के चल रही है तो बिहार दाख़िल ख़ारिज नियमावली, 2012 के नियम–13 के अन्तर्गत जमाबंदी रद्दीकरण की कार्रवाई की जाएगी एवं भूमि सरकारी मानकर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

(च) यदि गैर मज़रूआ मालिक भूमि किसी रैयत को सरकार द्वारा बन्दोवस्त है और उसके इतर किसी अन्य रैयत का दख़ल क़ब्ज़ा है, तो बन्दोबस्ती अहस्तांतरणीय होने के कारण उक्त रैयत का रैयती दावा मान्य नहीं किया जाएगा।

(छ) ग़ैर मज़रूआ मालिक भूमि की श्रेणी के बाहर आनेवाली बिहार सरकार की भूमि (ग़ैर मज़रूआ आम छोड़कर) के सम्बन्ध में उपरोक्त कंडिकाओं के अनुसार ही कार्रवाई की जाएगी।

(ज) गैरमजरूआ एवं बकाश्त के संदर्भ में समाहर्त्ता स्तर पर सकारण आदेश पारित किया जायेगा।

स्पष्टीकरण :–

सरकार द्वारा बन्दोवस्त भूमि अहस्तांतरणीय होती है। बन्दोवस्तधारी/उनके उत्तराधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य रैयत के दख़ल क़ब्ज़े में ऐसी भूमि पर रैयती दावा मान्य नहीं होगा।

3. **केसरे हिन्द** – भारत सरकार की Guest Houses, Railways, आदि – Dominion of India के लिए His Majesty में निहित थी। संविधान लागू होने के पश्चात दखल और उपयोग के आधार पर केन्द्र एवं राज्य सरकार की सम्पत्ति मानने का निर्णय लिया गया। चूँकि केसरे हिन्द भूतपूर्व मध्यवर्ती के स्वामित्व में नहीं था, अतः भूतपूर्व जमीन्दार केसरे हिन्द जमीन को बन्दोबस्त करने के लिए सक्षम नहीं थे। अतः यदि केसरे हिन्द की बन्दोबस्त भूतपूर्व मध्यवर्ती द्वारा किया जाना पाया जाता है तो वह अवैध (Void) मान लिया जाए। चूँकि केसरे हिन्द जमीन लोक भूमि है अतः Bihar Public Land Encroachment Act प्रभावी होगा।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्रांक–1089/रा0, दिनांक–21.07.1998 में केसरे हिन्द जमीन के स्वामित्व के संबंध में निम्न प्रावधान अंकित किया गया है–

1. संविधान के अनुच्छेद 294 (ए0) के अनुसार जो सम्पति संविधान के लागू होने के पहले Dominion of india के लिए हिज मैजेस्टी में निहित थी और केसरे हिन्द के रूप में दर्ज की जाती थी, संविधान के लागू होने के पश्चात दखल एवं उपयोग के आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकार की सम्पत्ति मानी जायेगी। अर्थात अगर कोई केसरे हिन्द जमीन संविधान लागू होने के तुरंत पहले केन्द्र सरकार के दखल एवं उपयोग में थी तो वह केन्द्र सरकार की और अन्य वैसी सारी जमीन राज्य सरकार की होगी।

2. भूतपूर्व जमीन्दारों द्वारा आजादी के पूर्व केसरे हिन्द भूमि की बन्दोबस्ती की मान्यता नहीं की जानी चाहिए क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपना ही हक हस्तान्तरित कर सकता है। जब केसरे हिन्द जमीन का स्वामित्व भूतपूर्व जमीन्दार को प्राप्त नहीं था तो उसकी बन्दोबस्ती करना अवैध कार्रवाई का श्रेणी में आयेगा और इस आधार पर उनके द्वारा की गई बन्दोबस्ती अवैध (Void) मानी जायेगी।

3. भूतपूर्व जमीन्दारों द्वारा अगर केसरे हिन्द भूमि की बन्दोबस्ती एवं बिक्री की गयी है तो इस मामलें में सक्षम न्यायालय में मुकदमा दर्जकर बन्दोबस्ती अथवा बिक्री को रद्द कर दी जाय, तदनुसार इसे सरकार के स्वामित्व में ले लिया जाय।

4. आज की तिथि से भूमि का नवैयत का ईंद्राज एवं अन्य कार्रवाई कंडिका–1 के अनुरूप की जाय।

5. केसरे हिन्द भूमि का कस्टोडियन एवं उसका प्रबंधन कंडिका–1 के अनुरूप ही होगा।

6. चूँकि केसरे हिन्द भूमि भी लोक भूमि है, अतएव लोक भूमि अधिक्रमण अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे।

4. <u>खास महाल</u> –

खास महाल विभिन्न प्रकार की सरकारी भूमि में से एक है। आम तौर पर खतियान के मालिक कॉलम में Secretary of State in Council के नाम से दर्ज भूमि को खास महाल कहा जाता है। कालांतर में मालिक कॉलम में खास महाल शब्दावली भी अंकित की जाने लगी।

खास महाल भूमि का प्रबंधन सरकार स्वयं करती थी। आजादी के बाद 1953 में बिहार सरकार द्वारा खास महाल भूमि के प्रबंधन हेतु एक हस्तक तैयार किया गया, जिसे The Bihar Government Estate (Khas Mahal) Manual, 1953 अथवा आम प्रचलन में खास महाल हस्तक कहा जाता है।

खास महाल हस्तक में कुल–173 कंडिकाएँ हैं जिनमें सरकारी भूमि के प्रबंधन के नियम निर्धारित किए गए हैं। वर्ष–2011 में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति से बिहार खास महाल नीति, 2011 निर्गत की गयी है। खास महाल हस्तक एवं बिहार खास महाल नीति, 2011 में खास महाल सहित समस्त सरकारी भूमि की लीज बन्दोबस्ती के नियम दिये गए हैं।

आजादी से पूर्व आमतौर पर खास महाल भूमि स्थायी लीज/नियतकालीन लीज पर बन्दोबस्त की जाती थी। नियतकालीन (Periodic lease) लीज की अवधि सरकार द्वारा तय नही थी। कुछ मामलों में स्थायी (Permanent) /अन्य मामलों में भिन्न–भिन्न अवधि के लिए बन्दोबस्त की जाती थी। बिहार खास महाल नीति, 2011 के कंडिका–19 के तहत सरकार द्वारा सभी प्रकार के लीज की अवधि 30 वर्ष निर्धारित की गयी है।

विभागीय परिपत्र संख्या–644, दिनांक–15.04.1999 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि नये लीज के समय जमीन के बाजार मूल्य के बराबर सलामी ली जाय। इसके अलावा अवासीय प्रयोजन के लिए सलामी का 2 प्रतिशत तथा व्यावसायिक प्रयोजन के लिए सलामी का 5 प्रतिशत वार्षिक लगान लिया जाता है। व्यक्ति विशेष या संस्था के साथ शहरी तथा अर्द्धशहरी भूमि को बन्दोबस्त करने की शक्ति सरकार में निहित है। पुराने लीजधारियों के मामलों में भी लीजधारी/अन्तरिति द्वारा फ्रेश लीज की सहमति संसूचित करने के उपरांत समाहर्त्ता द्वारा प्रस्ताव प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार के अनुमोदनार्थ ही भेजा जाना है।

प्रत्येक नियतकालीन (Periodic lease) लीज का नियत अवधि के बाद नवीकरण किया जाता है। बिहार खास महाल नीति, 2011 के कंडिका–20 के तहत सम्पूर्ण राज्य में खास महाल भूमि सहित सभी सरकारी भूमि के लीज के नवीकरण की शक्ति का प्रतिनिधायन संबंधित समाहर्त्ता को किया गया है। **संबंधित समाहर्त्ता को लीज अवधि समाप्त होने के 90 दिनों के अन्दर लीज नवीकरण का निर्णय करना होता है।**

लीजधारियों के साथ सरकार की ओर से संबंधित समाहर्त्ता लीज इकरारनामा सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में किया जाता है। लीज प्रपत्र में लीज की सभी शर्तें अंकित रहती हैं। लीजधारी द्वारा लीज की सभी शर्तों का अक्षरशः पालन करना अनिवार्य होता है। लीजधारी द्वारा शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में सरकार द्वारा लीज रद्द करने/दंड शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है। बिहार खास महाल नीति 2011 का अध्याय–2 लीज शर्तों के उल्लंघन से संबंधित है।

सरकार द्वारा लीज पर बन्दोबस्त भूमि के लीज का अन्तरण/प्रयोजन परिवर्तन सरकार की अनुमति से विहित प्रावधानों के अन्तर्गत लीजधारी द्वारा किया जा सकता है।

खास महाल हस्तक के नियम 21 के अनुसार सरकार द्वारा लीजधारी से लीजधारित भूमि केवल लोकहित में वापस लिया जा सकता है।

5. **वकास्त** – भूतपूर्व जमीन्दार के अपने उपयोग की जमीन – कृषि कार्य एवं बागवानी के उपयोग से संबंधित।

वकास्त जमीन के संबंध में सम्यक विचारोपरान्त, सरकार द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं– (विभागीय पत्रांक–925, दिनांक–11.11.2014)

(i) बक़ाश्त ज़मीन के सम्बन्ध में निम्नानुसार कार्रवाई की जायेगी :–

(क) यदि खतियान में बक़ाश्त दर्ज है, ज़मीन भूतपूर्व मध्यवर्त्ती/उनके उत्तराधिकारी के क़ब्ज़े में है और उनके नाम से लगान रसीद भी कट रही है–

ऐसी स्थिति में बिहार भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा–5, 6 एवं 7 के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

धारा–6 की उप धारा (1) के तहत राज्य में ज़मींदारी निहित होने की तिथि को (on) तथा से (from), किसी मध्यवर्ती के ''ख़ास दख़ल'' (Khas Possession) में स्थित भूमि, जिसका उपयोग कृषि या बागवानी प्रयोजनों से किया जाता था, राज्य के द्वारा मध्यवर्ती के साथ बंदोवस्त किया गया मान लिया जाएगा (Deemed to be settled by the state with such intermediary)। पूर्व मध्यवर्ती को राज्य के अधीन इस भूमि के प्रसंग में अधिभोगी अधिकार (Occupancy Rights) युक्त रैयत मान लिया जाएगा।

(ख) यदि खतियान में बक़ाश्त दर्ज है, ज़मीन भूतपूर्व मध्यवर्त्ती/उनके उत्तराधिकारी द्वारा किसी को लीज़/रेन्ट पर दिया गया हो और लगान रसीद भी कट रही हो–

ऐसी भूमि के सम्बन्ध में उपरोक्त कंडिका (क) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ग) यदि खतियान में बक़ाश्त दर्ज है और ज़मीन भूतपूर्व मध्यवर्त्ती/उनके उत्तराधिकारी के क़ब्ज़े में है तथा लगान रसीद नहीं कट रही है।

समाहर्त्ता जाँचोपरान्त बिहार भूमि सुधार नियमावली, 1951 के नियम–7(G) के अधीन लगान निर्धारण की कार्रवाई करेंगे।

(घ) यदि खतियान में चौकीदारी चकरान या गोरैती जागीर या माफ़ीगोरैती दर्ज है और ज़मीन रैयत के क़ब्ज़े में है अर्थात भूमि Service Grant है–

बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 6 के अनुसार चौकीदारी चकरान या गोरैती जागीर या माफ़ीगोरैती के रूप में अधिकार अभिलेख में अभिलिखित किसी नौकराना भूमि, जो निहित होने की तिथि से पूर्व ही, किसी रैयत की हो गयी हो, सम्बन्धित रैयत/ उनके उत्तराधिकारियों की भूमि मानी जायेगी।

(ङ) यदि खतियान में बक़ाश्त दर्ज है, किसी और की जमाबंदी चल रही है और लगान रसीद भी कट रही है–

ऐसी ज़मीन धारा–6 के तहत दर्ज नाम के व्यक्ति की मानी जायेगी।

(च) यदि खतियान में बक़ाश्त दर्ज है तथा उसे भूतपूर्व मध्यवर्त्ती/उनके उत्तराधिकारी ने किन्हीं को हस्तांतरित की है–

ऐसी ज़मीन अन्तरिति की रैयती ज़मीन मानी जायेगी।

(छ) यदि खतियान में बक़ाश्त दर्ज है, भूतपूर्व मध्यवर्त्ती/उनके उत्तराधिकारी द्वारा पट्टा से रैयत को बन्दोवस्त कर दिया गया है और रिटर्न दाख़िल किया गया है तथा पट्टाधारी/उनके उत्तराधिकारी के दख़ल क़ब्ज़े में है एवं उसकी जमाबंदी चल रही है–

ऐसी ज़मीन पट्टाधारी/उनके उत्तराधिकारी की मानी जायेगी।

स्पष्टीकरण :–

हाट, बाज़ार और मेला बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा–7A एवं 7B के तहत राज्य में निहित हो गए।

6. **रैयती भूमि**–आम बोल–चाल की भाषा में किसी व्यक्ति के निजी भूमि को रैयती भूमि कहा जाता है।

रैयती भूमि खतियान में व्यक्ति विशेष के नाम से अंकित होता है साथ ही जमाबंदी पंजी–2 में उसकी जमाबंदी चलती है, बसर्ते की वह काबिल लगान एवं बेलगान की श्रेणी में नहीं है।

7. भूदान यज्ञ अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

सर्वोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत – आचार्य विनोबा भावे एवं उनके अन्य सहयोगियों द्वारा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर भू–स्वामियो से रैयती जमीन दान स्वरूप प्राप्त किया गया। कुछ मामलों में आचार्य विनोबा भावे को सम्पूर्ण राजस्व मौजा/ग्राम ही दान में प्राप्त हुआ। सरकार का ध्यान जब कार्यक्रम की ओर आकृष्ट हुआ एवं सरकार द्वारा उक्त कार्यक्रम को भूमि सुधार का एक उपयोगी कार्यक्रम के रूप में महसूस किया गया, तो दान में प्राप्त वैसी जमीन एवं राजस्व ग्राम के प्रबंधन एवं उसके सही ढंग से वितरण हेतु बिहार भू–दान यज्ञ अधिनियम, 1954 एवं बिहार भू–दान यज्ञ नियमावली 1955 प्रभाव में आया। भू–दान यज्ञ अधिनियम 21 जुलाई 1954 से प्रभाव में आया। आचार्य विनोबा भावे को दिनांक–21.07.1954 के पूर्व दान स्वरूप जितनी जमीन प्राप्त हुई, उसे उक्त अधिनियम के द्वारा वितरित करने की कार्रवाई प्रारंभ की गयी।

8. बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण तथा अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 के अन्तर्गत घोषित अधिशेष भूमि

अंचल अधिकारियों से प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आधार पर धारा 10(I) के अन्तर्गत प्रारूप प्रकाशन की विवरणी तैयार की जायेगी जिसमें Appendix-A में कुल जमीन का विवरण रहेगा, Appendix-B में भूधारी को दये जमीन शामिल की जायेगी एवं Appendix-C में अधिशेष जमीन का विवरण रहेगा। इसके साथ थ्वतउ L.C-5 एवं L.C-6 को भी भरकर संलग्न किया जायेगा। प्रारूप विवरणी की धारा 10(2) में प्रारूप प्रकाशन किया जायेगा। प्रारूप प्रकाशन की विवरणी तीन प्रतियों में तैयारी की जायेगी। एक प्रति निबंधित डाक से भूधारी को भेजी जायेगी। एक प्रति प्रभारी पदाधिकारी, जिला प्रशासन प्रशाखा, पश्चिम चम्पारण, बेतिया को जिला गजट में प्रकाशनार्थ भेजी जायेगी (जिला गजट प्राप्त होने के पश्चात उसका प्रकाशन अंचल कार्यालय, संबंधित पंचायत में कराया जायेगा।)

प्रारूप प्रकाशन की नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर भूधारी यदि चाहे तो धारा–10(3) के अन्तर्गत पत्र दे सकता है, तदुपरान्त उस पर सुनवाई कर धारा–10 (3) के अन्तर्गत आदेश पारित किया जायेगा। यदि आपत्ति पत्र नहीं देता है तो भी धारा 10(3) के अन्तर्गत एक तरफ आदेश पारित कर दिया जायेगा।

धारा 10(3) में पारित आदेश के आलोक में धारा–11(I) के अन्तर्गत अंतिम प्रकाशन की कार्रवाई की जायेगी। इसके पूर्व भूधारी यदि चाहे तो धारा–9 के अन्तर्गत अपना Option दे सकता है कि स्वीकृत इकाई के लिए कौन सी जमीन रखना चाहता है अब धारा–11(I) के अन्तर्गत Appendix-A जिसमें कुल धारित जमीन, Appendix-B में इकाई हेतु देय जमीन का विवरणी एवं Appendix-C में अधिशेष जमीन का विवरण शामिल रहेगा। साथ ही Form-L.C-5 एवं L.C-6 भी इसके साथ संलग्न रहेगा। यह भी तीन प्रतियों में बनेगा। एक प्रति भूधारी को निबंधित डाक से भेजा जायेगा, एक प्रति जिला गजट में प्रकाशन हेतु भेजा जायेगा एवं एक प्रति अभिलेख में संलग्न रहेगा। भूधारी यदि चाहे तो अंतिम प्रकाशन की प्राप्ति के 30 दिनों के अन्दर धारा–30 में अपील कर सकता है। जिला गजट की प्राप्ति के पश्चात् अधिशेष जमीन का जिला समाहर्त्ता द्वारा धारा–15(I) अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित की जायेगी। चूँकि धारा–15(I) के अन्तर्गत अधिशेष जमीन का सरकार द्वारा अर्जन किया जाता है। अतः इसके पश्चात् भू–हदबंदी की धारा–27 में दिये गये निदेश के आलोक में जमीन के वितरण की कार्रवाई की जायेगी।

BPPHT Act का उद्देश्य –

मूलतः इस अधिनियम के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य रैयतों – जमीन्दारों की जमीन पर बसे हुए मजदूर एवं गरीब लोगों को उनके घरों से जमीन मालिकों द्वारा बाहर करने से रोकने हेतु बनाया गया। प्रायः मजदूर एवं गरीब तबके के लोगों को भू–धारी अपनी जमीन पर बसा लिया करते थे एवं बदले में उन्हें भू–धारी की इच्छा पर काम करना होता था। कुछ अवसरों पर आपस में विवाद होने पर भू–धारी वैसे भूमिहीन मजदूर/गरीब परिवारों को अपनी जमीन से निकाल देते थे अथवा वहाँ से निकलने को विवश कर देते थे। वैसे ही परिवारों/मजदूरों के हितों की रक्षा हेतु BBPHT Act, 1947 एवं Rules 1948 प्रभाव में आया। –

अधिनियम–18th फरवरी 1948 को लागू हुआ।

Section–2

(क) वासगीत – Homestead

(ख) प्रश्रय प्राप्त रैयत –

(ग) किस भूमि एवं क्षेत्र पर लागू होता है – रैयती जमीन, वकास्त जमीन, गैर मजरूआ खास वैसी जमीन जिसे Ex-Intermediary ने Settle कर दिया एवं रैयत के नाम जमाबंदी चलती है।

(घ) समाहर्त्ता –

Section–3

अधिनियम किन–किन मामलों में प्रभावी नहीं होता है :–

(क) शहरी क्षेत्र –

(ख) Land vested with govt. or a Local Self Govt. (authority) such as panchayat, zilla parishad

(ग) any land over which an industrial establishment is there or industry is established.

(घ) Municipality or notified area

(ड.) Place of Business and fair especially notified by the state govt.

Section-4

Privileged Person/Privileged tenant-

को वासगीत पर्चा दिया जाना – (नियमावली के अंकित प्रावधान के आलोक में)

क) एक वर्ष से अधिक अवधि से लगातार निवास कर रहा हो

ख) वैसे व्यक्ति/परिवार को अपनी कोई आवासीय भू–खण्ड नहीं हो

ग) भूमिहीन की श्रेणी में हो

घ) सरकारी सेवा में नहीं है।

च) जितनी जमीन में वसा है एवं सहन एवं वादी के साथ–00.2 से कम नहीं एवं 12.5 डिसमिल से अधिक नहीं

Section-5

Privileged Person/ Privileged Tenant को वासगीत की जमीन से हटायी नहीं जा सकती है। यदि ऐसा होता है तो प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति समाहर्त्ता को दखल दिलाने हेतु आवेदन दे सकता है। समाहर्त्ता स्वयं अथवा आवेदन प्राप्त होने पर ऐसे व्यक्ति को वासगीत जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करेंगे।

Section-6, 7 –

Deleted by Amendment Act 1989

यह समाहर्त्ता द्वारा लगान निर्धारण एवं इस लगान को नहीं बदले जाने से संबंधित था

Section—**8** —

Grounds on which a Privileged Tenant may be ejected-

(a) Non-payment of rent, makes land unfit for residential or tenancy purposes - on the ground that he has used the holding or any part thereof in a manner which renders the holding unfit for the purposes of the tenancy. But Planting of bamboos and threes, digging of wells, manufacture of bricks and tiles for domestic purposes will not invite eviction.

(b) On the ground that he has failed to pay the rent of the holding for two years.

यदि किसी भू–स्वामी द्वारा प्रश्रय प्राप्त रैयत को उसकी आवासीय भूमि से बेदखल किया जाता है तो समाहर्त्ता स्वयं अथवा उक्त आशय का आवेदन पत्र प्राप्त होने पर प्रश्रय प्राप्त रैयत को उनकी वासगीत की जमीन पर पुनः दखल दिलावेंगे।

संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात।

Section —8 —(3, 4)— Deleted by Amandment Act 1989

Section-8 (6)-

"The Collector may on receipt of an application under sub-section (5), or on his own motion, after making such enquiry as the deems fit, order that privileged tenant shall be put in possession of the homestead or part thereof from which he has been so ejected."

Section-8 (7)-

"If a privileged tenant is threatened with unlawful ejectment from his tenancy or any portion thereof by his landlord, the Collector may, of his own motion or on application made in this behalf by the privileged tenant, and may, after hearing the parties, for which due notice shall have been given to them or even after ex-parte hearing in cases of emergency, by an order, giving reasons therefor in writing, restrain the landlord from ejecting the privileged tenant."

Section-8(8)

"If the person against whom an order has been made under sub-section-(6) fails to carry out the order of the Collector within such time, if any, as may be specified in the order: or if the person against whom an order has been made under sub-section (7) disobeys that order, he shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both."

High Court Ruling

"Once a person has been adjudged a privileged tenant, his dispossession by the landlord or any one is illegal- Rules donot Provide for an enquiry." Sone Lal Sahni vs. State of Bihar, 1985 BBCJ Pat. 488.

Section-8(9)-

An offence under sub-section (8) shall be cognizable for which any Police officer may arrest without warrant.

Section –9– Restriction on Transfer of Privileged Tenant right –

प्रश्रय रैयत प्राप्त वासगीत की जमीन को अन्तरित नहीं कर सकता है। जमीन Inheritable है, Transferable नहीं है –

Section –10– subletting by Privileged Tenant - प्रश्रय प्राप्त रैयत अपनी वासगीत की जमीन को अथवा उसके आंशिक भाग को किसी अन्य प्रश्रय प्राप्त रैयत को किराये पर दे सकता है।

Section –11– usufructuary mortgage by privileged Tenant –

प्रश्रय प्राप्त रैयत अपनी जमीन को 7 वर्षो के लिए दूसरे प्रश्रय प्राप्त व्यक्ति को लीज के रूप में वासगीत की जमीन दे सकता है – लेकिन वह Indian Registration Act 1908 (1908 का XVI) में निहित प्रावधान के आलोक में। सात वर्षो की अवधि की समाप्ति के पश्चात वह जमीन Privileged Tenant को स्वतः वापस हो जाएगा –

Section –12– Transfer - प्रश्रय प्राप्त रैयत अपनी वासगीत की जमीन को समाहर्त्ता से लिखित आदेश प्राप्त करने के पश्चात किसी अन्य प्रश्रय प्राप्त रैयत को आवासीय उपयोग हेतु बेच सकता है अथवा उसे दान में दे सकता है।

Section **–13–15–**

power of Collector to set aside improper transfer.

Section **–16–17–** बकाया लगान की वसूली के अलावा किसी भी स्थिति में किसी भी न्यायालय द्वारा उक्त वासगीत की जमीन से Privileged Tenant को बेदखल नहीं किया जा सकता है। लगान अदायगी के लिए भी पर्याप्त समय दिया जाएगा।

Section-18

इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश बाध्यकारी एवं अंतिम होगा। इस अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश को किसी भी व्यवहार न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। समाहर्त्ता (अंचल अधिकारी) का आदेश अंतिम होगा। धारा–21 के अन्तर्गत समाहर्त्ता को दी गयी शक्ति को छोड़कर –

Section **–21** (Amendment) Power of the collector of the district to call for and examine records –

समाहर्त्ता स्वयं अथवा व्यथित पक्ष के द्वारा आवेदन पत्र समर्पित करने पर अंचल अधिकारी द्वारा पारित आदेश से संबंधित अभिलेख को अपने न्यायालय में मंगवा सकते हैं एवं संबंधित पक्षों को सुनने के पश्चात आदेश पारित कर सकते हैं। समाहर्त्ता अभिलेख को अंचल अधिकारी की जाँच एवं नये सिरे से आदेश पारित करने हेतु वापस कर सकते हैं। लेकिन समाहर्त्ता उक्त शक्ति का प्रयोग पुराने मामलों में नहीं कर सकते हैं।

वर्ष 1989 से पूर्व अधिनियम में प्रावधानों की कठोरता के कारण समाहर्त्ता **अधीन** अधिनियम (अंचल अधिकारी) को निरंकुश शक्ति प्राप्त थी। पीड़ित पक्ष को उच्च न्यायालय में ही न्याय की याचना करनी पड़ती थी, किन्तु धारा–21 के तहत जिला समाहर्त्ता को अपील सुनने की शक्ति प्रदान कर पीड़ित पक्ष को बेहतर अपने ही आदेश को रद्द अथवा उसमें किसी प्रकार फेर–बदल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। वासगीत पर्चा निर्गत करने से पूर्व कुछ सावधानियाँ आवश्यक है, ताकि इसे धारा–21 के तहत समाहर्त्ता के न्यायालय में या अन्य किसी न्यायालय द्वारा तकनीकी आधार पर निरस्त नहीं किया जा सके।

Amendment of 1989 - के द्वारा Section–21 जोड़ा गया –

Section –22

राज्य सरकार को समय–समय पर समाहर्त्ता को इस संबंध में निदेश देने की शक्ति प्रदत्त है।

Board of Revenue को राजस्व न्यायालयों

Bihar P.P Homestead Tenany Rules, 1948

नियम–3

नियमावली के **नियम 3 में निहित प्रावधान के आलोक में आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में समर्पित करेगा।**

नियम–4 – के अन्तर्गत अभिलेख प्रारंभ किया जाएगा– वाद सं0–...../..... वित्तीय वर्ष अंकित करते हुए हल्का कर्मचारी का प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त किया जायेगा। अंचल निरीक्षक स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देंगे। अंचल अमीन जमीन का पैमाईश कर प्रतिवेदन नक्शा के साथ समर्पित करेंगे, जिसमें आवासीय मकान एवं सहन का रकवा अंकित होगा। 00.2 डिसमिल से कम नहीं एवं 12.5 से ज्यादा नहीं। अंचल अधिकारी स्वयं भी स्थल जाँच करे ले।

नियम–5 (I) के अनुसार

इस अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए बिहार प्रश्रय प्राप्त वासगीत नियमावली, 1948 लागू किया गया है। नियमावली में वासगीत पर्चा निर्गत करने की प्रक्रिया दी गई है।

नियमावली के नियम 3 में आवेदक को अपना आवेदन विहित प्रपत्र में देनी है। आवेदन प्राप्त के उपरान्त नियम 4 के अन्तर्गत अभिलेख प्रारंभ किया जायेगा। **नियमावली के नियम 5(1) के अनुसार "अधिनियम अधीन समाहर्त्ता" को या तो स्वयं जाँच करनी है या कम से कम अंचल निरीक्षक या कल्याण निरीक्षक के स्तर के पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त करना है। नियम 5(2) के अनुसार जाँच पदाधिकारी प्रपत्र F में सभी पक्षों को जाँच की तिथि सूचित करना है तथा उनके पास जो भी साक्ष्य हों उन्हें प्रस्तुत** करने हेतु निर्देश देना है। नियम 5(3) के अनुसार जाँच पदाधिकारी को सभी साक्ष्यों को अंकित करते हुए अधिनियम अधीन समाहर्त्ता (अंचल अधिकारी) को प्रतिवेदन देना है जो नियम 5(4) एवं 5(5) के अनुसार सभी पक्षों को सुनवाई कर आदेश पारित करेंगे। अगर अंचल अधिकारी स्वयं नियम 5(2) एवं 5(3) के अनुसार जाँच कर रहे हो तो वे जाँच अभिलेख में अंकित कर नियम 5(4) एवं 5(5) के तहत अग्रेत्तर कार्रवाई प्रारम्भ करेंगे। **अंचल अधिकारी को इस नियमावली के प्रपत्र J में वासगीत पर्चा पंजी संधारित करना है।**

नियम 5(2) के अन्तर्गत नोटिस हेतु प्रपत्र F, नियम 5(5) के अनुसार वासगीत पर्चा निर्गत करने का प्रपत्र G एवं वासगीत पर्चा हेतु पंजी का प्रपत्र J क्रमशः अनुसूची 12, 13 एवं 14 के रूप में दिया गया है।

महिला का नाम पर्चा में पहले अंकित होगा –

वासगीत पर्चा निर्गत करने की प्रक्रिया में एकरूपता लाने हेतु विभिन्न बिन्दु :– Check List

1. अंचल निरीक्षक के द्वारा स्वयं जाँच नहीं करके हल्का कर्मचारी के प्रतिवेदन को अग्रसारित किया जाता है जबकि नियमानुसार अंचल निरीक्षक के स्तर से स्थल निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है।

2. जमीन के आवासीय उपयोग का सत्यापन नहीं किया जाता है।

3. कार्रवाई के क्रम में जमाबंदी रैयत/खतियानी रैयत को नोटिस निर्गत नहीं करके मात्र उसे सूचना निर्गत कर कार्रवाई की जाती है जिसके कारण कतिपय मामलों में विवाद उत्पन्न होता है।

4. पूर्व में एक व्यक्ति को पर्चा के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी जमीन पर पुनः दूसरे व्यक्ति को पर्चा निर्गत करने का प्रस्ताव तैयार हो जाने के कारण स्थानीय विधि–व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न होती है।

5. कतिपय मामलों में जमाबंदीदार के द्वारा जमीन अन्य व्यक्ति को हस्तांतरण करने के पश्चात उक्त व्यक्ति को नोटिस निर्गत नहीं किया जाता है जिसके कारण निर्गत पर्चा पर विवाद उत्पन्न हो जाता है। यदि स्थल निरीक्षण वास्तविक रूप में किया जाता तो भूमि हस्तांतरण से संबंधित तथ्य निश्चित रूप में सामने आ जाता है।

6. वासगीत पर्चा उसी व्यक्ति के नाम निर्गत किया जाएगा जो भूमिहीन की श्रेणी में हैं एवं जिसके पास वासगीत की कोई अपनी भूमि नहीं है।

7. जिस जमीन का वासगीत पर्चा निर्गत किया जाना प्रस्तावित है उस जमीन पर प्रस्तावित रैयत का एक वर्ष से अधिक दिनों से बसा होना आवश्यक है।

8. नगर परिषद/नगर पंचायत क्षेत्र में किसी भी रैयत के नाम वासगीत पर्चा निर्गत नहीं किया जायेगा।

9. गैर मजरूआ आम/खास जमीन पर निवास करने वाले किसी व्यक्ति के नाम वासगीत पर्चा नहीं देना है।

High Court Ruling

"Parcha ordered to be granted to a person who is neither a privileged person nor a privileged tenant without conductiong an enquiry is illegal. Rajeshwari Prasad Vs. State of Bihar, 1990 (1) BLJ 112: 1990 (1) PLJR 35: 1989 (1) BLJR 448.

Circle officer granting parcha in favour of a privileged tenant and thereafter reviewing h is own order and granting fresh parchas-before a parcha can be issued necessary procedures have to be followed and necessary enquiries have to be made since such proceedings are quasi-judicial in nature- the circle officer has no authority to review his own order-order without jurisdiction and need to be quashed. Latif Mian Vs. State of Bihar 1998 (2) PLJR 723."

Under Rule-3 Form - A, B, C, D, E ---------

Under Rule-4 - अभिलेख का प्रारंभ किया जाना एवं अभिलेख का संधारण

Under Rule-5 Form-F अंचल अधिकारी/अंचल निरीक्षक द्वारा जाँच

Under Rule- Form- G(5) पर्चा

Record of Homestead in proper format to be prepared in Form- G - by the collector and the same to be made available to the landloard and also to the privileged tenant. Parcha will be prepared in triplicate.

Form-H - General Notice

Form - J Register to be maintained at Anchal level -

Form- A to C - आवेदन पत्र का प्रपत्र

Form-D - Application for Relief in the case of mortgage

Form-E - Relief in the case of Improper transfer.

Form- F - Notice to all concerned informing date and time of inquiry - to be issued under the signature of enquring officer.

Form-G - Homestead parcha, - in triplicate - Privileged tenant, landlord, Halka karamchari.

Form-H- General Notice/Notice to the landowner/landlord.

Form-J - Homestead parcha Register.

The Bihar Right to Homestead Bill

Homestead to mahadalit familes in urban areas

Upper Ceiling to be raised from-3 to 5 डिसमिल

महादलित विकास योजना, 2010

गृह स्थल योजना, 2011 –

अभियान वसेरा, 2014

अभियान दखल देहानी, 2014

दाखिल खारिज का शिविर न्यायालय, 2014

बन्दोबस्त जमीन का अवैध– अन्तरण –

High Court Ruling

-------- matter

1. अनुक्रमण पंजी
2. प्राप्त पत्रो की पंजी
3. निर्गत पत्रो की पंजी
4. पत्र प्रेषण पंजी – डाक द्वारा चपरासी वही
5. Stamp पंजी
6. रक्षी संचिका guard file

----

office ----------

7. प्रधान सहायक नोट बुक सह फारवार्ड डायरी
8. कर्मपुस्त – सहायक वार
9. लम्बित पत्रो की पंजी
10. आकस्मिक अवकाश पंजी
11. प्रतिवेदन एवं विवरणी प्रेषण
12. कार्यभार तालिका
13. संधारित पंजीयो की सूची
14. निरीक्षण टिप्पणी
15. निलाम पत्र पंजी
16. भंडार पंजी
17. सेवापुस्त पंजी

18. लोकसभा/विधान सभा/विधान परिषद प्रश्न

19. अभिलेखों को अभिलेखागार में जमा करना

20. अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम

21. कार्यालय अधीक्षक एवं प्रधान सहायकों का कर्त्तव्य एवं उत्तरदायित्व

Nazarat :-

General Book

प्रत्येक शीर्ष के लिए अलग–अलग सहायक रोकड़ पंजी

Allotment Register

पेंशन Vouchers guard file advances

अकेक्षण पंजी :– guard file

Revenue :-

Form-V - Mutation Register

Sairat Register

G.M. A.D.M -

Land Settlement-

Bhoodan-

Ceiling -

BBHTA -

Many Landing's Act -

----- Fee

Rent Collector -

Allotment

लोक सेवा का अधिकार अधिनियम, आय प्रमाण पत्र पंजी जाति, निवास ..... Land ----------
---

BLR Act–1950

Section- 4A– लगान वसूली का कचहरी, वृक्षों वनों, मछली का तालाबों, जलकरों, हाट बाजारो, जल परिवहन जमीन के अंदर खान एवं खनिज पदार्थ

Section-4H –

Section-6 – व्यक्तिगत उपयोग की जमीन

Section-7 – गोला, Factory

Section-7A– Hat Bazar

Section-7B – Mela